

हिन्दी भाषा : विकास के आयाम

लेखिका

डॉ (श्रीमती) आभा त्रिवेदी
एम ए (स्वर्ण पदक) पी एच डी

प्रकाशक

बुक लैण्ड पब्लिशर्स
लालजी साहू का रास्ता, जयपुर-3

- प्रकाशक
राजेश अग्रवाल
बुक सैण्ड पब्लिशस

- प्रथम संस्करण 1990

- मूल्य 20/- मात्र

- मुद्रक
राजेन्द्र प्रिंटस
एन बी एस कॉलेज के सामने,
शांति सेक्टर, तिलक नगर
जयपुर-4

अपने पूज्य श्वसुर
स्वर्गीय पण्डित रामनारायण त्रिवेदी एडवोकेट
की
पावन स्मृति में

-

दो शब्द

बहुत समय से स्नातक कक्षाओं के लिए एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है जिसमें 'हिन्दी' के विकास क्रम को समझाते हुए उसकी उपभाषाओं बालिया आदि का इस प्रकार वर्णन किया गया हो, जिससे उसका राष्ट्रीय स्वरूप स्पष्ट हो सके तथा राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में उसके विकास क्रम एवं व्यवहार की स्थिति भी समझी जा सके। प्रस्तुत पुस्तक इसी अभाव की पूर्ति के लिए लिखी गई है। इसमें उन सब विषयों का समावेश किया गया है जिनसे हिन्दी तथा उसकी बालिया के सम्बन्ध को समझ कर उससे व्यावहारिक स्वरूप की पहचान करने में छात्रों की सहायता मिलेगी। फलतः वे सरकारी गैर सरकारी नौकरियों के लिए आयाजित होने वाली प्रतियोगी-परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे तथा विभिन्न पदों पर नियुक्त होने पर हिन्दी में सरकारी कामकाज भी सफलता पूर्वक चला सकेंगे।

जाशा है, भाषा-विज्ञान और भाषा ज्ञान के अभ्यासी छात्रों के लिए यह पुस्तक पर्याप्त लाभदायक सिद्ध होगी।

श्रीभा त्रिवेदी

विषय-सूची

क्र	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	हिन्दी व्युत्पत्ति और विकास	1-10
2	हिन्दी की बोलियाँ और शैलियाँ	11-31
3	मानक हिन्दी बतनी की समस्या एवं शब्द प्रयोग	32-73
4	राष्ट्र भाषा और राज भाषा हिन्दी	74-114
5	व्यावहारिक हिन्दी	115-124

प्रथम अध्याय

हिन्दी व्युत्पत्ति और विकास

भारतीय भाषाओं में हिन्दी का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैदिक भाषा से आरम्भ होकर भारतीय भाषा धारा का जो विकास हुआ, उसी का नवीन स्वरूप हिन्दी है। इस अध्याय में "हिन्दी" शब्द की व्युत्पत्ति, उसके विविध अर्थ और परिभाषाएँ अपभ्रंश, अवहट्ठ, शौरसेनी, अघमागधी, पुरानी हिन्दी आदि पर विचार किया जाएगा।

"हिन्दी" शब्द की व्युत्पत्ति और विविध अर्थ

"हिन्दी" शब्द "सिन्धी" शब्द का विगडा हुआ रूप है। अरब और ईरान के आक्रमणकारियों से जब भारत का सम्बन्ध हुआ और सबसे पहले सिन्धु प्रान्त में अरबी फारसी बोलने वाले कुछ लोग आकर बसे, तब उन्होंने "सिन्ध" को 'हिन्द' तथा यहाँ की भाषा को 'हिन्दी' नाम दिया। धीरे-धीरे मस्त भारत के लिए हिन्द या हिन्दुस्तान तथा यहाँ के निवासियों के लिए "हिन्दु" शब्द का प्रयोग चल पडा। जिस प्रकार कुछ देशों की भाषा और निवासियों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे चीन की भाषा "चीनी" और निवासी भी "चीनी" कहलाते हैं उसी प्रकार हिन्द या हिन्दुस्तान की भाषा को "हिन्दी" तथा निवासियों को भी "हिन्दी" कहा गया।

उदाहरणार्थ, प्रसिद्ध शायर इकबाल ने कहा है—

"हिन्दी हैं हम, वतन है
हिन्दोस्ता हमारा।"

यहाँ “हिंदी” शब्द का प्रयोग भारतवासियों के लिए किया गया है। “हिंदी” भाषा के लिए “हिंदी” शब्द के अलावा फारसी भाषा भाषियों ने “हिंदुई” और “हिंदवी” शब्दों का प्रयोग भी किया है।

भाषाविज्ञान के निष्कर्ष के अनुसार फारसी में ‘स’ का ‘हृ’ और ‘ध’ का ‘द’ हो जाता है। इसी नियम के अनुसार “सिंधु” से ‘हिंदु’ हुआ है। आरम्भ में “सिंधु” प्रदेश को ‘हिंदु’ प्रदेश कहा गया और कालान्तर में सम्पूर्ण देश को ही हिंदु हिंद और हिंदुस्तान कहने लगे। अतः उसी से अब “हिंदी” शब्द को विदेशियों ने भाषा का अर्थ मिला है। खुसरौ ने भी “हिंदी” शब्द को भारतवासी के अर्थ में प्रयुक्त किया था। उन्होंने लिखा है—

‘बादशाह ने हिंदुओं को तो हाथी से कुचलवा डाला, किंतु मुसलमान जो ‘हिंदी’ थे, सुरक्षित रहे।’

इसी आधार पर “हिंदी” शब्द का उर्दू भाषा के लिए भी प्रयोग किया है। सन् 1424 ई० में शरफुद्दीन ने तैमूरलंग और उसके परिवार के विषय में जफरनामा लिखा है, जिसमें उल्लेख है कि राज ‘हिंदी’ शब्द है। इससे भी सिद्ध है कि भारत की भाषा के लिए ‘हिंदी’ शब्द का प्रयोग हुआ है।

वस्तुतः संस्कृत भाषा से प्राकृत, पाली और अपभ्रंश होती हुई जब भारतीय भाषा धारा ने आठवीं शती में प्रवेश किया तो बहुत समय तक उसमें केवल “भाषा” कहा जाता रहा। केशवदास हिंदी के एक ऐसे कवि हुए हैं जिनके परिवार में संस्कृत ही बोली जाती थी, किंतु उन्होंने हिंदी में कविता की थी और वे भी उस समय हिंदी का ‘भाषा’ नाम से ही पुकारते हैं। कहते हैं—

“भाषा” बोली न जानही

जिसके कुल के दास ।

और कबीर भी उनसे पूर्व ‘हिंदी’ के लिए ‘भाषा’ शब्द का ही प्रयोग कर रहे थे—

संस्कृत खारी कूप जल

भाषा बहता नीर ।

जायसी और तुलसीदास भी “हिंदी” शब्द का प्रयोग न करके “भाषा” शब्द का ही प्रयोग कर रहे थे। यथा व कहते हैं— “भाषा निबन्धमति मञ्जुल मातनोनि और जायसी “लिखि भाषा चौपाई कहै” कहकर हिंदी के लिए

‘भाषा’ शब्द का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः “हिन्दी” शब्द का भारतीय भाषा के लिए सब प्रथम प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने ही किया था और वे उसे “हिन्दुई” तथा “हिन्दवी” भी कहते थे।

हिन्दी का विकास क्रम

“हिन्दी” नाम किसने दिया और कब दिया, यह प्रसंग अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जो बात अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि ‘हिन्दी’ उस भारतीय भाषा का नाम है, जिसका विकास वैदिक काल से चली आती हुई भारतीय भाषा के विकास क्रम में हुआ है। आरम्भ में जिसे वैदिक भाषा और फिर संस्कृत भाषा कहा गया, उसी का लोक प्रचलित प्रवाह प्राकृत और फिर अपभ्रंश बना। अपभ्रंश के ही नये रूप को बाद में अवहट्ट और फिर पुरानी हिन्दी” कहा गया तथा कालांतर में नया रूप धारण कर वही “भाषा” या हिन्दी कहलाई।

जिसी भी भाषा का विकास-क्रम उसकी लिपित अर्थात् साहित्य में प्रयुक्त रूप से ही समझा जा सकता है, क्योंकि लोक-प्रचलित रूप समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। अतः हिन्दी के विकास-क्रम को समझने के लिए अपभ्रंश विशेषतः शौरसनी अपभ्रंश अधभागधी, अवहट्ट और “पुरानी हिन्दी” को समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिन्दी के मूल रूप का सूत्रपात शौरसेनी अपभ्रंश से ही हो गया था।

अपभ्रंश

लगभग 500 ई० से 1000 ई० तक अपभ्रंश भाषा लोक जीवन और साहित्य में व्यवहृत होती रही। इस अवधि में प्राकृतों के अनुसार इसके भी अनेक भेद हो गए थे। संस्कृत भाषा में रुद्रट न “कायालकार” ग्रन्थ की रचना की है जिसकी टीका नमिसाधु ने लिखी है। उन्होंने अपभ्रंश के तीन भेद माने हैं—उपनागर आभीर और ग्राम्य। एक अन्य विद्वान् माकण्डेय ने पहले तो अपभ्रंश के तीन भेद स्वीकार किए हैं—नागर उपनागर और ब्राह्मण किन्तु बाद में उसकी 27 बोलियाँ बताई हैं, जो इस प्रकार हैं—

नागर उपनागर ब्राह्मण लाट, बंदम बवर, आवन्तम, मागध, पाचाल्य, टावक, मालव, कैफय गौड भौड, वैवपाश्चात्य, पाण्ड्य कौन्तल भैहत्र, कार्निग, प्राच्य, कार्णाटि, काच्य, द्राविड गौजर, आभीर मध्यदेशीय और बँताल।

वस्तुतः ये बोलियाँ बोलचाल में ही प्रयुक्त होती थीं, इनमें साहित्य रचना नहीं होती थी। इन बोलियों का क्षेत्रीय उच्चारण आदि से सम्बंधित अंतर था, किन्तु मूल विशेषताएँ समान थीं। धीरे धीरे इन बोलियों का एक साहित्यिक रूप उभरा, जिस ही वास्तविक “अपभ्रंश” भाषा माना जाता है। आचार्य हमचंद्र ने

इही बोलियों को मूलभूत एकता को आधार बनाकर "हिमशब्दानुशासन" नामक व्याकरण में "अपभ्रंश" का स्वरूप निर्धारित किया है।

पाश्चात्य विद्वान डॉ. याकोबी ने 'अपभ्रंश' भाषा के चार भेद माने हैं—पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी, उत्तरी। वस्तुतः ये नए भेद विशेष महत्त्व नहीं रखते। क्षेत्रीय बोली-गत अंतर होते हुए भी साहित्य में जिस परिनिष्ठित अपभ्रंश का प्रयोग हो रहा था, वही सही "अपभ्रंश" है। किंतु आधुनिक भारतीय भाषाशा और विशेषतः हिन्दी के विकास-क्रम को ध्यान में रखा जाए तो परिनिष्ठित अपभ्रंश की उजाय क्षेत्रीय अपभ्रंश बोलिया का अधिक महत्त्व है। अतः विद्वानों ने उस समय लोकप्रचलित अपभ्रंशों में से उन सात को छूट कर अलग किया है, जिनसे आधुनिक भारतीय अपभ्रंश का जन्म हुआ। ये हैं—

गौरसेनी, पंजाबी, बाचड, लस, महाराष्ट्री, अपभागधी, और मागधी।

अपभ्रंश के उक्त प्रमुख रूपों के आधार पर उसकी प्रमुख विशेषताओं का यहाँ उल्लेख आवश्यक है—

- 1 अपभ्रंश में अ, आ इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, तथा औ नामक 10 स्वर-ध्वनियाँ प्रयुक्त मिलती हैं।
- 2 इस भाषा में उकारान्त शब्द अधिक मिलते हैं। यथा कारण्णु भगु भूतु।
- 3 इस भाषा में ससृष्ट शब्दों में अल्पस्वर ह्रस्व हो गए हैं। यथा—हरीतकी का हरीउई, गभिणी का गभिणि।
- 4 इस भाषा में घादि अक्षर पर प्रायः स्वरापात रहता है। फलतः ससृष्ट शब्दों के घादि अक्षर में स्वर का साथ नहीं मिलता। यथा—माणिक्य का माणिक्य फोटक का फोटक।
- 5 ससृष्ट के त्रिन्ध्रजनों में द्वित्व था, वे समीकरण के कारण एक अक्षर बनने लगे हैं तथा पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो गया है। यथा—तस्य का तामु कस्य का कामु।
- 6 द्रगम ससृष्ट का "म" अक्षर 'व' हो गया है। यथा—घामलक का घावलक कमत का कवत।

- 7 इसमें सस्कृत 'क्ष' ध्वनि 'क्ष' हो गई है। यथा—पक्षी का पक्षी। इसी प्रकार "व" ध्वनि "ब" हो गई तथा मध्य वण से व्यंजन गायब हो गया है। यथा—वचन का बचन। 'न' तो ए हो ही गया है। 'य' ध्वनि 'ज' बन गई है।
- 8 सस्कृत की 'ड' 'द' 'न' तथा 'र' ध्वनियों के स्थान पर "ल" हो गया है। यथा—प्रदीप का पलित। सस्कृत "श" तथा "य" ध्वनियाँ गायब हो गई हैं और उनके स्थान पर 'स' ध्वनि आ गई है।
- 9 अपभ्रंश भाषा में सस्कृत के नाम तथा धातु रूप भी कम हो गए हैं, जिससे बहुत सरलता आ गई है। नपुंसक लिंग नहीं रहा तथा 24 वारकों के स्थान पर 6 कारक ही रह गए हैं। द्विवचन भी नहीं रहा।
- 10 सस्कृत की योगात्मक विशेषता छोड़कर अपभ्रंश विभागात्मक हो गई है। फलतः विभक्तियाँ अलग लगे लगी है।
- 11 स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग की पहचान भी सरल हो गई है। प्रायः स्त्रीलिंग के लिए शब्द के अन्त में 'इ' तथा पुल्लिंग शब्द के अन्त में 'आ' लगने लगा है।
- 12 तत्सम शब्द बहुत कम रह गए हैं तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा है। देशज एवं विदेशी शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ी है।

उपर्युक्त कतिपय विशेषताओं के आधार पर ही आरम्भ में सस्कृत के विद्वानों ने 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ है भ्रष्ट (भापाएँ या बोलियाँ)। यह भ्रष्टता क्या है? सस्कृत के अनुशासन का त्याग, जिसका सभी अपभ्रंश बोलियों में बाहुल्य मिलता है। विश्वकोश में अपभ्रंश उन भाषाओं का नाम माना गया है जो प्राकृत के पश्चात् लगभग छठी शताब्दी से बारहवीं शती तक उत्तरी भारत में साहित्य तथा बोलचाल में प्रयुक्त होती थी। सस्कृत ग्रन्थों में भी अपभ्रष्ट तथा अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में हुआ है। यह भी उल्लेख मिलता है कि प्रारम्भ में "अपभ्रंश" शब्द का प्रयोग केवल "धामीर" जाति की बोलचाल की भाषा के लिए किया जाता था। धीरे-धीरे यह शब्द शिष्ट भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा। लगभग सम्पूर्ण उत्तरी भारत इस भाषा का क्षेत्र था। उत्तरी भारत की आधुनिक भाषाओं का विकास अपभ्रंश के ही क्षेत्रीय रूपों से हुआ माना जाता है।

शौरसेनी अपभ्रंश—

अपभ्रंश भाषा के विकास से पूर्व प्राकृत के क्षेत्रानुसार पाँच प्रमुख भेद हो चके थे। इनके नाम हैं—

- 1- शौरसेनी प्राकृत
- 2- मागधी प्राकृत
- 3- अथ मागधी प्राकृत
- 4- महाराष्ट्री प्राकृत
- 5- पंजाबी प्राकृत

इन भेदों के अनुसार ही अपभ्रंश का विकास मानने वाले विद्वानों ने अपभ्रंश के भी छवत पाँच भेद किए हैं। यद्यपि इन भेदों का पहले बताए हुए भेदों में समाहार है, तथापि यहाँ इनमें से शौरसेनी अपभ्रंश पर विशेष रूप से विचार करना आवश्यक है, क्योंकि इसी से आधुनिक भारत की राष्ट्रभाषा "हिंदी" का विकास हुआ है।

शौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र शूरसेन या मथुरा माना जाता है। इसी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश का विकास ईसा की छठी शताब्दी के लगभग हुआ। मथुरा इस भाषा का केन्द्र था किंतु गुजरात तक इसका प्रसार हो चला था जहाँ नागर अपभ्रंश स्थानीय बोली थी। प्राकृत और पाली का प्रचार प्रसार हो जाने पर भी मध्य देश में संस्कृत भाषा जमी हुई थी। अतः उसका शौरसेनी अपभ्रंश पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। संस्कृत नाटकों में शौरसेनी प्राकृत में स्त्री पात्रों के सम्वादा की बहुलता के कारण आगे चलकर शौरसेनी अपभ्रंश भी साहित्य में विशेष समादर पाती गई। विद्वानों की मान्यता है कि गुजराती और पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। हिंदी का मध्यकाल तक का अधिकांश साहित्य इसी अपभ्रंश से विकसित हिंदी में मिलता है। इस भाषा से हिंदी की ब्रज, खड़ी बोली, बागमू बुंदेलखण्डी कन्नौजी और निमाड़ी बोलियों का विकास हुआ। इनमें से ब्रजभाषा ऐतिहासिक काल तक हिंदी का प्रधान रूप बन कर साहित्य की सशान अभिव्यक्ति का माध्यम रही। मूरदास, मीरा, बिहारी, देव मतिराम आदि श्रेष्ठ हिंदी कवियों की रचनाएँ इसी बोली में मिलती हैं।

अपभ्रंश अपभ्रंश—

इस भाषा का पूर्व रूप या विकास-श्रोत अथमागधी प्राकृत में मिलता है। शूरसेन प्रदेश के पूर्वी भाग एवं मगध के पश्चिम में अथमागधी प्राकृत प्रचलित

थी। आधुनिक लेखक जनारम क्षेत्र के आसपास यह बोली समझी जाती थी। इसीलिए इसे पुरानी कौशली भी कहा जाता है। महावीर स्वामी एक महात्मा गौतम बुद्ध की यह मातृ भाषा थी। इसी प्राकृत से अथमागधी अपभ्रंश का विकास हुआ। पूर्वो हिंदी अर्थात् अथमागधी बघली और छत्तीसगढ़ी बोलियों की जननी अथमागधी अपभ्रंश ही मानी जाती है। डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने भाजपुरी को भी अथमागधी अपभ्रंश की ही एक वाली माना है। अथमागधी अपभ्रंश से विकसित सास अधिक समृद्ध बोली है, जिसमें तुलसीदास और मलिक मुहम्मद जायसी जैसे महान् कवियों ने काव्य रचना की है।

अवहट्ठ—

“अवहट्ठ” अपभ्रंश का ही पुराना नाम है किंतु कालान्तर में यह एक पथक भाषा रूप बन गया, जिसे हिंदी का ही प्रारम्भिक रूप माना जाता है। इस नाम का सब प्रथम प्रयोग अब्दुरहमान कवि ने अपनी— सदेश-रासक” काव्य में किया है। प्राकृत वैगलभ के टीकाकार लक्ष्मीधर ने भी अवहट्ठ को एक अपभ्रंश भाषा ही माना है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने ‘वसु रत्नाकार’ ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में जो भाषा प्रयुक्त मिलती है उस अपभ्रंश का “अवहट्ठ” नामक रूप माना जाता है। वस्तुतः यह मगधान्त काल की वह भाषा है, जिसके पीछे अपभ्रंश जा रही थी और आगे पुगनी हिन्दी आ रही थी। हिन्दी के महाकवि मैथिल-बोक्लि विद्यापति की “कीर्तिलता” नामक कवि इसी भाषा में मिलती है। इन ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि अवहट्ठ एक स्वतंत्र भाषा थी, जिसका विकास अपभ्रंश से अवश्य हुआ था किंतु उसकी प्रकृति अपभ्रंश से बहुत कुछ भिन्न हो चुकी थी।

पुरानी हिन्दी—

अपभ्रंश के विकास-काल में बोलचाल की भाषा एक नया मोड़ ले रही थी। सिद्धों और नायों के सम्प्रदाय-सम्बन्धी विचारों के प्रचार के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी, जो देश के अधिकांश भाग में समझी जा सके। यद्यपि अपभ्रंश ने साहित्य-रचना का माध्यम बनकर एक ऐसा रूप भी ग्रहण कर लिया था, जिसमें क्षेत्रीय बोलियों का भेद भाव भूल कर साहित्य रचना हो सकती थी, किंतु वह साहित्यिक रूप पूव से पश्चिम तक तथा सुदूर उत्तर से दक्षिण तक सामान्य जन की पहुँच के बाहर होता जा रहा था। दक्षिण भारत में संस्कृत अब भी समझी जा सकती थी उत्तर में भी अनेक क्षेत्रों में संस्कृत की तत्सम शब्दावली सामान्य व्यवहार में समझने योग्य थी, किंतु अपभ्रंश के तदभव एक देशज

रूपों का प्रयोग सवसाभाय के लिए सबत्र बाध-गम्य नहीं रह गया था। ऐसी स्थिति में डॉ० राम गोपाल शर्मा "दिनश" के मतानुसार एक ऐसी भाषा की आवश्यकता सिद्धो और नायपथी साधुओं ने अनुभव की, जो संस्कृत की तत्सम शब्दावली से अधिक दूर न जाए। अतः अपभ्रंश को विकास का एक नया मोड़ मिला और उसके फलस्वरूप शौरसेनी अपभ्रंश ने जो नया रूप धारण किया, उसी को 'पुरानी हिंदी' कहते हैं। इस भाषा का प्रारम्भिक प्रयोग सिद्धो की वाणियों में मिलता है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कह कर उसी को "पुरानी हिंदी" बताया है। यथा वे कहते हैं —

'अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्य का सबसे पुराना पता तात्रिक और योगमार्गी बौद्धों की साम्प्रदायिक रचनाओं के भीतर विष्णु की सातवीं शताब्दी के अन्तिम चरण से लगता है। मुज और भाज के समय (संवत् 1050 के लगभग) में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है।'

वस्तुतः यह एक विवाद का विषय है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा जाए या उससे विकसित उत्तरवर्ती स्वरूप का पुरानी हिंदी कहा जाए। इस विषय पर बहुत समय पूर्व ही पर्याप्त विवाद हो चुका है। शुक्ल जी ने एक स्पष्टीकरण और दिया है। वे कहते हैं कि —

'असदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात् प्राकृताभास (प्राकृत की रुद्धिया से बहुत कुछ बढ़) हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोल चाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएँ मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है।'

इसमें आगे शुक्ल जी ने विद्यापति का उदाहरण देकर पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का अन्तर भी स्पष्ट किया है —

देमिल बजना सब जन मिटठा ।

तँ तँसन अपघो अबहूटठा ।

अर्थात् देशी भाषा (बोलचाल की भाषा) सब को मीठी लगती है। इसमें वैनी ही अपभ्रंश (देशी भाषा मिला हुआ रूप) में कहता हूँ।'

शुक्ल जी के इस स्पष्टीकरण से यह सिद्ध है कि वे जिस अपभ्रंश की बात कर रहे हैं, वह भ्रवहट्ठ है, जो पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी है।

शुक्ल जी ने अपने इतिहास में आगे चलकर पृष्ठ 19 पर फिर लिखा है कि "सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित अपभ्रंश अर्थात् "पुरानी हिन्दी" की वाक्य-भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी वाक्य भाषा में लिखा है, जो उस समय गुजरात, राजपूताने, और वज्रमण्डल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी।"

इस प्रकार शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को देशभाषा—मिश्रित अपभ्रंश बतलाया है। अंत में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि पुरानी हिंदी में धीरे-धीरे संस्कृत तत्सम शब्द रखने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। वे कहते हैं—

"ज्यो ज्यो काव्य भाषा देश की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यो-त्यो संस्कृत तत्सम शब्द रखने में सकोच भी घटता गया।"

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अपभ्रंश से भ्रवहट्ठ और फिर पुरानी हिंदी का जब विकास हुआ तो उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के तद्भव रूप रखने के स्थान पर तत्सम रूप रखने की प्रवृत्ति ही बढ़ी। डा. नगेन्द्र द्वारा सम्पादित "हिंदी साहित्य का इतिहास" ग्रंथ में आदिकाल का इतिहास प्रस्तुत करते हुए प्रसिद्ध विद्वान डॉ. रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' ने इसी तथ्य को सप्रमाण सिद्ध किया है कि अपभ्रंश और भ्रवहट्ठ के पश्चात् पुरानी हिंदी का जो विकास हुआ, उसमें संस्कृत शब्दों के तद्भव रूप त्याग कर तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति विवसित हुई। इसी प्रवृत्ति ने हिन्दी के भावी स्वरूप का निर्धारित किया, जिसके प्रमाण हमें ब्रजभाषा, भ्रवधी और खड़ी बोली में रचित समस्त हिंदी साहित्य में मिलते हैं।

हिंदी का विकास और क्षेत्र—

वैदिक संस्कृत से संस्कृत फिर प्राकृत, पाली अपभ्रंश, भ्रवहट्ठ और पुरानी हिंदी तक भारतीय भाषा धारा का जो विकास हुआ, उसमें वैदिक काल से चली आने वाली और भारतीय जीवन पद्धति तथा संस्कृति को अभिव्यक्ति देने वाली शब्दावली भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक परिवर्तनों के कारण विभिन्न रूप धारण करती रही। रूपांतर के साथ-साथ कहीं कम कहीं अधिक भ्रम-परिवर्तन भी हुए, पर विकास-क्रम न रुका। जन-संख्या में वृद्धि के

साय-माय स्थानीय प्रयोगों व शब्दों तथा बाहर से आने वाली जातियों की भाषाओं के अभावों से शब्द भण्डार एवं अर्थों में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार पुरानी हिन्दी उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में फलती फलती एक नए रूप में उस समय तक आ चुकी थी, जब यहाँ इस्लाम शासन स्थापित हुआ। इस समय तक इसकी कई बोलियाँ और राजस्थानों तथा बिहारी उपभाषाएँ समृद्ध होने लगी थी। राजस्थान में डिंगल क्षेत्र में ब्रजभाषा, अथवा में अवधी तथा बिहार में मैथिली बोलियाँ साहित्य रचना के लिए हिन्दी का समृद्ध रूप धारण कर चुकी थी। दिल्ली तथा मेरठ के आसपास की खड़ी बोली भी यदा कदा अपना प्रभाव दिखा जाती थी। मध्यकाल तक इन सब बालियों में लिखे जाने वाले साहित्य की विशेष बोलियाँ बन चुकी थी जिनका प्रयोग साहित्य रचना के लिए अपने-अपने क्षेत्र में हो रहा था।

उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा के रूप में पूर्वोक्त कई शैलियाँ में विकसित हिन्दी दक्षिण भारत में ब्रजभाषा के रूप में लोक प्रिय हो रही थी। गुजरात महाराष्ट्र से तमिल प्रदेश तक उस काल की ब्रजभाषा-रचनाएँ मिलती हैं। नई खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मध्यकाल में इस्लाम शासन होत हुए भी सम्पूर्ण भारत में साहित्य रचना एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए ब्रजभाषा हिन्दी ही राष्ट्रभाषा का काम कर रही थी। डा अम्बाशकर नागर ने गुजरात में अनेक ऐसे ग्रन्थ खोजे हैं जो उपयुक्त तथ्य को प्रमाणित करते हैं।

इस प्रकार दक्षिण तक अपना राष्ट्रीय स्वरूप बनाने वाली हिन्दी का मुख्य क्षेत्र उत्तर में वर्तमान हिमाचल प्रदेश से मध्यप्रदेश के रायगढ़ नगर तक तथा पूर्व में बिहार से पश्चिम में सम्पूर्ण राजस्थान तक था और आधुनिक काल में इसी क्षेत्र में उसका राष्ट्रीय स्वरूप समृद्ध एवं सम्पन्न हुआ है। पहाड़ी बालियाँ भी इसी के अंतर्गत विकसित हुई हैं तथा बिहारी बोलियों—मगही मैथिली और भोजपुरी—का समस्त साहित्य भी हिन्दी का ही साहित्य है। राजस्थान में हिन्दी साहित्य के आरंभिक काल में डिंगल शैली में हिन्दी विकसित हुई, मध्यकाल में वहाँ की बोलियों ने ब्रजभाषा को अपने अपने क्षेत्र सौंप दिए थे और उनसे मिलकर एक नयी हिन्दी शैली 'डिंगल' विकसित हो रही थी। मारवाड़ी मेवाड़ी डूँडाड़ी, हाडौती मेवाती आदि राजस्थानी बालियों का विकास आज भी हिन्दी की शाखा प्रशाखाओं के रूप में ही हो रहा है। आज खड़ी बोली हिन्दी का साहित्य में प्रमुखता अथवा प्राप्त है किंतु अन्य पूर्वोक्त सभी बालियों की समृद्धि भी खड़ी बोली की तुलना में कम महत्त्व नहीं रखती। ब्रज भाषा का साहित्य तो आज भी खड़ी बोली के साहित्य से अधिक परिभाषाही माना जाता है यद्यपि आजकल उसमें साहित्य रचना नाम मात्र की ही होती है।

द्वितीय अध्याय

हिन्दी की बोलियाँ और शैलियाँ

हिन्दी भाषा को उसकी उपभाषाओं के अतिरिक्त दो अग्र भेदों में भी विभाजित किया गया है। ये भेद हैं— (1) पूर्वी हिन्दी
(2) पश्चिमी हिन्दी

1- पूर्वी हिन्दी की बोलियाँ—पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत निम्नांकित तीन बोलियाँ आती हैं—

(क) अवधी

(ख) बघली

(ग) छत्तीसगढ़ी

यहाँ इन बोलियों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

(क) अवधी—यह अवध क्षेत्र की बोली है। लखनऊ उन्नाव, रायबरेली गीतापुर, खोरी फैजाबाद, बहराइच गोडा, प्रतापगढ़ मुल्तानपुर एवं बाराबकी जिलों में यह भाषा बोली जाती है। इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर जौनपुर तथा मिर्जापुर जिलों के कुछ भाग भी इस बोली के क्षेत्र में पड़ने हैं। बिहार में रहने वाले मुसलमानों की भी यही बोली है। इस बोली में पर्याप्त साहित्य लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने “रामचरितमानस” लिख कर इस बोली को भाषा के पद तक पहुँचा दिया था। ज्ञानपीठ का “पद्मावत”, गोरीनाथ शर्मा का “शिवपुराण” तथा द्वारिका प्रसाद मिश्र के “कृष्णायन” इस भाषा के प्रसिद्ध तथा उच्च कोटि के महाकाव्य हैं। इस बोली की कतिपय विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1- कर्ता कारक एक वचन की व्यजनात्मक सज्ञाओं में अवधी में "उ" का योग हो जाता है। यथा—

घर = घर

तन = तनु

वन = वनु

मन = मनु

2- अवधी में सवनामों के अन्त का "आ" ह्रस्व रूप धारण कर लेता है तथा प्रथम वण में 'ओ' का योग हो जाता है यथा—

मेरा = मोर

तेरा = तोर

3- अवधी में सज्ञाओं के ह्रस्व, दीघ तथा दीघतर-तोन रूप मिलते हैं यथा—

ह्रस्व = घोड

दीघ = घोडवा

दीघतर = घोडीना

4- अवधी के वारकों में निम्नांकित रूप बनते हैं—

कर्ता—वे, वने या वन लगता है।

(घोडवे) (घोडवने), (घोडवन्)

करण—“अन्” का प्रयोग होता है

कर्म सम्प्रदान—वा, वा, आदि चिह्न लगते हैं।

करण, अपादान—सेनी, सेन, से, लगते हैं।

सम्बन्ध—कर, के, केर का प्रयोग होता है।

अधिकरण—इसके चिह्न में म, पर है।

5- अवधी सवनाम इस प्रकार चलते हैं—

मैं = मो, मोर

तू = तौ, तो, तोर, तुमरे तोहार

हम = हमरे, हम, हमार

वह = वै, ओहि, ओकर, आनकर, उनकर

6- अवधी में सहायक क्रियाओं के रूप भी भिन्न प्रकार के मिलते हैं।

यथा—

धा }
धी } रहेउ, रहेस, रहे
धे }

हे = स—है

हू = ही

है = अही, न्—है

7—अवधी में क्रिया का वर्तमान कृदन्त रूप प्रायः लघु अन्त हाता है यथा—

जाता = जात

रहता = रहत

सहता = सहत

मरता = मरत

8—अवधी में बहुवचन का कारक-विह प्रहण करने वाला रूप नहीं मिलता है। यथा—

(1) घोवन को

(2) छोड़न को

(3) छोरन को

9—अवधी में “इकार” की प्रधानता रहती है। प्रायः भविष्य-काल की क्रिया का तिङ्न्त रूप ही बनता है। यथा—

रहिहइ, जइहइ, मरिहइ ।

10—अवधी के पदों में “ऐ” का “अई” तथा “ओ” का “अउ” हो जाता है। यथा—

ऐसा = अइसा

कोवा = कउवा

11—अवधी में लिंग-सम्बन्धी एक विशेषता भी पाई जाती है। हिन्दी में क्रिया का लिंग भ्रन्तिम सज्ञा के अनुसार बदलता है, किन्तु अवधी में प्रथम सज्ञा के अनुसार बदलता है। यथा—

“मरम वचन सीता जब बोला।”

अवधी एक बहुत बड़े क्षेत्र की भाषा है। इसके तीन रूप पाए जाते हैं—

(1) पूर्वी अवधी

(2) पश्चिमी अवधी

(3) बंसवाडी अवधी

ये तीनों रूप परस्पर बहुत सूक्ष्म विशेषताओं के आधार पर भिन्न हैं ।

(ख) बघेली—यह बोली बघेलखण्ड क्षेत्र में बोली जाती है । यह क्षेत्र अवध के दक्षिण में पड़ता है । रीवा इसका केन्द्र है । मध्य क्षेत्र के जबलपुर, दमोह माडला, बालाघाट आदि जिले इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं । पतहपुर, बादा हमीरपुर मिर्जापुर तथा छोटा नागपुर के कुछ क्षेत्र भी इस बोली की सीमा में पड़ते हैं । अवधी, भोजपुरी, बुन्देली, तथा मराठी इस बोली की सीमाओं पर बोली जाती हैं । इन सब बोलियों के शब्दों का बघेली में मिश्रण हो गया है । अवधी का बघेली पर बहुत प्रभाव पड़ा है । इसलिए कुछ विद्वान् ता उसे अवधी का ही एक रूप मानते हैं । डॉ श्यामसुन्दरदास ने लिखा है—

“अवधी के अन्तर्गत तीन मुख्य बोलियाँ हैं— अवधी, बघेली और छत्तीस गढ़ी । अवधी और बघेली में कोई अंतर नहीं है । बघेलखण्ड में बोले जाने के कारण वहाँ अवधी का नाम बघेली पड़ गया ।”

बघेली बोली में साहित्य का अभाव है । उसके क्षेत्र में अवधी ही साहित्यिक भाषा रही । लोक-साहित्य अथवा उसकी रूप रक्षा में सहायक हुआ है । इस बोली की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1— खड़ी बोली हिन्दी के शब्द बघेली में पहुँचकर पर्याप्त रूप में बदल जाते हैं । सज्ञाओं में प्रायः दो व्यंजनों के मध्य ‘आ’ का ‘वा’ तथा दोष स्वरात्त शब्द वर्ता कारक में ह्रस्वात्त हो जाते हैं । यथा—

घोडा = धवाड

2— बघेली के सबनाम इस प्रकार होते हैं—

मै = मय्

तू = तय

हम = तुम्ह

वह = वहि

1— अवधी और उसका साहित्य, डॉ त्रिलोकीनारायण दीक्षित, पृष्ठ 11 से उद्धृत ।

वे = ओ

कौन = कउन्

3- बघेली में सहायक क्रियाओं के रूप में भी कुछ अंतर मिलता है।
यथा—

हैं = आ,

है = आ

ऊ गा = ऊ

था = रहेन्

4- क्रियाओं में भविष्यकाल सूचक 'गा' प्रायः हट जाता है तथा एउ से काम लिया जाता है। यथा—

देखू गा = देखव्येउ

5- क्रिया में भूतकाल में 'आ' के स्थान पर 'एह' आ जाता है।
यथा—

दखा = देखेह

पढा = पढेह

(ग) छत्तीसगढ़ी—समस्त रायपुर, विलासपुर तथा सम्मलपुर का पश्चिमी भाग इस बोली के मूल क्षेत्र हैं। कांकेर, नदगाव, खैरागढ, चुइखदान, कत्रघा एव चादा जिले के उत्तर पूर्व में तथा बालाघाट के पूर्व में इसी बोली का क्षेत्र है। रायगढ, सारगढ, सरगुजा, उदयपुर (म प्र) तथा जशपुर के कुछ क्षेत्र भी इसी में सम्मिलित हैं। इस बोली में भी साहित्य नहीं मिलता। जगली जातियों की बोलियों का भी इस पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इस बोली की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1- सज्ञाओं में बहुवचन बनाने के लिए "मन" अक्ष जोड़ा जाता है
यथा—

मनुष्या = मनुखमन

पुत्रो = पुतोमन

2- सनामा को अकारान्त कर देने की प्रवृत्ति भी मिलती है। यथा—

बैल = बइला

छल = छइला

3- बहुवचन बनाने के लिए 'अन' जोड़ देते हैं। यथा—
बैल = बइलन

4- कारको में निम्नांकित चिह्न का प्रयोग किया जाता है—
कम-सम्प्रदान = बर, ला, वा
करण-अपादान = से, से
अधिकरण = मा

5- "अन" प्रत्यय भी वरण कारक को व्यक्त करते हैं। यथा—
मूख से = मूखन

6- भाषारान्त विशेषण के रूप स्त्रीलिंग में ईकारात हो जाते हैं।
यथा—

छोटवा = छोटकी

7- निश्चय के अर्थ में सगा के साथ "हर" जोड़ दिया जाता है।
यथा—
गर = हर

धृतीसगढ़ी का रूप भी समस्त क्षेत्र में एक-सा नहीं है। विभिन्न जातियों की बोलियों के रूप में इसका विकास हुआ है तथा प्रायः और अनाय दोनों प्रकार की पड़ोसी भाषाओं में इसे प्रभावित किया है।

2 पश्चिमी हिन्दी की बोलियाँ—पश्चिमी हिन्दी के अतगत निम्नांकित पाँच बोलियाँ सम्मिलित हैं—

- (क) राठी बोली
- (ख) बांगरू
- (ग) बजभाषा
- (घ) बन्नीजी
- (ङ) बुदेसी

यहाँ इन बोलियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है —

(क) राठी बोली—दिल्ली (इहर), रामपुर, मुराणाबाग, मिर्ज़ौर मेरठ, मुजफ्फरनगर गज़रपुर तथा देहरादून के क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। पत्राच व अम्बाया जिले की भी इनके क्षेत्र में माना जाता है। राठी बोली का यह क्षेत्र पत्राची भाषा तथा हिन्दी की राजस्थानी तथा बज उपभाषाओं में जहाँ

हुआ है। अतः इन तीनों के विभिन्न प्रभाव इस बोली पर पड़े हैं। बागरू नाम की बोली भी इसके क्षेत्र के बीच-बीच में करनाल और दिल्ली के देहात में बाली जाती है। उससे भी इसकी प्रवृत्तियाँ प्रभावित हुई हैं। संक्षेप में इसकी निजी विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1- खड़ी बोली में क्रिया के रूप हिन्दी की अर्ध-बोलियों के समान तद्भव होकर ओकारान्त या ओकारान्त नहीं होते। विशेषण तथा सनाएँ भी ओकारान्त या ओकारान्त नहीं होती। प्रायः एकवचन में क्रिया (भूत काल में), सज्ञा एवं विशेषण आदि आकारान्त रहते हैं। यथा—

घोड़ो' या घोड़ी के स्थान पर घोडा	
मलो या मली के "	भला
मारयो या मारी के "	मारा
दौड यो या दौड़ी के '	दौडा
गयो या गयी के "	गया

2- साहित्यिक हिन्दी में जहाँ "ऐ" और "औ" ध्वनियों का प्रयोग होता है, वहाँ खड़ी बोली में "ए" और "ओ" हो जाते हैं। यथा—

खैर = खेर
पैर = पेर
है = हे
घोर = गोर
कौल = कोल

3- खड़ीबोली (ग्रामीण) में मूध-य व्यंजनो के प्रयोग की अधिकता पाई जाती है। व्यंजनो के द्वित्व की प्रवृत्ति भी मिलती है, पर उच्चारण में ही यन् प्रवृत्ति देखी जाती है, लिखने में उच्चारण के अनुसार ध्वनियों का अक्षर नहीं करते। यथा—

पाता = पात्ता
बेटा = बेट्टा
रोटी = रोट्टी
छोटा = छोट्टा

4- "घो", "ओ" के लिये 'ऊ' कर देने की प्रवृत्ति भी मिलती है—

मर्दों का = मरदू का
राम का = राम कू

5- सवनामो मे भी साहित्यिक हिन्दी से खड़ी बोली कुछ भिन्न है। यथा—

तून = तेने
 यह = या
 किससे = किसके
 मैं = मै
 तुमने = तम ने
 हमारा = म्हारा

(ख) भागरू—करनाल, रोहतक तथा मिल्नी (जिला) मे यह बोली प्रयोग की जाती है। दक्षिणी पूर्वी पटियाला नामा, भीद तथा पूर्वी हिंसार के क्षेत्र भी इसी बोली की सीमा मे सम्मिलित हैं। इसी बोली को हरियाणा प्रदेश मे हरियाणी या देसडी कहते हैं तथा रोहतक ने आम-पास जाटू नाम से अभिहित करते हैं। यह लगभग 23 लाख लोगो की माया है। खड़ी बोली, राजस्थानी और पजाबी स यह बोली बहुत प्रभावित है।

विशेषताएँ—(i) इस बोली मे खड़ी बोली के समान ही सज्ञा के रूप मिलत हैं, परंतु बहुवचन मे कुछ रूप बदल जाते है। यथा—

घोड = घोडा
 दिन = दिना
 नाम = नामा
 खेत = खेता

(ii) खड़ी बोली के समान उच्चारण की एकरूपता का समय हममे अधिक नहीं है। प्राय प्रथम ह्रस्व स्वर को ओकारात्त या एकारात्त कर देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यथा—

बहुत = बोहत
 रहा = रेह्या

(iii) द्वित्व की प्रवृत्ति भी मिलती है और उसक साथ प्रथम अक्षर को दीघ से ह्रस्व बना देने की इसकी अपनी मौलिक विशेषता है। यथा—

तितर = तित्तर
 थूना = थुवका

(iv) कारक चिह्नो के प्रयोग में अनिश्चितता पाई जाती है तथा प्राय "को" के स्थान पर "ने" का प्रयोग किया जाता है। यथा—घर को = घर ने।

(v) क्रिया पदों में “आ” स्वर के स्थान पर “इय” जोड़ने की प्रवृत्ति भी मिलती है। यथा—

हारा = हार्या

दुलारा = दुलार्या

(vi) सवनामों में भी प्रयोगवैचित्र्य मिलता है। यथा—

तू = थू, तू, ती

तुम = थम, तम्ह

तूने = तने, तनै

मेरा = म्हारा

तेरा = थारा

यह = यू योह

वह = ओह

(ग) ब्रजभाषा—खड़ी बोली के समान ब्रजभाषा के भी दो रूप मिलते हैं। साहित्यिक रूप का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में है, किंतु ग्रामीण ब्रजभाषा उसकी अपेक्षा सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। देहातो में इसको ब्रजभाषा कहा जाता है। डॉ० उदयनारायण तिवारी ने इसको “अ-तबेंदी” कहा है।¹ मथुरा जिला इस बोली का केन्द्र है। कहा जाता है कि उसके चारों ओर 84 कोस के घेरे में ब्रज मण्डल पड़ता है, उसी घेरे की यह भाषा है। आगरा, एटा, मैनपुरी, फर-खावाद, भरतपुर का दक्षिणी पूर्वी अधिकांश भाग, धौलपुर, करौली ग्वालियर का पश्चिमी भाग, गुडगाव का पश्चिमी भाग गुडगाव का पूर्वी भाग, बुलदशहर, बदायूँ अलीगढ़, बरेली तथा नैनीताल की तराई—ये क्षेत्र ब्रजभाषा की सीमा में आते हैं। इस बोली के बोलने वालों की संख्या 80 लाख से अधिक है।

इस बोली के क्षेत्र के अनुसार कई रूप हो गए हैं, पर उन रूपों में अधिक भ्रान्त नहीं है। डा० ग्रियसन के मतानुसार यह बोली निम्नांकित 8 रूपों में विभाजित हो गई है—

- 1- मथुरा-अलीगढ़-पश्चिमी आगरा की ब्रजभाषा
- 2- बुलदशहर की ब्रजभाषा
- 3- आदश ब्रजभाषा
- 4- कनौजी प्रभावित ब्रजभाषा

1- देखिए, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, पृष्ठ 318

- 5- मदीरी या मदावरी ब्रजभाषा
 6- जयपुरी प्रभावित ब्रजभाषा
 7- मेवाता-प्रभावित ब्रजभाषा
 8- पहाडी प्रभावित ब्रजभाषा

यही कारण है कि इस बोली में क्रिया के ग्रामीण प्रयोग ही नहीं, सज्ञा सवनाम विशेषण उपसर्ग, प्रत्यय आदि भी एकरूपता रक्षित नहीं रख सके। क्रिया के रूप की भिन्नता का एक उदाहरण लीजिए—

- प्रथम रूप = गयी
 द्वितीय रूप = गयो
 तृतीय रूप = गयो
 चतुर्थ रूप = गयो
 पंचम रूप = गी
 षष्ठ रूप = ग्यौ
 सप्तम रूप = गयो
 अष्टम रूप = अनिश्चित रहता है।

कतिपय विशेषताएँ—(1) इस बोली में क्रिया-त में दीर्घ स्वरों के लिए प्रायः ह्रस्व स्वरों का प्रयोग होता है। यथा

- जाओ = जाउ
 खाओ = खाउ
 गाओ = गाउ

क्रिया के अंत में ओकारान्त को उकारान्त करने में वचन का कोई प्रभु नहीं चलता। उपर्युक्त उदाहरणों में प्रथम दो क्रियाएँ बहुवचन में हैं, जबकि तीसरी क्रिया का प्रयोग एकवचन में ही होता है। यथा—

- (1) तुम लोग जाउ। (बहुवचन)
 (2) तुम लोग खाऊ। (,)
 (3) राम! तू गाउ। (,,)

यदि “तुम लोग” के साथ गाने की क्रिया लगानी हो तो “गाओ” लगाना होगा।

(ii) सज्ञाओं में कहीं साहित्यिक हिन्दी का रूप ही रहता है और कहीं “घौ” या “यौ” भी लगते हैं। यथा—

- (1) घोडा ले आओ।

(2) घोड़ा ल्याघ्री ।

(3) घोड़ी लाघ्री ।

(iii) कम कारक के लिए 'को' के स्थान पर "कौ" चिह्न का प्रयोग करते हैं तथा सज्ञा के रूप को प्रायः अपरिवर्तित रखते हैं । यथा—

घोड़ा कौ (घोड़े को)

लडका कौ (लडके का)

(iv) क्रियाभो में "ता है" के लिए "त है" या "तु है" का प्रयोग करते हैं । यथा—

(1) राम मारत है । (राम मारता है ।)

(2) श्याम जात है । (श्याम जाता है ।)

(v) भविष्य काल के लिए क्रियाभो में "ओगो" "उ गो" "एगो" "ओगे" आदि का प्रयोग करते हैं । यथा—

(1) राम को मारूँगा = राम कौ मारोगो ।

(2) मैं जाऊँगा = मैं जाऊँगो ।

(3) तुम आओगे = तुम आउगे ।

वही-कहीं "ग" के स्थान पर "इ है" के रूप भी चलते हैं । यथा—

(1) वह जाएगा = वु जइ है ।

(2) वह खाएगा = वु खइ है ।

(vi) प्रायः कारक चिह्नो में अनुस्वार का प्रयोग मिलता है तथा चिह्न का रूप भी विकृत हो जाता है । यथा—

कर्त्ता = (ने) नैं, नै

कम = (को) कु, कू, कौं, कै, कै,

सम्प्रदान = (को) के लिए

परण = (से) मो, सू, तैं ले

अपादान = से

सम्बन्ध-का = कौ

अधिकरण = में, पर = मे, में, में, लौ

(vii) सवनामो में भी पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है । यथा—

मैं, मुझे आदि—हौं मोको, मोहि, मोय

मेरा = मेरी या मेर्यौ,

तू = तैं,

तुम्हे = तोय, तोको
 तेरा = तेरी, तेरयो
 उसे = वाहि, वाकों, वाय
 तुमको = तोको तोय
 इसको = या को, याहि

(घ) कन्नोजी—फर्रुखाबाद जिले के कन्नोज नगर के नाम पर कन्नोजी बोली प्रसिद्ध हुई है। प्राचीन काल में यह नगर का यमुब्ज के नाम से विख्यात था। इस जनपद की अपनी एक विशेष सस्कृति थी। अतः यहाँ की बोली ने अपना एक क्षेत्र बना लिया था। अब उस क्षेत्र का विस्तार इटावा, फर्रुखाबाद, झाँजहापुर तथा कानपुर एवं हरदोई जिलों के कुछ भागों तक है। इस बोली के पश्चिम में ब्रजभाषा पूर्व में अवधी तथा दक्षिण में बुन्देली के क्षेत्र पड़ते हैं। अतः इन तीनों बोलियों से यह बोली बहुत प्रभावित हुई है।

कन्नोजी बोली के विभिन्न रूप मिलते हैं। इसकी सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1— ब्रजभाषा का 'ओ' प्रत्यय कन्नोजी में 'ओ' हो जाता है।

2— कन्नोजी में हिन्दी व्यंजनात्त पदों के अन्त में 'उ' प्रत्यय का प्रयोग होता है।

3— हिन्दी के आकारान्त पुलिग विशेषण शब्दों को कन्नोजी में ओकारान्त कर दिया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए—

खोटा = खोटो

मोटा = मोटो

छोटा = छोटो

4— कन्नोजी में दो स्वरों के बीच आने वाले 'ह' व्यंजन का लोप हो जाता है। यथा—

कहियों = कह्यो

रहियों = रह्यो

जहियो = जह्यो

5— कन्नोजी में "वह" तथा "यह" सवनाम प्रायः 'बह, बी, एवं यह, जी' के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

6— कन्नोजी में कर्त्ता और क्रिया का प्रयोग भी एक विशेष रूप में होता यथा—

घोडा गया = घोडा ने चलो गयो ।

7- क्रियाओ के लिंग भी कही-कही लुप्त कम के आधार पर चलते हैं ।
यथा—

खडी बोली = राम ने बात कही ।

कन्नौजी = राम ने कही ।

खडी बोली = मोहन ने बात पूछी ।

कन्नौजी = मोहन ने पूछी ।

खडी बोली = तुमने राटा खाई ।

कन्नौजी = तुमने खाई ।

8- कन्नौजी में क्रिया के व्यजन के स्थान पर भूतकाल में "ओ" हो जाता है तथा प्रथम वण दीघ से ह्रस्व कर दिया जाता है । यथा—

देना का दघो

जाना का गघो

होना का भघो

इस प्रकार कही-कही प्रथम वण में परिवर्तन भी हो जाता है ।

9- कन्नौजी में कण कारक में 'का' के स्थान पर 'का' का भी प्रयोग होता है । करण एव अपादान कारक में 'सेती', 'सन्', 'ते' "करि" आदि चिह्न प्रयुक्त किये जाते हैं । अधिकरण कारक में 'मा' "मो" तथा "लो" के प्रयोग की भी प्रथा है ।

10- कन्नौजी में सबनामो में भी कुछ परिवर्तन मिलता है । यथा—

"मैं" से = मोहि, मेरी

"तू" से = तोहि, तेरी

"हम" से = हमे, हमारो

"उन" से = उह, उहो,

"वे" से = वै, बे,

—आदि रूप बन जाते हैं ।

वास्तव में कन्नौजी बोली ब्रजभाषा का ही एक रूप है । इसकी अधिकांश विशेषताएँ ब्रजभाषा की ही स्थानीयता प्रकट करती हैं । इसीलिए कई विद्वानों ने कन्नौजी को अलग बोली स्वीकार करने में सकोच प्रकट किया है । डॉ. उदय नारायण तिवारी उनमें प्रमुख हैं ।¹

1- देखिए हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, पृष्ठ 249

(ड) बुदेली—बुदेलखण्ड क्षेत्र की बोली को बुदेली या बुदेलखण्डी कहा जाता है। इसका क्षेत्र उत्तर में आगरा, मैनपुरी एवं इटावा के दक्षिणी भागों तक फैला हुआ है। दक्षिण में यह बोली सागर, दमोह, भोपाल का पूर्वी भाग, हाशगाबाद सिवनी आदि स्थानों तक बोली जाती है। झांसी, जालौन तथा हमीरपुर जिले भी बुदेली के क्षेत्र में पड़ते हैं। इस बोली की पूर्वी सीमा बघेली से, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा कन्नौजी एवं ब्रज-भाषा से, दक्षिणी सीमा मराठी से एवं पश्चिमी सीमा राजस्थानी बोलियों से मिली हुई है। अतः इस बोली पर इन सबका सम्मिलित प्रभाव पाया जाता है। फिर भी इस बोली की अपनी कतिपय विशेषताएँ हैं, जिनका यहाँ उल्लेख किया जाता है—

1— बुदेली का शब्द-कोष अनेक मौलिक शब्दों से सम्पन्न है। यथा, निम्नांकित शब्द उसकी अपनी सम्पत्ति हैं—

मानेज = भगिनी पुत्र

खगोरिया = गले का एक आभूषण

खदरा = चरागाह

जडड = टक्कर

भकूटा = छोटी भांडी

दौची = धक्के

बिलिया = कटोरी

भटारि = गुफा

लेजू = रस्सी

कोपरी = परात

लुगाई = पत्नी

2— “ए” एवं “ओ” स्वर प्रायः ह्रस्व “इ”, “उ” में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ईकारान्त या आकारान्त में ‘इया’ लगा दिया जाता है। यथा—

बेनी = बिटिया

घोड़ी = घुडिया

लोटा = लुटिया

3— ‘ऐ’ और ‘औ’ को क्रमशः “ए” तथा “ओ” कर दिया जाता है। यथा—

ऐसा = एसा

और = ओर

4— “ह” के स्थान पर सबत्र “र” का प्रयोग किया जाता है। यथा—

खडा = खरो
 दौडा = दौरो
 पडा = परो
 लडका = लरका
 घोडा = घोरा

5- 'आ' के पश्चात् आने वाला 'ह' लुप्त होकर आगे के 'अ' को 'उ' बना देता है। यथा—

चाहत = चाउत
 भवगाहत = भवगाउत

6- आकारान्त शब्द प्राय बुंदेली में ओकारान्त हो जाते हैं। यथा—

घोडा = धौरो
 छोरा = छोरो
 घडा = घरो

7- 'इन' प्रत्यय के लिए बुंदेली में 'नी' हो जाता है। यथा—

घोबिन = घोबिनी
 पनिहारिन = पनिहारिनी

8- बुंदेली वारको में चिह्न भी कुछ बदल जाते हैं। यथा—

कर्त्ता = नैं
 कम सम्प्रदान = को, खी
 भपादान = सैं सो
 अधिकरण = मैं

9- विशेषणों में 'रो' 'रे', 'री' लगाने की भी प्रवृत्ति मिलती है। यथा—

सब = सबरो
 सरे
 सबरी

10- सवनामों में शब्द से अधिक अंतर नहीं है। कुछ उदाहरण देखिए—

मैं से = मेरा, मोरा, मोय
 तू से = तेरो, तोरो तोय
 वह से = उसकी, बाकी

11- क्रिया पदों का रूप बुंदेली में ब्रजभाषा की तरह ही बदल जाता है। सहायक क्रियाओं के लिए प्रयुक्त रूपों के उदाहरण देखिए—

था = हतो

धी = हती

थे = हते

हू = हूँ

है = है

हैं = हैं

गो = गौ

बुंदेली बोली की इन विशेषताओं का दखन से स्पष्ट हो जाता है कि उनका व्रजभाषा से बहुत साम्य है। यही कारण है कि मध्यकाल में बुंदेलखण्ड में जो साहित्य लिखा गया, उसके लिए कवियों ने व्रजभाषा को ही माध्यम बनाया था।

उपभाषाओं की बोलियाँ—

हिंदी की दो उपभाषाएँ हैं—(1) राजस्थानी (2) बिहारी। यहाँ इन दोनों की बोलियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है—

(1) राजस्थानी—

राजस्थानी उपभाषा का प्रारम्भिक रूप हिंदी की डिंगल शैली है जिसमें मध्यकाल तक पर्याप्त साहित्य लिखा गया। चारण साहित्य इसी शैली में मिलता है। क्षेत्रानुसार बोलचाल में इस उपभाषा के निम्नांकित रूप हो गए, जो देहाती क्षेत्र में अब भी मिलते हैं, यद्यपि नगरो में खड़ी बोली हिंदी का प्रचार बढ़ रहा है।

मारवाड़ी—

यह बोली जोधपुर, बीकानेर, जसलमेर पाली, सिरोंही के क्षेत्र में बोली जाती है।

मेवाड़ी—

मेवाड़ इस बोली का मुख्य क्षेत्र है जिसका केन्द्र उदयपुर जिला है।

हाड़ीती—

इस बोली के केन्द्र वृंदा तथा कोटा नामक जिले हैं।

डूँदाड़ी—

इसका केन्द्र जयपुर जिला माना जाता है।

मेवाती—

इसे अहीरवादी भी कहते हैं। झलवर का पुराना राज्य-क्षेत्र इसका केन्द्र है। इस बोली पर खड़ी बोली और ब्रजभाषा का प्रभाव बहुत पाया जाता है।

मातयी—

यह भी हिन्दी की उपभाषा राजस्थानी के अन्तर्गत ही आती है, यद्यपि इसका क्षेत्र राजस्थान के बाहर वर्तमान मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में पड़ता है। इसमें मेवाड़ी का प्रभाव अधिक पाया जाता है।

भीली—

दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में वैसे आदिवासियों में इस बोली का प्रचलन है। पुराने मेरवाड़ा से मंवाड़, डूंगपुर, बासवाड़ा, प्रतापगढ़ और रतलाम आदि तक इस बोली के बोलने वाले पाए जाते हैं। अथ राजस्थानी बोलियों के कई प्रभाव इस बोली पर पड़े हैं और गुजराती भाषा ने भी इसे प्रभावित किया है।

राजस्थानी का भाषा-रूप में विवास—

मध्यकाल तक राजस्थानी बोलियों का साहित्य हिन्दी का ही साहित्य रहा है। आधुनिक काल में राजस्थानी ने एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास किया है। मारवाड़ी बोली इस क्षेत्र में अग्रणी है। हाडौती, जयपुरी और मेवाड़ी मारवाड़ी को एक समृद्ध भाषा का रूप दे रही हैं और इस प्रकार राजस्थानी भाषा हिन्दी से पृथक्-एक साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हो रही है। हिन्दी भाषा के लिए यह मौलिक का ही विषय है कि उसकी एक शाखा अपना स्वतंत्र विकास कर रही है। इससे हिन्दी के राष्ट्रीय स्वरूप के विकास में पर्याप्त योग मिलेगा।

बिहारी—

बिहार क्षेत्र में तीन बोलियाँ प्रचलित हैं—भोजपुरी, मगधी और मैथिली। इन बोलियों का क्षेत्र उत्तरप्रदेश के गोरखपुर और वाराणसी जिलों से आरम्भ होकर बिहार की अन्तिम सीमा तक जाता है। दक्षिणी सीमा छोटा नागपुर तक तथा उत्तरी सीमा हिमालय की तराई तक मानी जाती है। इन बोलियों से ब्रजभाषा की बहुत बातों में समानता मिलती है। यथा, कुछ शब्द देखिये—

भ्रजभाषा	बिहारी	खड़ी बोली
गारी	गारी	गाली
बिटिया	बेटिया	बटी
बुनावत्	बोलावत्	बुलाते
भ्रूर	भ्रउर	भ्रौर
मली	मल्	मला
रहौ	रहल्	रहा

एक भ्रय बोली पहाड़ी बोली—

हिन्दी की ही एक बोली का रूप में वर्तमान हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के कुमायूँ एवं गढ़वाल क्षेत्रों में बस पहाड़ी लोगों की बोली 'पहाड़ी' कहलाती है। इसका शब्द-रूप बहुत सीमित है।

हिन्दी की विविध शैलियाँ—

हिन्दी भाषा एक बृहत्तर क्षेत्र की साहित्यिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भाषा है। इसकी अनेक बोलियाँ और दो प्रमुख उपभाषाएँ हैं, जिनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। साहित्य रचना, लोक व्यवहार, एवं राजकाज में इसका प्रयोग होता है। अतः इसकी कतिपय विशेष शैलियाँ बन गई हैं जिन पर यहाँ विचार किया जाएगा।

हिन्दी शैली—

यह इस भाषा की अपनी शब्दावली और व्यावहारिक प्रयोगों की शैली है। इस शैली में खड़ी बोली का भाषा य है किंतु लोक व्यवहार में बिहारी और राजस्थानी बोलियों की व्याकरणिक विशेषताएँ भी प्रयुक्त होती हैं।

उर्दू शैली—

यद्यपि मध्यकाल में उर्दू हिन्दी के ही एक रूप में विकसित हुई थी। उस समय यह लश्करी हिन्दी मानी जाती थी, किंतु धीरे-धीरे इसमें अरबी फारसी का प्रभाव बढ़ा तथा इसकी लिपि भी भिन्न हो गई। अतः उर्दू एक स्वतंत्र भाषा बन गई। किंतु, अब भी उर्दू की कोई क्रिया अपनी नहीं है, सभी हिन्दी क्रियाएँ हैं। हिन्दी भाषा ने अभी भी उसको एक शैली के रूप में अपने साथ लगा रखा है। हिन्दी के लेखक अभी भी उर्दू शब्दावली ही नहीं, वाक्य रचना तक का अपनी कृतियों में दिल खोलकर प्रयोग करते हैं। हिन्दी के उन्नायस सम्राट प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों और कहानियों में उर्दू को हिन्दी की एक शैली के रूप में प्रयुक्त किया है।

हिंदुस्तानी शैली—

भारत में अंगरेजी भाषा का प्रसार बढ़ने के कारण इस शैली का विकास हुआ। अंगरेजी की शब्दावली का हिंदी में इतना प्रयोग बढ़ा कि कुछ विद्वानों ने उसे हिंदुस्तानी भाषा ही कहना आरम्भ कर दिया था। इसमें अंगरेजी के साथ-साथ भारत की अन्य भाषाओं की शब्दावली भी ली जा सकती थी। आज भी जब अंगरेजी शब्दावली मिश्रित हिंदी का कोई प्रयोग करता है, तो उसे 'हिंदुस्तानी' बोलने वाला कहा जाता है।

दकनी (दक्षिणी) हिंदी शैली—

दक्षिण भारत में मध्यकाल में ही वहाँ की भाषाओं से प्रभावित हिंदी 'दकनी हिन्दी' कहलाने लगी थी। बीजापुर, गोलकुण्डा अहमदनगर, बरार, बम्बई तथा मध्यप्रदेश के दक्षिणी भाग में इसका प्रचार रहा। कुछ लोग इसे हिंदुस्तानी का ही दूसरा रूप मानते हैं तथा कुछ विद्वान इसे खड़ी बोली का रूपान्तर बतलाते हैं। मराठी और गुजराती का भी इस पर प्रभाव पाया जाता है। हिन्दी की यह एक ऐसी महत्वपूर्ण शैली है जिसमें दक्षिण भारतीय लेखकों और कवियों की पर्याप्त गद्य एवं पद्य रचनाएँ मिलती हैं।

रेखता शैली—

“रेखता” शब्द फारसी के “रेखतम्” से बना है। इस शब्द का अर्थ है— बनाना, मिलाना, तोड़ना, रचना। संस्कृत की “रिच” धातु और “रेखतम्” में धातु गत साम्य लगता है। आरम्भ में “रेखता” शब्द का प्रयोग छंद और संगीत के क्षेत्र में होता था। भारतीय तथा फारसी पद्धतियों के मेल से बने छंद “रेखता” कहलाते थे। अमीर खुसरो ने सबसे पहले “रेखता” शैली का प्रयोग करके हिंदी में कविताएँ लिखीं। जैसे—

“जेहाल मस्की मकुन तगाफुल
दुराय नैना बनाए बतियाँ।”

फारसी हिंदी का मिलाजुला यह प्रयोग बोलचाल में भी चलने लगा था तथा इस आरम्भ में अथ अथ की तरह गिरी हुई या अष्ट भाषा कहा जाता था। अंगरेजों के आगमन तक रेखता शैली जीवित रही और बाद में उसके स्थान पर “हिंदुस्तानी” का प्रचार हो गया।

मानक हिंदी और उसकी विशेषताएँ—

प्रत्येक भाषा का एक व्यावहारिक स्वरूप होता है और एक ऐसा परिनिष्ठित स्वरूप होता है, जिसे मानक स्वरूप कहते हैं। हिंदी के व्यावहारिक रूप

तो अनेक है किन्तु टक्सा ही स्वरूप एव ही है। यह रूप पूरुत व्याकरण से अनुमोदित होता है। इसका प्रयोग शिष्ट व्यवहार और साहित्य रचना में किया जाता है। समाचार पत्र तथा विभिन्न विषयों के हिंदी ग्रंथों में मानक हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के माध्यम के रूप में भी इसका ही व्यवहार होता है। राज्यों के आंतरिक सम्बंधों में एक सम्पक भाषा के रूप में मानक हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। यह भाषा का वह स्वरूप है, जिसकी शब्दावली प्रायः बहुप्रयुक्त तथा तत्सम एव व्याकरण सम्मत होती है। दार्शनिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक तथा साम्प्रतिक विचारों की अभिव्यक्ति में मानक हिंदी ही समर्थ होती है।

शब्द समूह—

मानक हिंदी का शब्द समूह अधिकशत तत्सम है। तद्भव शब्दावली भी ऐसी है जो उसकी बहुप्रचलित तथा व्याकरण आदि के नियमों से पूरुत स्थिर हो चुकी है। देशज तथा अग्र भाषाओं के शब्द भी मानक हिंदी में ग्रहण किए जाते हैं, किन्तु उनका व्याकरणिक स्वरूप पूरुत तत्सम प्रयोगों के अनुकूल होता है। सामान्यतः वे शब्द ही बाहर से मानक हिंदी में प्रवेश पाते हैं जिनके पर्याय हिंदी में या तो होते नहीं या उनकी पूरुत अर्थवत्ता सिद्ध नहीं करते। अनेक विषयों के भाषणों, प्रवचना, ग्रांथियों आदि में विद्वानों ने जिस हिंदी शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसे 'मानक हिंदी' की ही शब्दावली कहा जाता है। अंगरेजी में 'स्टैंडर्ड हिंदी' इसी प्रकार के हिंदी प्रयोगों को कहते हैं।

ध्वनिगत विशेषताएँ—

मानक हिंदी में हिंदी ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण एव शुद्ध लेखन का बहुत महत्त्व है। स्वर व्यंजन अनुस्वार विसर्ग आदि का शुद्ध प्रयोग मानक हिंदी की बहुत बड़ी विशेषता है। छंद-रचना में जिस प्रकार ध्वनियों का परिवर्तित रूप चल जाता है, वसा रूप मानक हिंदी में नहीं चल पाता। कारक चिह्नों आदि के प्रयोग में एव त्रिया पदों की रचना में ध्वनियों का शुद्ध प्रयोग हिंदी को मानक रूप देना है। उपसर्ग एव प्रत्ययों के प्रयोग में मानक हिंदी की ध्वनिगत विशेषता सुरक्षित रखी जाती है।

व्याकरणिक विशेषताएँ—

मानक हिंदी का एक निश्चित व्याकरण है। अभी तक स्वयं कामता प्रसाद गुरु द्वारा निर्धारित व्याकरणिक नियमों सब स्वीकार्य रहे हैं। रामचंद्र वर्मा तथा किशोरीदास बाजपेयी ने भी मानक हिंदी के स्वरूप निर्धारण में बहुत योग दिया है। इन्होंने हिंदी के व्याकरणिक प्रयोगों के

विषय में पर्याप्त दिशा-निर्देश दिए हैं। सज्ञा, सवनाम, विशेषण क्रिया, अव्यय आदि के शिष्ट और शुद्ध प्रयोग इन्होंने निर्धारित किये हैं। यद्यपि विकासशील भाषा के व्याकरणिक प्रयोगों में कुछ समय बाद कुछ अन्तर आने लगता है, किन्तु उसके मानक स्वरूप की रक्षा के लिए उस अन्तर को समझना और पूर्ववर्ती व्याकरणिक नियमों की कसौटी पर कसना आवश्यक होता है। हिन्दी के विषय में भी यह बात लागू होनी है। हिन्दी व्याकरण में भी धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन लक्षित हुए हैं, किन्तु वे सबग्राह्य हो जाने पर ही मानक हिन्दी में स्वीकार किए हैं।

लिपि सम्बन्धी विशेषता —

हिन्दी भाषा देवनागरी (या नागरी) लिपि में लिखी जाती है। यह लिपि पूण्यत वैज्ञानिक लिपि है। प्रत्येक उच्चारण को पूण्यत शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने की इस लिपि में बहुत बड़ी क्षमता है। मानक हिन्दी की यह विशेषता है कि वह लिपि की वैज्ञानिकता के अनुरूप शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध लेखन पर निर्भर है। उसके प्रत्येक प्रयोग में लिपि का अनुसरण होता है। सभी स्वर-व्यंजन विसर्ग तथा अनुस्वार ध्वनिया का शुद्ध रूप में लेखनकाय इस लिपि में संपादित होता है। अतः मानक हिन्दी का लिपिबद्ध स्वरूप उसके उच्चरित स्वरूप से भिन्नता नहीं रखता। टकण तथा मुद्रण का वहाना करके कुछ विद्वानों ने देवनागरी लिपि में परिवर्तन सुझाए और उनके प्रयोग भी होने आरम्भ हुए तथा यदा कदा पाठ्य पुस्तकों में भी किए जाने लगे हैं, किन्तु उनसे मानक हिन्दी का स्वरूप विकृत होता है तथा शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अतः लिपि में परिवर्तन करना वाय-सगत नहीं है।

ततीय अध्याय

मानक हिन्दी वतनी की समस्या एव शब्द-प्रयोग

मानक हिन्दी वतनी की समस्या — जैसाकि पहले कहा जा चुका है, हिन्दी एक विशाल क्षेत्र की भाषा है। इस क्षेत्र में बिहार उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सम्मिलित है। इन राज्यों में अनेक बोलियाँ पाई जाती हैं, जिनसे हिन्दी का विकास हुआ है। अपभ्रंश की तदभव-प्रवृत्ति को धीरे धीरे कम करती हुई हिन्दी भाषा सस्कृत की तत्सम प्रवृत्ति से समृद्ध हुई है। इसके विकास का इतिहास लगभग चौदह शताब्दियों तक फैला हुआ है। इस प्रकार क्षेत्र की विशालता तथा काल-क्रम की दीर्घता के कारण हिन्दी की एकरूपता एव वतनी पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। फलतः कुछ ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं, जिनके समाधान योजना आवश्यक हो गया है। ये समाधान हिन्दी भाषियों एव भाषाविदों से पर्याप्त सावधानी की अपेक्षा रखते हैं।

प्रत्येक भाषा शब्द भण्डार एव सुस्थिर व्याकरण से समृद्धि प्राप्त करती है। हिन्दी भाषा के पास इतना शब्द भण्डार है कि वह विश्व की किसी भी समृद्ध भाषा की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध हो सकती है। उसका व्याकरण भी पर्याप्त सुस्थिर है। यह सब होते हुए भी उसकी एकरूपता प्रभावित हो रही है और वतनी की समस्याएँ भी बढ़ती जा रही हैं। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि जब हिन्दी का शिक्षण हिन्दी प्रदेशों में अनिवाय नहीं था, तब उसकी एकरूपता और वतनी की उतनी समस्याएँ नहीं थी, जितनी समस्याएँ उनकी अनिवाय शिक्षा के प्रसार के बाद बढ़ी हैं। इसके कई कारण हैं।

राजनैतिक कारणों से आजादी के बाद यह प्रचार हर प्रांत में बराबर किया जा रहा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। यह प्रचार गलत नहीं है। हिंदी-प्रदेशों की मातृभाषा हिंदी है, किन्तु वह मातृ-बोली नहीं है। बोली के उच्चारण में हम अपनी क्षेत्रीयता सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र हैं, किन्तु जब बोली भाषा बनती है, तब उसको एक सुस्थिर व्याकरण का आधार लेना पड़ता है तथा क्षेत्रीय बोलीगत विभिन्नताएँ त्यागनी पड़ती हैं। यह त्याग किए बिना कोई भी भाषा समृद्ध नहीं हो सकती। हिंदी की समृद्धि के पीछे यही त्याग रहा है। हिंदी प्रदेशों की सभी बालियों ने क्षेत्रीयता अपने तक सीमित रखकर अपनी शब्द-सम्पदा तथा व्याकरणिक निष्ठा का हिंदी को प्रवदान दिया है।

शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ राजनैतिक कारणों से आजादी के बाद जब से यह धारणा फैलाई गई कि हिंदी हमारी मातृभाषा है अतः हम उसे चाहे जैसे बोलें लिखें, तब से हिंदी की एकरूपता को खतरा पैदा हुआ है और वतनी की समस्याएँ बढ़ गई हैं।

जब किसी का हिंदी शब्दों और वाक्यों की एकरूपता या वतनी के विषय में सचेत किया जाता है तब यह विराधी स्वर तेज हो जाता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम जैसे बोलते हैं वही शुद्ध है। एक अन्य कारण यह नारा भी है कि हिंदी में जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है। वस्तुतः यह नारा उल्टा बना दिया गया है। सही स्थिति यह है कि हिंदी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। इसका कारण यह है कि हिंदी की लिपि 'देवनागरी' बहुत वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि में जितनी ध्वनियों को अंकित करने के लिए चरण हैं उतने सप्तार की किसी अन्य लिपि में नहीं हैं। सप्तार की सभी भाषाएँ भारत की उन भाषाओं से ईर्ष्या करती हैं जिनमें नागरी लिपि का प्रयोग होता है। यश-युग की सम्म्यता ने जहाँ भाषाओं को बिगाड़ा है, वही लिपियों को बिगाड़ना भी आरम्भ कर दिया है। जो देश अंगरेजों के उपनिवेश रहे हैं वहाँ-वहाँ की भाषाएँ भी अंगरेजी भाषा का उपनिवेश बन गई हैं और जैसा तथा जिस दिशा में अंगरेजी भाषियों ने चाहा है उन देशों की भाषाओं और उनकी लिपियों को नष्टाया है। यह ठीक है कि भारत राजनैतिक दृष्टि से हजार वर्षों तक गुलाम रहा किन्तु उसकी भाषाएँ और लिपियाँ इस दीर्घावधि में भी स्वतंत्र रही थीं। किन्तु आजादी के बाद भारत की सभी भाषाएँ और लिपियाँ अंगरेजों की गुलाम बन गई हैं। यह कथन विचित्र अवश्य लगता होगा, किन्तु एक ऐतिहासिक सत्य है। इसी सत्य ने हिंदी की एकरूपता और वतनी को प्रभावित किया है तथा देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की है। क्या

जाता रहा है कि देवनागरी लिपि टकण के अनुकूल बनाई जा रही है, मुद्रण में सुविधाएँ पैदा की जा रही हैं। किन्तु परिणाम बहुत घातक हुए हैं। य सभी परिणाम हिन्दी भाषा की एकरूपता के निरन्तर ह्रास तथा वतनी की बढ़ती हुई समस्याओं के रूप में प्रतिफलित हो रहे हैं।

मैंने आरम्भ में बताया है कि हिन्दी क्षेत्र की बोलियों में आघार पर विकसित हिन्दी व ही बोलियों की ओर लौटाई जा रही है, जो घातक स्थिति है। किसी शब्द का उच्चारण सभी बोलियों में समान नहीं हो सकता। यदि समान होने लगे तो फिर वे बोलियाँ ही क्या रहें? फिर तो वे एक भाषा ही बन गईं। किन्तु जब वह शब्द उन बोलियों से विकसित भाषा में आता है, तब उसे क्षेत्रीय प्रभाव छोड़ देना पड़ता है। 'तम' को किसी हिन्दी बोली में 'तम' बोल सकते हैं किन्तु हिन्दी भाषा में उस बोली वाले व्यक्ति को 'तुम' बोलने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। इसी अभ्यास का नाम शिक्षा है। अगर 'शर्मा जी' को 'सर्माजी' या 'सरमा जी' बोलने की छूट यह कहकर दी जाए कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हम जो बोल रहे हैं वही शुद्ध हिन्दी है तो यह आत्मघाती प्रयास होगा। दुःख है कि ऐसे प्रयास बहुत हो रहे हैं। हम शब्द के स्रोत को भूल कर स्थानीय उच्चारण को ही प्रमाण मानकर हठ करते हैं कि 'अञ्जलि' नहीं 'अजली' शुद्ध है। 'अ तर्पान' को 'अनर्पान' बना देते हैं। 'रचयिता' 'रचियता' हो जाता है और 'स्वर्गीय महादेवीजी' 'सरगीय महादेवी' हाकर कवयित्री से 'कवियत्री' बन जाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई अपनी नासिका पर भी थोड़ा ज्यादा बल देकर उन्हे 'कवियत्री' बना डाल। बहुवचन के बहुध्रुव और 'मित्रो' को हटा ही चुके हैं। 'शाप' को 'श्राप' बना दिया गया है और 'रखा चला' जैसे शब्द 'रक्खा' और 'चक्खा' बन गए हैं। इस प्रकार प्राचीन उच्चारणों की स्वतन्त्रता इतनी बढ़ती जा रही है कि आज यह कहना एक खतरा उठाना बन गया है कि अमुक शब्द शुद्ध नहीं, अमुक शुद्ध है।

टकण यंत्र की सुविधा के लिए लिपि की जो काट छाँट हुई है तथा मुद्रण में उसका जो अनुकरण आया है, उसमें सुविधावाद इतना बढ़ गया है कि अंगरेजी की तरह शब्द की वतनी कुञ्च होती जा रही है और उच्चारण कुछ होता जा रहा है। अब आप किसी तारघर में धातू को 'हंस मुख' नहीं 'हस मुख' देखते हैं क्योंकि उसके पीछे दीवार पर ऐसी ही तस्ती लटक रही होती है।

समस्या शब्दों की ही नहीं वाक्यों की रचना पर भी अनेक प्रभाव पड़े हैं और गुलाम रहे देश की आजाद हिन्दी ने बिहार से जैसलमेर तक तथा शिमला

से रायपुर तक वाक्यों के स्वरूप में इतने अंतर पैदा कर दिये हैं कि ग्रहिणी भाषी की समझ में ही नहीं आ पाता कि वह हिन्दी के नाम पर किस वाक्य को किस प्रकार लिखे और किस प्रकार पढ़। चलचित्र और दूरदर्शन की मेहरबानी इतनी बढ़ गई है कि हिन्दी हिन्दी न रह कर या तो अंग्रेजी बनती जा रही है या वह बंगला और पंजाबी की खिचड़ी हो गई है। कोई 'तुमने कहाँ जाना है?' पूछता है तो कोई 'हमने उत्तर नहीं देना माँगता।' कह कर पीठ फेर लेता है। यदि इन महाशयों से कहिये कि कपा करके हिन्दी भाषा को मत बिगाड़िये, ताब अपने बहुमत की घगकी दिखाते हैं और यह कह कर आखे तरार लेते हैं कि 'ओ बाबू! हिन्दी तम्हारी ही जवान नहीं है।'

प्रश्न यह रह गया है कि हिन्दी का भाषी स्वरूप क्या होगा? क्या वह एक भाषा के रूप में जीवित रह पायगी या कभी बालियों की कबड्डी में और कभी अय प्रदेशों की भाषाओं में घुलमिल कर अपना अस्तित्व ही खो देगी? सबसे बड़ा खतरा उनकी एकरूपता और बतनी के लिए अंग्रेजी की छाया में दिखाई देता है। गुप्तजी गुप्ताजी हुए, मिश्र मिश्रा, अशोक अशोका और रामजी-रामाजी ताब क्यो हुए? अंग्रेजी ने चाहा इसीलिए तो! पिता जाने थे अब पिता जाता है और माब अम्मा तो थी, पर अब मम्मा हो गई है। ऐसी जो भीषण स्थितियाँ हिन्दी भाषा की एकरूपता और बतनी के माय में आ रही हैं, उन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की भावश्यकता है और यह देखने की स्थिति आती जा रही है कि कही ज्ञान की खिचकियाँ खारत-खोलते हम बुद्धि के दरवाजे ही बन्द न कर डालें।

मानक हिन्दी के ज्ञान के लिए इस प्रकार की समस्याओं को समझ लेना बहुत भावश्यक है। यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, जिनसे उनके शुद्ध रूपा की पहचान का अभ्यास हो सके। पद या वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग, समान लगने वाले शब्दों के अर्थांतर पर्याय, विलोम आदि का ज्ञान हो जाने पर भाषा प्रयोग सम्बन्धी अनेक समस्याएँ दूर हो सकती हैं। आगे के कुछ पृष्ठों में इन्हीं विषयों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं।

शब्दों के शुद्ध रूपों की पहचान

अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
अनाधिकार	अनधिकार	छमा	क्षमा
अध्यात्मक	आध्यात्मिक	जेष्ट	ज्येष्ठ
अनिष्ट	अनिष्ट	जोतसना	ज्योत्स्ना
अध्ययन	अध्ययन	दाइत्व	दायित्व
अनुयाई	अनुयायी	पृष्ठ	पुष्ट
अस्थान	स्थान	प्रष्ट	पृष्ठ
अनुग्रहीत	अनुग्रहीत	प्रसशा	प्रशसा
अतर्धान	अन्तर्धान	पूज्यनीय	पूजनीय
आकाछा	आकाशा	प्रशा ^२ /परशाद	प्रसाद
ईर्षा	ईर्ष्या	प्रथक	पृथक्
उपरोक्त	उपयुक्त	प्रदर्शनी	प्रदर्शनी
उभ्र खन	उच्छ्र खल	फाल्गुण	फाल्गुन
कृपा	कृपा	वृज	व्रज
ऐक्यता	एकता, ऐक्य	वजभापा	व्रजभापा
कवियत्री	कवयित्री	महत्व	महत्त्व
कैलाश	कलास	महात्म	माहात्म्य
कनिष्ठ	कनिष्ठ	महगा	महगा
कृत्यकृत्य	कृतकृत्य	यथेष्ट	यथेष्ट
क्षत्र	छत्र	लच्छन	लक्षण
क्षात्र	छात्र	व्याहार	व्यवहार
छत्रिय	क्षत्रिय	वागमय	वाङ्मय
गरुण	गरुड	वास्तविक मे	वास्तव मे
गरिष्ठ	गरिष्ठ	सत्पुष्ट	सत्पुष्ट
गौड	गौर	सग्रहित	सग्रहीत
घनिष्ठ	घनिष्ठ	समान	सम्मान
चिह्न	चिह्न	सिध	सिंह
स्थाई	स्थायी	पष्ठम	षष्ठ
साप्ताहिक	साप्ताहिक	स्ययवर	स्वयवर
समुद्रिक	सामुद्रिक	हस्ताक्षेप	हस्तक्षेप
समाप्त	समाप्त	हितैशी	हितैषी
शगर	शृगार	हितैच्छुक	हितैच्छु

मानक हिं दी में पद या वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग

यहाँ कुछ ऐसे पद या वाक्य प्रस्तुत हैं जिनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है —

धालोचना करने वाला
 जिसको आश्वासन दिया जा चुका है
 रुपये पैसे से सम्बन्धित
 ऊपर चढ़ने वाला
 अत्याचार करने वाला
 जिसकी इच्छा की जाय
 किसी वस्तु से परे
 इतिहास जानने वाला
 जिसने इन्द्रियो को जीत लिया है
 इन्द्रियो से परे
 जिससे ईर्ष्या की गयी हो
 ईर्ष्या के योग्य
 उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील
 जिस पर उपकार किया गया हो
 उत्तेजित कर देने वाला
 स्मृतिस्वरूप दी जाने वाली भेंट
 उदाहरण के रूप में रखा हुआ
 जिसका चरित्र उदार है
 ऊपर लिखा हुआ
 किसी की हँसी उड़ाना
 जिसकी उन्नति हो चुकी हो
 ऊपर कहा हुआ
 क्रमशः अधिक होता है
 जिसकी उपेक्षा की गयी हो वह पुरुष
 जिसकी उपेक्षा की गयी हो वह स्त्री
 घड़े वगैरे में उत्पन्न
 उल्लेख के योग्य
 अत्यन्त रूपवती स्त्री
 रूप से पैसा कमाने वाली स्त्री

आलोचक
 आश्वस्त
 आर्थिक
 आरोही
 आततायी
 इच्छित
 इतर
 इतिहासज्ञ
 इन्द्रियजित जितेन्द्रिय
 इन्द्रियातीत
 ईर्षित
 ईर्ष्य
 ईर्ष्या
 उपकृत
 उत्तेजक
 उपायन
 उदाहरणाथ
 उदारचरित
 उपरिलिखित
 उपहास
 उन्नत
 उपयुक्त
 उत्तरोत्तर
 उपेक्षित,
 उपेक्षिता
 उच्चकुलोद्भव
 उल्लेख्य उल्लेखनीय
 रूपसी
 रूपाजीवा

रचना करने वाला
 रचना करने वाली
 निर्माण प्रधान कायत्रम
 जिस स्त्री को मायिक धम हो
 जिसको देखकर या गुनकर रागट सडे हा जायें
 पून की तरह साल
 जो खाली हो चुका हो
 सस्कार और परम्परा द्वारा प्राप्त
 जिसकी रक्षा की जानी चाहिये
 जो रूप के प्रति आसक्त हो
 जो नया-नया भरती हुआ हा
 राष्ट्रसम्बन्धी
 राष्ट्र की उन्नति
 किसी वस्तु को अपने भीतर से निवाल फेंकना
 अभिनय द्वारा जीविषा प्राप्त करने वाला
 हिसाब किताब लिखने वाला
 जो लिखना चाहिये
 लोक से सम्बन्धित
 लोहे के समान कठोर और दब पुरुष
 चेहर की लुनाई
 जिसका पट लम्बा हो
 पाने की इच्छा
 ग्रामीण जनता के बीच गाया जाने वाला गीत
 बड़े को छोटा करना
 जिसकी बुद्धि छोटी हो
 उपवास लिखने वाला
 ऊपर की ओर जाने वाला या मुखवाला
 जिस घरती में कुछ नहीं उपजे
 दिन भर भ एक बार भोजन करत वाला
 इस प्रकार की
 जिसमे किसी एक ही अंग पर जोर दिया गया हो
 जिसका ध्यान एक ही वस्तु पर लगा हो
 भौतिक मुख सुविधा, समृद्धि से युक्त

रचयिता
 रचयित्री
 रचनात्मक कायत्रम
 रजस्वला
 रोमांचकारी
 रत्तिम
 रिवत
 परम्परागत
 रक्षणिय
 रूपासक्त
 रगहट
 राष्ट्रीय
 राष्ट्रोन्नति
 रेचन
 रगोपजीवी
 सखापान
 लेश्य
 लौकिक
 लोह पुरुष
 लावण्य
 लम्बादर
 लिप्ता
 लोकगीत
 लघ्वीकरण
 लघु बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि
 उपवासकार
 उध्वमुखी
 ऊपर (अनुवर)
 एकाहारी
 एतादशी
 एकापी
 एनाम
 ऐश्वर्यशाली

भोग विलास करने वाला
 एकता की भावना
 इच्छा पर निभर
 बहुत अधिक दान देने वाला
 उद्योग से सम्बन्ध रखने वाला
 जो पसा खच करने में कजूसी कर
 जो किसी काय में लगा हुआ हो
 काम करने वाला
 धाडा सा
 किसी काय में प्रवीण
 किसी वस्तु को जानने की इच्छा
 कण्टका से घिरा हुआ
 फासे का बना हुआ बतन
 लकड़ी की सुन्दर वस्तुएँ बनाने की कला
 कट देने वाला
 जो यह निराय नहीं कर पाया कि क्या करना चाहिए
 जिस पर सवारी की जाय
 बहुत अधिक खच होन पर जो हाँ सके
 व्यय की बहस
 बहस करने वाला
 चक्षु जानने वाला
 बहुत पढी लिखी स्त्री
 जो डिग चुका हो
 बिल्कुल भटका हुआ पागल जैसा
 दूसरी जाति का
 बहुत अधिक घृणा
 जो बाँट दिया जा चुका हो
 बहुत अधिक फैला हुआ
 जिसके हाथ में बज्र हो
 जिसके हाथ में बीणा हो
 जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हो
 जिसका कोई अंग टेढा मेढा या कटा हुआ हो
 जिसका धरुण नहीं किया जा सके

ऐय्यास, भोगी
 ऐक्य
 ऐच्छिक
 ओडरदानी
 औद्योगिक
 कृपण
 कत्तव्यरत
 सक्रिय, कमशील
 किञ्चित
 कुशल, दक्ष
 कुतूहल, जिज्ञासा
 कण्टकाकीर्ण
 कास्य
 काष्ठ कला
 कण्टप्रद
 किञ्चित्त्व्यविमूढ
 वाहन
 ध्ययसाध्य
 वितडावाद
 विवादो
 वेदज्ञ
 विदुषी
 विचलित
 विभ्रात
 विजातीय
 वितृष्णा
 वितरित
 विस्तृत
 वज्रपाणि
 बीणापाणि
 विख्यात
 विकलांग
 बणनादीत

जो बचन से परे हो
 जो व्याकरण जाता हो
 जिसकी नजर सीपी न हो
 व्याख्यान करने वाला व्याख्यात को वासा
 व्यवसाय से सम्बन्धित
 जो किसी रिषय का विशेष ज्ञान रखता हो
 जिसके कथे बस की तरह मजबूत हो
 विद्या ही जिसका रखत हो
 जिसमें वस्तु की ही प्रधानता हो
 जो बालिक हो चुका हो
 जिसका विनापन प्रकाशित हो चका हो
 जो गाया नहीं गया हो
 बैचैनी का भाव
 जो चाहा नहीं गया हो
 जो बातें कही नहीं गयी हैं
 जो सब सहा नहीं जा सके
 जो गिना नहीं जा सके
 जिसका पार नहीं पाया जा सके
 किसी आघार पर टिका हुआ
 नीचे की ओर जिसका मुँह है
 बहुत अधिक
 लालन पालन देखभाल करने वाला
 जो पहले कभी सुना नहीं गया
 जिसका जन्म नहीं हुआ
 जिसको नहीं खाना चाहिये
 जिसका शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ
 आगे-आगे चलने वाला
 आगे आगे सोचने वाला
 बहुत दूर तक नहीं देखने वाला
 कठ तक डूबा हुआ
 सिर से पैर तक
 हिमालय से सेतुबन्ध (रामेश्वरम) तक
 जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है

बचनातीत
 वैवाकरण
 यत्र-ट्टि
 व्याख्याता
 व्यावसायिक
 विशेषज्ञ
 यथमस्वय
 विद्याध्यसनी
 वस्तुनिष्ठ
 वयस्व
 विनापित
 प्रगीत
 प्रबुनाहट
 प्रनचाहा
 प्रनकही
 प्रसहय
 प्रगणित, प्रनगिनत
 प्रपार
 प्रवलम्बित
 प्रघोमुख
 प्रघोमुखी
 प्रतिशय
 अनिभावक
 प्रश्रुतपूर्व
 प्रज मा अज्ञात
 प्रलाद्य
 अज्ञातशत्रु
 प्रप्रसर
 प्रप्रसोची
 अदूरदर्शी
 प्राकृठनिमग्न
 प्रापादमस्तक
 प्रसतु हिमालय
 प्रास्तिक

अतिथि-सत्कार की भावना।
 किन्ही आघार पर निमित्त
 ईश्वर, घम दशन, आत्मा मे रुचि रखने की प्रवृत्ति
 अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजो की सभ्यता का प्रभाव
 जिसकी आलोचना की जाय
 जिसकी आलोचना की जा चुकी है
 जो नहीं जानता है
 जो परिचित नहीं है
 जो स्थिर नहीं है
 जिसके शरीर पर मांस है ही नहीं केवल हड्डी
 ही बच गयी है
 जिसे देखा नहीं जा सकता, नहीं देखा गया
 जो पूरा नहीं हुआ है
 जिसके हाथ मे अधिकार है
 जिस पर अधिकार प्राप्त किया जा चुका है
 बहुत अधिक परिश्रमी और लगनशील व्यक्ति
 जिसका अपमान हो चुका है
 जिसका आदर नहीं हुआ
 जो प्रकाशित नहीं हुआ है
 हिसाब किताब की जाँच करना
 जिसको पार किया जा चुका है
 जिसको जीता नहीं जा सकता
 जिसको पार करना प्राय असम्भव है
 जो तप्त नहीं हुआ हो
 जो किसी समा या सस्था का प्रधान हो
 जो डिग नहीं सकता
 जिसकी याह लगाना कठिन है
 जिसका मूल्य नहीं दिया जा सकता
 जिसकी तुलना नहीं की जा सकती
 'हाँ-ना' का नियम नहीं हो पाना
 जिसका नियम नहीं हुआ हो
 कड़वी बातें बोलने वाला
 मुनियो द्वारा पहनी जाने वाली लँगोटी

आतिथ्य
 आधृत
 आध्यात्मिक प्रवृत्ति
 आंग्ल प्रभाव
 आलोच्य
 आलोचित
 अनजान
 अपरिचित
 अस्थिर

अस्थिशेष, ककाल
 अदृश्य, अदृष्ट
 अपूर्ण अधूरा
 अधिकारी
 अधिकृत
 अध्ववसायी
 अपमानित
 अनानृत
 अप्रकाशित
 अकेक्षण
 अतिनात
 अजेय
 असम्भवप्राय
 अतृप्त
 अध्वक्ष
 अडिग
 अथाह
 अमूल्य
 अनुलनीय
 असमजस
 अनिर्णीत
 कटुभाषी
 कोपीन

जिनका स्वाद कमला हा
 भलग भलग कोटियों में डालन की त्रिया
 विवाह के पूव की प्रवस्था
 जो राग भोग में मस्त रहता हा
 जो पुण्यत्व-हीन हो
 जो कुशल की अभिलाषा करता हा
 अधिप राज करने वाला
 भाकाश में उठने वाला
 राहग धारण करने वाली स्त्री
 सोन करने वाला
 खान योग्य
 दूर देखने का यंत्र
 भपना ही स्वाध देखन वाला
 जो गुप्त रखना चाहिए
 गाय की पूँछ की तरह
 गायों की जमाव या बैठन की जगह
 जो गलत रास्ते पर चल रहा हा
 राजा पीने का भ्रम्यस्त
 बहुत अधिक गर्व करने वाला
 जिसकी भ्रूल बड़ी तेज हो, जो छोटी छोटी वस्तुभा
 को भी शीघ्रता से देख लेता हा
 गाने वाला
 गर्मी की छुट्टियाँ
 किसी ध्वनि से गुँजा हुआ
 समुद्र में गोता लगाने वाला
 जिसकी निंदा की जाती हो
 घरबार की चिन्ता और परिवारों के सदस्यों के
 उचित कर्तव्य का भाव
 धरणा के योग्य
 चलने-फिरने वाला
 जल में चलने वाला
 बीभत्सता का भाव
 जानने की इच्छा रखन वाला

कापाय
 कोटिकरण
 कोमार्यावस्था
 कामी
 कवीर
 कुशलाभिलाषी
 सचोवा
 सेनर
 सद्गधारिणी
 सोजी
 खाद्य
 दुर्बान
 स्वार्थी
 गोपनीय, गोप्य
 गापुच्छवत्
 गोष्ठी, गोष्ठ
 गुमराह
 गजेडी
 गप्पी
 गृह दृष्टि
 गायक
 शोष्मावकाश
 गुँजायमान
 गोताखोर
 गहित
 गार्हस्थ्य
 जघम
 जगम
 जलचर
 जुगुप्सा
 जिज्ञासु

जीतने की इच्छा
 जिसन इ द्वियो को जीत लिया है
 बेटी का पति
 भगडा करने वाला
 झमेला करने वाला
 टाइप करने की त्रिया
 टाइप करने वाला
 चाल-ढाल का बनाव गीपन जिपसे रूप-धन आदि
 का गव सूचित हो
 ठंके का काम करने वाला
 जिसको देखकर डर लग
 व्यथ का प्रपच
 किसी काय को मुस्तैदी के साथ करने वाला
 ऐसी फमल जिससे तेल निकाला जाता है
 तैरने की बला में निपुण
 किसी नदी या सागर के तट पर स्थित
 जो किसी का पक्ष न ले
 तप करने वाला
 जो सब कुछ छोड़ दे
 छोड़ देन योग्य
 जिसको छोड़ दिया गया हो
 तेज स युक्त
 हाथ की सिलाई
 तीर चलाने में कुशल
 तैरने की इच्छा
 किसी वस्तु का चौथा हिस्सा
 चिन्ता में डूबा हुआ
 जिसके हाथ में चक्र हो
 चपल होने का भाव
 चपलता का भाव
 राजाओं और सामन्तों के पीछे चलने वाला और
 उनका गुणगान करने वाला
 चरित्र की उच्चता

जिगीषा
 जितेन्द्रिय
 जामाता
 भगडालू
 झमेलिया
 टक्का
 टक्क
 ठंकेदार
 डरावना, भयानक
 खाखला
 तत्पर
 तिलहन
 तैराक
 तटवर्ती
 तटस्थ
 तपस्वी
 त्यागी
 त्याज्य
 त्यक्त
 तेजस्वी
 तुरपाई, तुरपन
 तीर-दाज
 तृतीयार्थ
 चौथ
 चिन्तित
 चक्रपाणि
 चापल्य
 चापल्य
 चारण
 चारित्र्य

धुएँ से भरा हुआ
 मटमैले रंग का
 बाड़ी सिगरेट, तम्बाकू आदि पीना
 धारण करने वाली
 घसली का उल्टा
 जो नकल करता है
 नगर में रहने वाला
 नरक सम्बन्धी
 तत्व जानने वाला
 जिसमें कोई सार न हो
 खूब मोटा आदमी जिसका बदन खूब मुलायम हो
 बड़े लोगों को भेंट में दी जाने वाली धनराशि
 जो दूसरों को रुपया पैसा देता हो
 सक्तीर्ण विचारों का व्यक्ति
 दो पैरों वाला जानघर
 दस मुँह वाला रावण
 जिसको दबाना कठिन हो
 जिसको लाँघना कठिन हो
 जिसका दो बार जन्म हुआ हो
 जिसका दमन किया गया हो
 जिसको रौंदा गया हो
 जिसको समझने में कठिनाई हो
 जिसकी करने में कठिनाई हो
 रोज-रोज के जीवन से सम्बद्ध
 प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार चित्र
 देह से सम्बद्ध
 देवताओं से सम्बद्ध
 एक विशेष प्रकार से देखना
 आँसू की बीमारी
 धमकता हुआ
 जिसे दुहा जा चुका हो
 जिसको दण्ड दिया जा चुका हो
 जिस काय में सफलता पाना कठिन हो

धूमाच्छादित
 घूसर
 धूम्रपान
 धारयित्री
 नकली
 नकलची
 नागरिक
 नारकीय
 तत्वज्ञ
 थोथा, निस्तार
 थुलथुल, मोट्ट
 थैली
 दानी, दाता
 दकियानूस
 द्विपद
 दसानन दशमुख
 दुदम्य
 दुर्लभ्य
 द्विज
 दमित
 दलित
 दुर्वोध
 दुष्कर
 दैनन्दिन
 दैनिक
 दंष्ट्रिक
 दैविक
 दृष्टिकोण
 दृष्टिदोष
 दीप्त
 दोहित
 दण्डित
 दुःसाध्य

जो बहुत बड़ा नहीं है
 जो आसानी से भुंकाया जा सके
 सुबह शाम किया जाने वाला हल्का भोजन
 जो किसी से डरता नहीं है
 जिस ईश्वर पर विश्वास नहीं है
 जो अभी-अभी आया है
 जो तुरंत उत्पन्न हुआ है
 जिसका तुरन्त उदय हुआ है
 रात में चलने वाला राक्षस
 आकाश में चलने वाला
 जो निर्देश देता है
 जिसकी जड़ नहीं है
 जिसकी उपमा न हो
 बिना पलक गिराये,
 जो नीति जानता है
 मनुष्यों में नीच
 जो वस्तु देवता पर चढ़ चुकी है
 नवविवाहिता स्त्री
 जिसको पीने की इच्छा हो
 जो पिमा जा सके
 जो पचा दे
 जिस वक्ष या भवन में भोजन बनता हो
 जिसके आर पार दिखाई दे
 जो स्वीकृत किया जा चुका हो
 केवल पल खाकर रहने वाला
 जिस आदमी के कपड़े फटे-चिथे हो
 परिणाम का मोह रखने वाला
 जिसकी किस्मत खराब हो
 जिसे कोई तमीज न हो
 जोरो की भूख
 बहुत जानने वाला
 बहुत प्रकार के रूप धारण करने वाला
 बहुत से लोगों की एक राय

नातिदीघ
 नमनीय
 नाशता, कलेऊ, बियालु
 निर्भीक
 नास्तिक
 नवागतुक
 नवजात
 नवोदित
 निशाचर
 नमचर, नमचारी
 निर्देशक,
 निर्मूल
 अनुपम
 निर्निमेष
 नीतिज्ञ
 नराधम
 निर्मल्य
 नवोडा
 पिपासु
 पेय
 पाचक
 पाकशाला
 पारदर्शी
 पारित
 फलाहारी
 दरिद्र, फटेहाल
 फलासक्त
 बदकिस्मत, बदनसीब
 बदतमीज
 धुमुका
 बहुत, बहुविद्
 बहुरूपिया
 बहुमत

वन का पशु
 नि सन्तान स्त्री
 बहुत अधिक बोलने वाला
 बहुत सी भापायें जानने वाला
 समुद्र की घ्राण
 जिस समाज में बहुत सी पत्नियाँ रखी जाती हैं
 वध करने वाला
 कायदे के साथ
 जिसने बहुत सुन रखा है
 जो एक ही साथ बहुत काम करता हो
 बहुत अधिक मूल्य वाली वस्तु
 बाधा डालने वाला
 वच्चा के काम की वस्तु
 नहीं पचने की बीमारी
 बाप द्वारा भ्रजित अपनी सम्पत्ति
 बहुत अधिक जिसकी चर्चा हुई हो
 विचित्र आकार-प्रकार का
 किसी विशेष भवसर पर या विशिष्ट सामग्री के
 साथ प्रकाशित किसी पत्रिका का अंक
 एक स्थान पर केन्द्रित शक्तियाँ और अधिकारों को
 प्रमश बाँट देना
 जो बिल्कुल बिखर गया हो
 जिसको ग्रहण करना अपने मन पर हो
 बिल्कुल प्रतिकूल होने का माध
 जिसकी किरणें फैल चुकी हो
 जो पार कर चका हो
 किसी विषय की पूरी ध्यानबीन करना
 जिसका आकार बिगड़ चुका हो
 जिसका रूप बिगड़ चुका हो
 जो सपना नहीं हो सका हो
 किसी विषय का गूँड गूँड कर अध्ययन
 जो बहुत अधिक घना हो
 जो बिल्कुल मुग्य हो चुका हो

वनैला
 वध्या
 बातूनी व
 बहुभाषावि
 बडवाग्नि
 बहुपत्नीसम
 अधिक
 बाकायदा
 बहुश्रुत
 बहुघधी
 बहुमूल्य
 बाधक
 बालोपयोगी
 बदहजमी
 बपीती
 बहुचर्चित
 बेडोल

विशपाक

विषयस्त
 विषयस्त
 बैकल्पिक
 यैपगीरय
 विकीरण
 पारगत
 मीमांसा
 विवृत
 विरूप
 विपल
 विरनेपरण
 विश्रान्त
 विमग्य

जो काम वासना मे लिप्त रहता हो
 जो अपने स्थान से हटा दिया गया हो
 जो सदा रहे
 सोने का कमरा
 शिक्षा से सम्बन्धित
 बचपन की अवस्था
 पवत की बेटी
 पवतो की कतार
 शास्त्र से सम्बन्धित
 जिसको शाप दिया जा चुका हो
 शरण में आया हुआ
 जो दूसरो से आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है
 एक आयोजित बाजार जहाँ विभिन्न प्रकार की
 वस्तुओं का प्रदर्शन और क्रय विनय होता है
 कालेज का प्रधान
 प्रार्थना करने वाला
 जो दूसरो पर आश्रित हो
 जो दूसरो के अन्न पर पलता हो
 गिरा हुआ
 जो दूसरो की मलाई चाहता है
 दूसरे लाख का
 जो पार जा चुका है
 जो आँखों के सामने है
 जो आँखों से ओझल है
 पिता का भाई
 प्रकृति सम्बन्धी
 पुण्य का गुण
 विशेष रूप से उन्नीत
 प्राप्त करने की इच्छा
 देखने योग्य
 प्रसन्न करने के लिए
 बेमतलब का खर्च करने वाला
 बेमतलब का, अक्षय

विषयी
 विस्थापित
 शाश्वत
 शयनागार
 शै-शैणिक
 शैशव
 शैत-सुता
 शैल-श्रेणी, शैलमाला
 शास्त्रीय
 शापग्रस्त
 शरणार्थी
 प्रतिस्पर्द्धी
 प्रदर्शनी
 प्राचाय
 प्रार्थी
 पराश्रित
 पराश्रितभोजी
 पतित
 परमार्थी
 पारलौकिक
 पारगत
 प्रत्यक्ष अपरोक्ष
 पराक्ष
 इतिवृत्त
 प्राकृतिक
 पुरुषत्व
 प्रोनीत
 प्राप्ति लालसा
 प्रेक्षणीय
 प्रीत्यय
 फिजूलखर्च
 फालतू

फला हुआ
 फेन से मरा हुआ
 गदन में फटा डाल लटकाए जान वाली सजा
 मूखे रह कर भी मस्त रहना
 जो सिर पर धारण करने योग्य हो
 शक्ति का उपासक
 शांति का दूत
 शत्रुघ्नो का नाश करने वाला
 वह कमल जिसमें सौ दल हो
 पवत का शीषभाग
 जिसका आचार-विचार शीलयुक्त हो
 जो कल्याणकारी नहीं है
 जो दूसरों पर सन्देह करता है
 जो हो सके जो किया जा सके
 जिसके पास बहुत अधिक शक्ति हो
 जिस पर शासन किया जा चुका हो
 दो विद्वानों के बीच गम्भीर विवाद
 शास्त्र जिसका समर्थन करे
 चीठ फाड़ द्वारा की जाने वाली चिकित्सा
 जहाँ न अधिक ठंड लगे न अधिक गर्मी
 जाड़े की धूप
 शब्द को लक्ष्य बनाकर बोलने वाला
 मूल मूल त्यागने का स्थान
 श्रद्धा के योग्य
 जिसके माँ-बाप विभिन्न जातियों के हों
 जो बिल्कुल निकट हो
 जो सह सके
 जिसका प्रेम न टूटे
 जहाँ कई पदार्थों की सधि हो
 विभिन्न कालों की सधि
 जहाँ एक ही शब्द के अनेक रूप विभिन्न
 प्रतिलिपियों में पाये जायें
 अधिपार प्राप्त वक्ता

फलित
 फेनिल
 फासी
 फाकामस्ती
 शिरोघाय
 शान्त
 शांतिदूत
 शत्रुघ्न
 शतदल
 शिखर
 शीलवान्
 शिवेतर
 शकालु, शक्की शक्य
 सम्भव
 शक्तिपुत्र
 शासित
 शास्त्राय
 शास्त्र-सम्मत
 शल्य चिकित्सा
 शीत-ताप नियंत्रित
 शीतातप
 शब्द-बेधी
 शौचालय
 श्रद्धेय, श्रद्धास्पद
 सक्कर
 सन्निकट
 सहिष्णु, सहनशील
 सतत, निरन्तर
 सधि-स्थल
 सधियाल

पाठान्तर
 प्रवक्ता

पिता की हत्या करने वाला
 कीचड़ से उत्पन्न कमल
 प्रिय बोलने वाली स्त्री
 पूछने योग्य
 पशु सम्बन्धी
 तुरन्त उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म बूझ
 जिस स्त्री का पति विदेश में रहता हो
 जो अभियोग का विरोध करता हो
 उत्तर का उत्तर
 जिसका जन्म पिण्ड से हो
 पृथ्वी का
 जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो
 जो पद से हटा दिया गया है
 एक पद से दूसरे पद पर उन्नति
 ऐतिहासिक युग के पूर्व का ऐसा दृश्य जिसे
 देखकर हसा जाय
 जिसका हल जल्दी मालूम न हो
 एक ही बात को बार-बार कहना
 जिसको पुरस्कार प्राप्त हुआ है
 प्रयोग करने वाला
 जिसका प्रतिपादन किया जाय
 जिसके आधार पर दूसरो को नापा जाय
 पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली
 जिसे प्राप्त करना चाहिये
 पथिक द्वारा भाग में व्यवहार के लिए ली जाने
 वाली सामग्री
 पत्नी के साथ
 स्त्री के मन में सौतक प्रति ईर्ष्या का भाव
 जहाँ सीमा का अन्त होता हो
 जिसकी सीमा ज्ञात हो
 जिसका अन्त साथ हो
 परिवार के साथ
 प्रसन्नता के साथ

पितृहता
 पकज
 प्रियम्बदा
 पृष्टव्य
 पाशाविक
 प्रत्युत्पन्नमति
 प्रोपितपतिका
 प्रतिवादी
 प्रत्युत्तर
 पिण्डज
 पार्थिव
 परीक्षित
 पदच्युत
 पदोन्नति

 प्रहसन
 प्रहेलिका
 पुनरुक्ति
 पुरस्कृत
 प्रयोक्ता
 प्रतिपाद्य
 प्रतिमान
 परकीया
 प्राप्तव्य

 पाथेय
 सपत्नीक
 सापत्य/सापत्य
 सीमान्त
 ससीम
 सान्त
 सपरिवार
 सहप

दुःख के साथ
 करुणा के साथ
 अपना अभिमान
 जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो
 अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त
 सुख देने वाला
 माहित्य के गुण दोषों की विवेचना करने
 वाला शास्त्र
 जो अच्छी तरह पका हुआ हो
 एक माँ के पेट से उत्पन्न
 जो रचनाओं में संशोधन कर उसे प्रकाशन
 के योग्य बनाता है
 पसीने से उत्पन्न
 जो स्वयं पैदा हुआ
 जिसमें कामना मौजूद है
 जिसमें दोष हो
 नहाने का स्थान
 स्वभाव से उत्पन्न
 अपनी इच्छा से चलने वाला
 एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना
 जो स्थिर रहता हो
 बेकार अधिक बोलने वाला
 खूब चटकीला
 मटका हुआ
 माँग खाने वाला
 मजन कीतन करने वाला
 भोग के योग्य
 खाने के योग्य
 भारतवर्ष का
 जो भार-जसा लगता हो
 डरा हुआ
 जिसमें दस्तक भय हो
 भ्रम पैदा करने वाला

सखेद
 संकरुण
 स्वाभिमान
 स्वयंपाकी
 सुशिक्षित
 सुखद
 साहित्य शास्त्र/
 समीक्षा शास्त्र
 सुपक्व/परिपक्व
 सहोदर

सम्पादक
 स्वेदज
 स्वयम्
 स्वाम
 सदोष
 स्नानागार
 स्वभावज
 स्वेच्छाचारी
 स्थानांतरण
 स्थावर
 बकरी
 घटकदार
 भ्रान्त
 मगड़ी
 मजनीक
 योग्य
 भोज्य
 भारतीय
 भारस्वरूप
 भीत
 भयानक भयावह
 भ्रमोत्पादक

किसी बड़े नगर या भवन का टूटकर बचा हुआ भाग
 भाग्य का उदय
 तोड़ने वाला
 जो हो चुका हो
 जहाँ मूत रहते हो
 जमीन वाली से दान के रूप में जमीन लेने का आन्दोलन
 जो प्रकाश युक्त है
 भारत और यूरोप की मूलभाषा
 भार से दवा हुआ
 दीवार पर बनायी हुई तस्वीर
 भाषा का अध्ययन करने वाला विज्ञान
 भाषा-सम्बन्धी
 जो अपनी ही मलाई सोचता हो
 अपने पर ही अवलम्बित रहने वाला
 स्त्री के समान स्वभाव और आचरण वाला
 जो दोनों हाथ से तीर चलाता है
 जो सफल हो चुका हो
 ठगा-सा रह जाना
 किसी की स्तुति करना
 सच के लिए सघष
 अपनी जाति का
 कारण के साथ
 स्पष्टता के साथ
 विभिन्न वस्तुओं का सशुद्ध रूप
 जो सभी शक्तियों से युक्त हो
 जो सब कुछ जानता हो
 जिसका पति जीवित है
 जो पास ही स्थित है
 जो पढ़ना लिखना जानता है
 स्वास्थ्य बढ़ाने वाला
 एक ही उम्र का
 अपने धाप सेवा करने वाला
 जिसने ससार छोड़ दिया है

भग्नावशेष
 भाग्योदय
 भजक
 मूतपूर्व
 मुतहा
 मूदानयज्ञ
 मास्कर
 भारोपीय भाषा
 भारान्कान्त
 भित्ति चित्र
 भाषा विज्ञान
 भाषिक
 स्वार्थी
 स्वावलम्बी
 स्त्रैण
 सव्यसाची
 फतीमूत
 स्तम्भित
 स्तवन
 सत्याग्रह
 सजातीय, स्वजातीय
 सकारण
 स्पष्टत
 स्तवक
 सचशक्तिमान
 सवज्ञ
 सघषा
 समीपवर्ती
 साक्षर
 स्वास्थ्यवधक
 समघषस्क
 स्वयंसेवक
 सन्यासी

जो बराबर ठंडा और गम हो
 अपने अनुकूल
 जहाँ नि शुल्क भोजन मिलता हो
 स्मरण करने योग्य
 सबको एक समान देखने वाला
 एक ही समय में वतमान
 जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से
 काय करता हो
 बहुत अधिक और जल्दी खाना
 भूगोल सम्बन्धी
 भाई भाई जैसा व्यवहार
 सौतेला भाई
 मील मागने के लिए धूमना
 घातु पत्थर आदि की मूर्ति बनाने की कला-
 जो भण्डार का रक्षक हो
 मछली बेचकर जीने वाला
 महान् आत्मा
 माता की हत्या करने वाला
 मनन करने की इच्छा, मनन के साथ विवेचन-
 किसी मत को मानने वाला
 निर्वाचन में जाने वाली मतों की गणना
 मांस खाने वाला
 मम (हृदय) को छूने वाला
 कम बोलने वाला
 जो मात्रणा देता है
 जिस में अधिक मांस हो
 महीने में एक बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका
 मनुष्य को छोड़कर
 मुक्ति की इच्छा रखने वाला
 मदिरा पीने वाला
 मरने की इच्छा करने वाला
 मरता हुआ
 मूर्ति की पूजा करने वाला

समशीतोष्ण
 स्वानुकूल
 सदाव्रत
 स्मरणीय
 समदर्शी
 समकालीन

स्थानापन्न
 भक्तिसना
 भौगोलिक
 भास्चर्य
 भिन्नोदर
 भिक्षाटन
 भास्वय
 भण्डारी
 मत्स्यजीवी
 महात्मा
 मातृहता
 मीमांसा
 मतानुयायी
 मतगणना
 मांसाहारी
 ममस्पर्शी, मामिक
 मितमापी
 मन्त्री
 मांसल
 मांसिक
 मनुष्यतर
 मुमुक्षु
 मद्यप
 मरणोन्मुख
 म्रियमाण
 मूर्ति-पूजक

नस्ती से भरा हुआ
 महान् स्त्री
 जिसे देखकर या सुनकर हँसी आये
 हँसी उत्पन्न करने वाला
 हाथी बाँधने की जगह
 जिसके मुख पर सदा हँसी रहे
 हृदय को हरने वालो
 यज्ञ मे आहुति के रूप मे छाड़े जाने योग्य
 त्याग करने योग्य
 जो हरण किया जाने योग्य हो
 भलाई चाहने वाला
 धुला हुआ
 जो क्षति से रक्षा करता है
 छोटा मोटा राजा या सामन्त
 बहुत दुबले शरीर का आदमी
 जो क्षमा के योग्य हो
 क्षमा किया हुआ
 जिसका क्षय हो रहा हो, होने वाला हो
 क्षमा चाहने वाला
 जो किसी काय को करने मे समर्थ हो
 जिसका हाथ तेजी से चले
 तीन व्यक्तियों का समूह
 रक्षा करने वाला, प्राण देने वाला
 भूत, भविष्य, घतमान देखने वाला
 दैहिक, दैविक और भौतिक सत्ताप
 जो हवा शीतल, मन्द और सुगन्धित हो
 आकाश, घरती और पाताल
 गलतियों से भरा हुआ
 ब्रह्मा, विष्णु और महेश
 ऐसा नाटक जो दुस्तान्त हो
 बहुत बड़ा भूल्यवान्
 महिलाओं के उपयोग की वस्तु
 खुले हाथो देने वाला

मस्त
 महीयसी
 हास्यास्पद
 हास्यजनक
 हथसार
 हँसमुख
 हृदयहारिणी
 ह्वय
 त्याज्य
 हाय
 हितेच्छु, हितैपी
 प्रक्षालित
 क्षत्रिय
 क्षत्रप
 क्षीणकाय
 क्षम्य
 क्षात
 क्षयिष्णु, क्षीयनाम
 क्षमार्थी
 सक्षम
 क्षिप्रहस्त
 त्रयी
 त्राता
 त्रिनालदर्शी
 त्रिताप
 त्रिविध वायु
 त्रिलोक
 त्रुटिपूर्ण
 त्रिमूर्ति या त्रिदेव
 त्रासदी
 महाथ
 महिलोपयोगी
 भुक्तहस्त

झूठ बोलने वाला
 मन बचन और काम से
 कम खाने वाला
 वह स्त्री या गाय जिसका बच्चा मर गया है
 दो दिलों के बीच स्थित रहने वाला
 माता का कुल
 मन की दशा
 मृग की आँखों की तरह आँखों वाली स्त्री
 मछली की तरह आँखों वाली स्त्री
 घूँसे द्वारा होने वाली लड़ाई
 बिल्कुल नयी या आधारभूत बात
 जो कोई बात जल्दी से न कह सके
 शिकार के जानवरों से मरा हुआ वन
 मृतियों को तोड़ने वाला
 किसी बात के लिए दूसरे पर आश्रित
 वह फूल जो पूरी तरह न खिला हो
 दोपहर का समय
 दोपहर के बाद का समय
 मद से झलसाई हुई स्त्री
 मछली का भोजन
 मछली का भोजन
 वह लड़की जिसकी किसी के साथ भँगनी हुई हो
 यश ही जिसकी सम्पत्ति है
 जहाँ तक शक्ति हो
 जहाँ तक सम्भव हो
 जो उचित हो
 जिसका अनुभव स्वयं किया गया हो
 विभिन्न वस्तुओं को एक साथ मिना देना
 जिसका हृदय पत्थर के समान हो
 साथ-साथ रहना
 सन्देश वहन करने वाला
 अच्छी आँखों वाली स्त्री
 अपनी आँखों से देखा हुआ प्रत्यक्ष

मिथ्यावादी
 मनसा वाचा कामए
 मिताहारी
 मृतवत्सा
 मध्यस्थ
 मातृकुल
 मन स्थिति
 मृगयनी
 मीनाक्षी
 मुष्टि-युद्ध
 मौलिक
 मुँहद्वार
 मृगकानन
 मूर्तिमज्जक
 मुँहताज
 मुकुलित
 मध्याह्न
 अपराह्न
 मदालसा
 मत्स्याशन
 मत्स्याशन
 मगेतर
 यशोधन
 यथाशक्ति
 यथासम्भव
 यथोचित
 स्वानुभूत
 सरलपण
 सगदिल
 सहप्रस्तित्व
 सन्देशवाहक
 सुलोचना
 साक्षात्

जिसकी अमिलापा की जा सके
 सेना का सचालक
 सेना की शक्ति
 सिन्धु प्रदेश का घोडा या नमक
 स्वतंत्रता के बाद वाला
 अपने ही सुख के लिए
 अपना ही बनाया हुआ
 किसी के स्वागत में गाया हुआ गीत
 सोने की इच्छा
 अच्छी तरह सुना हुआ
 अच्छा बोलने वाला
 जो आसानी से पढा जा सके
 हाथ का कौशल
 एक हाथ से जो दूसरे हाथ में चला गया हो
 हृदय फाड़ देने वाला
 हिंसा करने वाला
 हृदय की बीणा
 जो अधिक स्वस्थ हो
 हृदय को प्रसन्न करने वाला
 हृष से फूला हुआ
 हाथ का लिखा हुआ
 सदा धूमते रहने वाला
 मरिने वाला
 यज्ञ-सम्बन्धी
 यज्ञ करने वाला
 जो यज्ञ का स्तम्भ हो
 यज्ञ प्राप्त पुरुष
 यज्ञ की धारण करने वाला
 युद्ध में स्थिर रहने वाला
 युवकों के लिए जो उचित हा
 क्रम के अनुसार
 जब तक जीवन है तब तक
 युवकों के लिए उपयोगी

स्पृहणीय
 मनापति
 सैन्य शक्ति
 सैन्य
 स्वातंत्र्यात्तर
 स्वातंत्र्यसुखाय
 स्वनिर्मित
 स्वागत गान
 सुपुष्पा
 सुश्रुत
 सुवक्ता
 सुपाठ्य
 हस्तलाघव
 हस्तांतरित
 हृदय विदारक
 हसक
 हस्तत्री
 हृष्ट पुष्ट
 हृदयरजक
 हर्षोत्फुल्ल
 हस्तलिखित
 यायावर
 याचक
 याज्ञिक
 यानिक
 यज्ञोस्तम्भ
 यज्ञम्बो
 यज्ञोघर
 युधिष्ठिर
 युवकोचित
 ययात्रम
 यावज्जीवन
 युवकोपयोगी

चाहे जिस प्रकार से भी हो
 युद्ध की इच्छा
 जितना चाहिये या जितना इष्ट हो
 उपयुक्त तकसगत
 युग का प्रवर्तन करने वाला
 युग की धारा
 विवाह में मिला हुआ धन
 ऐसा मृत व्यक्ति जिसका यश रह गया हो
 जो बात जल्दी समझ में न आये
 जो रस का ध्यान न लेता है
 वह सुन्दर स्थान जहाँ घूमा जा सके
 खून से रँगा हुआ
 राजा के प्रति भक्ति
 राज-नायक में भाग लेने वाला पुरुष
 राजाओं के हाथ में रहने वाला दण्ड
 राजनीति जानने वाला
 सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण
 सताया हुआ
 बहुत अधिक जानने वाला
 जो बताया जा चुका हो
 ज्ञान की गरिमा
 जानने योग्य
 ज्ञान देने वाली
 जो जाना जा चुका है
 जो जाना जा सके
 जो पान में बड़े, ज्येष्ठ हो
 जो मर गया हो
 जो युद्ध से डर जाए
 जो किसी अच्छे काम के लिए अपनी जान देदे
 जो इधर की बात उधर करता हो
 छोटे पन का भाव
 जो गायब हो चुका हो

येन-वन प्रकारेण
 युयुत्सा
 यथेष्ट
 युक्तिसगत
 युग प्रवर्तक
 युगधारा
 दहेज
 यश शेष, कीर्तिशेष
 रहस्य
 रसिक
 रम्य
 रक्तरजित
 राजमक्ति
 राजपुरुष
 राजदण्ड
 राजनीतिज्ञ
 त्रिगुण
 त्रस्त
 पानी बहुत
 पापित
 पान-गरिमा
 ज्ञातव्य
 ज्ञान-व्यय
 पात
 पानेय
 पान-ज्येष्ठ पान-वृद्ध
 स्वगवासी
 कायर
 शहीद
 नारद
 सपुता
 सुप्त

विभिन्न प्रकार के अक्षरों का अध्ययन करने
वाला शास्त्र

जो बहुत धनी हो, जिस पर लक्ष्मी की कृपा हो

छोटे शरीर वाला, दुबला पतला

सबसे छोटा

बच्चों को सुलाने के लिए माताओं द्वारा गाया जाने
वाला गीत

दुनिया की लाज या समाज वालों की शम

संसार जिसे माने

लोग जिससे सहमत हो

सामान्य जनता के बीच प्रचलित मनोरंजक

कहानियाँ

जो चुना जा सके

कर देने वाला

सीतेली माँ

जो विश्वास के योग्य हो

जिस पर विश्वास किया जा चुका हो

जिसकी पत्नी मर गयी हो

जिसका पति मर गया हो

बिना पत्नी के साथ

विपत्ति से उत्पन्न

विज्ञान जानने वाला

विदेश सम्बन्धी

वन में उत्पन्न

बहुत बोलने वाला

बोलने की शक्ति

लिपि शास्त्र

लक्ष्मीपुत्र

बौना

लघुतम

लौरी

लोकलाज

लोकमाय

लोकसम्मत

लोककथाएँ

वरेण्य

वरद

विमाता

विश्वसनीय

विश्वस्त

विधुर

विधवा

विपत्नीक

विपत्तिजन्य

वैज्ञानिक

वैदेशिक

वनज

वाचान

वाक् शक्ति

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अधूत	निभय, अकपित	अधु	असू
अवधूत	स यासी	अत्य	हृदियार
अभय	निभय	अमित	काला
उभय	दोना	अशित	भोधरा
अमित	अत्यधिक	अध	मूल्य
अमात्य	मन्त्री	अध्य	पूजा सामग्री
अमीत	शत्रु	अविहित	अनुचित
अमित	अपार	अभिहित	उक्त
अब्ज	कमल	अथक	बिना थके हुए
अब्द	वादल वष	आकार	रूप सूरत
अकथ	जो कहा नहीं जाय	आमरण	गहना
अध्ययन	पढना	आमरण	मरण तक
अध्यापन	पढाना	आहरण	हरना,
अवधान	मनोयाग	आयत	लम्बा चौडा
अवदान	प्रशसित काय की देन	आयात	बाहर स आना
अलक	बाल	आत्त	दु खी
अलिक	ललाट	इति	अन्त
अलीक	भूठ	आद्र	गीला
अयश	अपकीर्ति	इन	सुगंध
अयस	लाहा	इतर	दूसरा
आयसु	आज्ञा	इदु	चंद्रमा
अमिन्न	जानन वाला	इदुर	चूहा
अमिन्न	अनजान	ईशा	ऐश्वर्य
अधम	नीच	ईपा	हल की लकड़ी
अधूम	बिना धुएँ का	ईसा	एक धम प्रचारक
अधम	पाप	उद्धत	उद्दण्ड
अक्ष	धुरी, झाल	उपरत	उगासीन
यक्ष	एक देव जाति	उपरवम	भोग विलास म
	भौरा		मीन
	सखी	आधि	मानसिक रोग
		आरति	विरचिन दु स

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
अवधि	काल समय	उत्पल	कमल
अवधी	अवध देश की भाषा	आहुति	यज्ञ में हवन की गई वस्तु
आदि	आरम्भ, इत्यादि	आहूत	निमित्तित
आदी	अभ्यस्त	ऋत	सत्य
उपल	पत्थर	ऋतु	मौसम
उपला	कण्डा	कुल	वश
अरुति	शत्रु	कूल	किनारा
आरती	देवता को धूप दीप	कश	चाबुक
अपकार	बुराई	कप	कसौटी
उपकार	भलाई	कस	दबाव, बल
आहूति	होम	नादी	मंगलाचरण (नाटक का)
आसन	बैठने की कोई वस्तु		
आसन	निकट आया हुआ	नमित	भुका हुआ
आवास	वासस्थान	निमित्त	हेतु
आभास	भ्रूलक	निगुत	लाख, दस लाख
आकर	खान	नियुक्त	लगाया हुआ, स्थापित या
दशन	दात		निश्चित किया
दशन	दाँत से काटना		हुआ
दह	कु ड		
दाह	जलन	नीरद	बादल
दिवा	दिन	नीरज	कमल
देव	देवता	नीन	प्राप्त
दैव	भाग्य	नीति	व्यवहार की पद्धति
द्रव	रस, पिघला हुआ	नति	न इति, जिसका
द्रव्य	पदार्थ, धन		छोर ही न हो
दश	डक, काट	नेति	मयानो की रस्ती
दश	दस (गिनती का अंक)	निजर	देवता
नित	हर दिन	निभर	भरना
नीत	लाया हुआ	निशाकर	चंद्रमा
निहत	मरा हुआ	निशाचर	राक्षस
निहित	छिपा हुआ	नारी	स्त्री

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
नीर	जल	नाडी	नब्ज
नीह	घोसला	निशान	चिह्न
नियत	निश्चित	निसान	भण्डा
नियति	भाग्य	प्रधान	मुख्य
नीयत	मशा इरादा	परिधान	पोशाक वस्त्र
नगर	शहर	पुरुष	नर
नागर	शहरी, चतुर व्यक्ति	परुष	कठोर
नशा	बेहोशी, मत्	प्रदीप	दीपक
निशा	रात्रि	प्रतीप	उलटा
निशित	तीक्ष्ण	प्रसाद	कृपा, भोग
निशीथ	घाघी रात	प्रासाद	महल
निवार	रोकना	प्रणय	प्रेम
नीवार	घान	प्रद्वेप	शत्रुता
नदी	शिव का बँल	प्रहार	वार, घाघात
परिणय	विवाह	परिहार	परित्याग, रोकना
प्रवल	शक्तिशाली	परिक्षा	कीचड
प्रवर	श्रेष्ठ	परीक्षा	इन्तहान
परिणाम	नतीजा, फल	प्रतिशोध	बदला
परिमाण	मात्रा	प्रतिपेघ	मनाही, निपेघ
पास	नजदीक, निकट	पय	रास्ता
पाश	बन्धन	पध्य	रोगी का भोजन
पानी	जल	परिच्छद	पोशाक, ढाँकने की
पाणि	हाथ		वस्तु
पिक	कोयल	परिच्छेद	अध्याय विभाग
पीक	पान आदि की धूक	परिजन	नौकर चाकर घर
प्रकार	किस्म, तरह, भेद		के लोग
प्राकार	घेरा, चहारदीवारी	पजय	बादल
प्रणाम	नमस्कार	पुर	नगर
प्रमाण	सबूत, नाप	पूर	बाड, आधिक्य
पुष्कर	जलाशय	पाश	बन्धन
पुष्कल	पवित्र, बहुत	पापव	बगल
परमिति	मान मर्यादा, तौल	पलटी	बदली, वापसी

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
प्रय	प्रिय, सासारिक	पलधी	बैठने का एक ढग
पय	पीने योग्य	पोत्र	पोता
प्रताप	ऐश्वर्य, पराक्रम	पोत	जहाज
परिताप	दुःख, सन्ताप	प्रण	प्रतिज्ञा
प्रस्तर	पत्थर	प्राण	जान
प्रस्तार	फैलाव	पाहन	पत्थर
प्रपित	भेजा हुआ	पावन	पवित्र
प्रोपित	प्रवासी	पाहुन	मेहमान
पवन	वायु	परवाह	चित्ता
पावन	पवित्र	प्रवाह	धारा
पदत्राण	जूता	प्रकोट	परकोटा
पशु	जानवर	प्रकोप	अत्यधिक क्रोध
पाशु	घूल, बालू	प्रवास	विदेश जाना
पाश	बंधन	प्रवाल	मूंगा
पयत्त	तक	भीत	डरा हुआ
पयक	पलग	भवन	महल
प्रदेश	प्रांत	भुवन	संसार
पण	साँप का फन	भारतीय	भारत के वासी
फन	कला, कारीगरी	भारती	सरस्वती, वाणी
बलि	बलिदान	मूल	जड़
बली	वीर	मूल्य	कीमत
वाम	महक, गंध	मरीचि	किरण
वाँस	एक वनस्पति	मरीची	सूय चंद्र
बहन	बहिन	मरिच	मिर्च (काली)
बहन	ढोना	मद	अहवार, नशा
बल	ताकत	मद्य	शराब
बल	मेघ, बलाहक	मनुज	मनुष्य
बन्दी	भाट चारण	मनोज	कामदेव
बन्दी	कैदी	मेघ	बादल
बन्द	जो खुला हुआ नहीं है	मेघ	यन
बद	बुरा	मणि	रत्न
बारिश	वर्षा	मणी	सर्प

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
वारीश	समुद्र	मांस	गोशत
बात	वचन	माम	महीना
वात	हवा	मनुजात	मनु से उत्पन्न
बुरा	खराब	मनुजाद	नरभक्षक
बूरा	शक्कर चूरा	रक	दरिद्र
बहु	बहुत	रग	वर्ण
बहू	पुत्रवधु, ब्याही स्त्री	रग	नस
बद्ध	बँधा हुआ	राग	लय
विद्ध	छेदा हुआ	रत	लीन
वार	दफा	रति	कामदेव की पत्नी,
वार	चोट, दिन		प्रेम
बिना	अभाव	रोचक	रुचने वाला
बान	आदत चमक	रेचक	दस्तावर
बाण	तीर	लक्ष्य	उद्देश्य
वर्ण	रग	लक्ष	लाल
व्रण	घाव	लवण	नमक
वरण	चुनाव	विधेयक	विधान, कानून
भट	सिपाही	वृत्त	ठठल
भाट	भारण	वृद्ध	समूह भुण्ड
भित्ति	दीवार, आधार	व्यग	विकलाग
लवान	खेत की कटाई	व्यग्य	ताना, उपालम्भ,
लास्य	पावती द्वारा आदि		वाच्य से अलग अर्थ
	ष्कृत एक नृत्य	सत्र	वप सदावत यज्ञ
लाश	शव	शत्रु	दुश्मन
लास	नृत्य	शक्कर	महादेव
वसन	कपडा	सकर	मिश्रित, दोगला
व्यसन	आदत लत	सर	तालाव सिर
विप	जहर	शर	वाण तीर
विस	कमल का ठठल	शूर	वीर
वरद	वर देने वाला	सुर	देवता लय
वरद	बैल	सूर	अ घा, मूय

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
विरद	यश	सुत	बेटा
विस्मृत	भूला हुआ	सूत	सारथी घावा
विरिमित	चकित	सूची	विषयक्रम फहरिस्त
वित्त	धन	सूचि	सुर्द, सूचना करने
वृत्त	गोलाकार छद या		वाला
	वृत्तांत कथा	शुचि	पवित्र
विभूति	ऐश्वर्य	शची	इन्द्राणी
विभीति	डर	सम	समान
वाद	तर्क विचार	शम	मयम इन्द्रियनिग्रह
वाद्य	बाजा	सुभन	पुत्र
वस्तु	चीज	सुमन	फूल
वास्तु	मकान	सग	अध्याय
विपिन	जंगल	स्वग	तीसरा लोक
विपन्न	विपत्तिग्रस्त	सव	सब
वासना	कामना	शव	शिव
वासना	सुगन्धित करना, महकना	सूक्ति	अच्छी उक्ति
	कठिन	शुक्ति	सीप
विकट	खिलाना खिला हुआ	सलील	लीला के साथ
विकच	जो बेचा गया है	सलिल	पानी
विक्रीत	शूर, वीर, तेजस्वी	सती	पतिव्रता स्त्री
विभ्रात	रचने वाला,	शती	सैकड़ा
विधायक	विधान बनाने वाला	सारदा	सार माग देने वाली
सागर	समुद्र	शारदा	सरस्वती
सागुर	प्याला	सध	समिति
सिर	मस्तक	सग	माथ
सीर	हल, हल की लकीर	सदेह	नह के साथ
सुधि	स्मरण	स देह	शक
सुधी	विद्वान, बुद्धिमान	सकल	सम्पूरा
सुकर	आसानी से होन वाला	शकल	टुकड़ा, मण्ड
शूकर	सूअर	शकल	चेहरा
सप्त	सात	सुकृत	पुण्य
		शकृत	मैला, बिस्था

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
शप्त	शाप पाया हुआ	सुकृती	पुण्यवान्
सबल	ताकतवर	स्वच्छ	साफ
शबल	चितकबरा, रगबिरगा	स्वक्ष	सुन्दर श्रौल
सहर	सवेरा	स्वपच	स्वयपाकी
शहर	नगर	श्वपच	चाण्डाल
साला	पत्नी का भाई	स्वजन	अपना आदमी
शाला	घर, मकान	श्वजन	कुत्ते
सेव	वेसन का एक पक्वान	सज्जा	सजावट
सेब	एक फल	शय्या	बिछावन
सीता	जानकी	शुल्क	फीस चंदा
सिता	चीनी	शुक्ल	स्वच्छ उज्ज्वल
सीमा	एक धातु	शव	साश
शीशा	काच	शव	रात
समान	सदृश तरह	श्रवण	सुनना कान
सामान	सामग्री	श्रमण	बौद्ध स यासी भिक्षु
सौम	मुँह स हवा लेना	स्त्रवण	टपकना चू पडना
सास	पति या पत्नी की माँ	श्रोत	कान
स्वद	पमीना	स्रोत	घारा उद्गम
श्वेत	उजला	हरि	बिष्णु
सलिल	पानी	हरी	हरे रंग की
शशपर	चन्द्रमा	हँसी	हँसने की क्रिया
शशिपर	महादेव	हमी	हस की मादा
शोम	शरिर, चाल चलन	शस्त्र	हथियार
शोम	महर, टण्डा	शास्त्र	संज्ञाति ग्रन्थ
शेखर	सनाट	शशु	सास
शिमर	चांगी	शशु	दाड़ी मूँछ

शब्द पर्याय एव शब्द विलोम

हिन्दी शब्द-समूह की यह विशेषता है कि एक शब्द के अर्थ का प्रकट करने वाले कई शब्द होते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जिनके विपरीत अर्थ वाले शब्द प्रचुरता से प्रयोग में आते हैं। "शब्द विलोम" शीपक से एसे भी कुछ शब्द दिए जा रहे हैं।

शब्द-पर्याय

ईश्वर—	परमात्मा, परमेश्वर, परमेश पारब्रह्म, प्रभु, जगत्पिता जगदीश, जगन्नाथ।
कमल—	जलज, वारिज, नीरज, अम्बुज, सरोज, पक्कज, पक्कूह, सरसिज, नलिन, कुवलय, अरविन्द, पद्म, उत्पल, पुण्डरीक, कज राजीव आदि।
अग्नि—	वाहि, अग्निल, पावक, हुताशन, वश्वानर कृशानु, ज्वलन आग जातदेव, दृव्यवाहन आदि।
आकाश—	नभ गगन, अम्बर, तारापथ व्योम, अंतरिक्ष, अनन्त, शून्य, अन्न आदि।
अमृत—	सोम अमी अमिय, सुधा मधु, सुरभोग पीयूष।
अश्व—	तुरग सैन्धव बाजि घाटक, हय, घोडा आदि।
असुर—	राक्षस, निशाचर निशिचर, दानव, दनुज सुरारि दैत्य।
आल—	लोचन चक्षु दृग नेत्र, नयन, अक्ष।
कामदेव—	मदन मनसिज ममथ, अनग मार काम, मनोज, कन्दप, पंचशर स्मर पुष्पधन्वा, मनिक्तेतु रतिपति।
गृह—	सदन अलय, आगार, निलय निषेतन निक्केत, भुवन, भवन मन्दिर आवास घाम आयतन आदि।
इन्द्र—	शक्र, पुरन्दर सुरपति देन्द्र महेंद्र, शचीपति देवराज, मधवा आदि।
गंगा—	सुरसरि मन्दाकिनी, मागीरथी दवन दी देवापगा सुरसरिता ब्रह्मदेव, विपथगा जाहवी विष्णुपदी आदि।
चन्द्रमा—	शशि, सुधाकर, रात्रापति रजनीपति, अरुनीश, निशाकर, सुधाशु, हिमाशु मृगाक, द्विअराज शशाक हिमकर, कताधर क्षमाकर, इन्द्र सोम, विष्णु चन्द्र चाँद आदि।
सरस्वती—	भारती, शारदा, वाणी, वीणपाणि, वीणावादिनी, महाश्वेता, गिरा, वास, आदि।

जल—	अग, पय, जीवन उदक नीर, वारि, अम्बु, मल्लि, ताय आदि ।
रामचन्द्र—	रघुपति रघुनाथ दशरथनन्दन, वीरश्यामनन्दन, जानकी वल्लभ, गीतापति, अक्षयेश, रघुनाथन ।
जगल—	वानन, अरण्य वन विविण ।
महादेव—	शिव शम्भु पशुपति शंकर चन्द्रशेखर महेश्वर भूतेश नीलकाण्ठ, त्रिलोचन, कैलाशनाथ, गिरीश गिरिजापति आदि ।
तालाव—	मर, सरोवर जलाशय सरसरि हृत्, तडाग पुस्कर आदि ।
दिन—	दिवस वासर, दिवा, अहा, अह्न आदि ।
देवता—	सुर, अमर देव, विबुध, त्रिंश दिवोकस वृंदाकारक, अर्षि तिनन्दन आदि ।
नदी—	सरिता नद, तटिनी, तरगिनी, निम्नया निम्नरिणी आदि ।
पर्वत—	गिरि, भूधर भूमिधर, धराधर महीधर अद्रि, नग, शैल अचल ।
पवन—	वात, वायु, अनिल, समीर मस्त ।
पृथ्वी—	भू, भूमि धरा भृती अचल, अचला, धात्री धरणी वसुधरा धरिणी, उर्वी रत्नगर्भा, अनन्ता वसुधा ।
हाथी—	गज, कुजर, नाग मतग, वाण, द्विरद, करो ।
राजा—	सृष्ट नरेश नरपति, भूपति, भप, महीप ।
कपडा—	वस्त्र पट, चीर अम्बर, वसन ।
पथ—	माय राह, रास्ता ।
पिता—	जनक, बाप, छात, पितृ ।
भाई—	अनुज व धु अग्रज, तात, भ्रात ।
स्वयं—	वैकुण्ठ, देवलोक, नाक, सुरलोक ।
हाथ—	हस्त, पाणि कर भुजा बाहु ।
दुःख—	पीडा वेदना कष्ट, विषाद, सकट, मताप क्लेश शोक ।
यमुना—	कालिन्दी, कलिन्दजा, तरणि सनजा रविमुता तरणिजा ।
मोर—	मयूर बेकी, कलापी, शिखण्डी ।
बदर—	कपि, वानर मरुट, हरि शासामृग ।
मछली—	मत्स्य, ऋष भौत सफरी जलजीवन ।

पत्नी—	अर्धांगिनी, भार्या, कलत्र, गृहिणी, वामा, जाया, दारा, सहधर्मिणी ।
तलवार—	खड्ग, कर्वाल, चद्रहास, कृपाण, अस्ति, शमशीर ।
गरुड—	रुग्णेश, वैनतय, पक्षिराज, हरियान, उरगारि ।
धन—	सम्पत्ति, द्रव्य, विभूति, पवतराज हिमानी ।
हिमालय—	नगपति हिमाद्रि, पवतराज हिमानी ।
बडा—	विशाल, दीघ, बृहत् महाविराट् ।
उद्यान—	बाग, उपवन वाटिका ।
प्रेम—	रति, अनुराग स्नेह राग, प्रणय ।
पैर—	चरण, पाद, पद ।
पुत्र—	बेटा तनय सुत आत्मज, नन्दन ।
पुत्री	बेटी तनया, आत्मजा, सुता अपत्या, कया तनूजा ।
प्रभा—	आभा, छवि, दीप्ति द्युति ।
फूल—	पुष्प, कुसुम पद्म सुमन प्रसून ।
बहिन—	भगिनी, सहोदरी, स्वसा ।
वाज—	कपातारि, करग, श्येन, शशादन ।
विजली—	चपला, दामिनी सौदामिनी, चचला, विद्युत्, शपा, क्षणप्रमा घनचाम ।
मैना—	सारिका, सारी, चित्रलोचना कलहप्रिया, मधुरालापा ।
माक्ष—	निर्वाण, केवल्य, मुक्ति ।
मूर्ति—	मृत, मृतक, शव ।
मुहे—	मुख, आनन, वदन ।
मेढक—	दादुर ददुर, शालूर भेक ।
भय—	भास भीति डर ।
मास—	विशित, आमिष पल्ल ।
मस्तक—	माया, ललाट, भाल कपाल ।
मित्र—	सखा, दोस्त, सहचर गुहृद ।
माता—	माँ, अम्बा, मैया माई अम्बिका, जन्मदात्री ।
आह्वरण—	चित्र द्विज, अग्रजमा, भूदेव, भूसुर ।
चाँदी—	रजत, रूपा, रूपक रोप्य ।
जहाज—	पोत, जलयान, बोहित ।
गोद—	गोदी अक ।
चदन—	मलयज, मगल्य, श्रीखण्ड ।

ठग—	पूत, छली, वचन ।
चतुर—	प्रवीण, नागर, कुशल, पटु निपुण, विदग्ध ।
भूठ—	असत्य, मिथ्या ।
तारा—	तारक, उड्ड, नक्षत्र ।
जीम—	रसना, रसना, जिह्वा ।
सद्योत—	जगुनु, प्रमाकीट, पटवीजना ।
ताम्र—	ताम्र, ताम्रक, तामा, रक्तधानु
दीपक—	दीप, प्रदीप, गृहमणि ।
दूध—	पय, दुग्ध, स्तन्य पीमूष अमृत ।
धनुष—	चाप धनु, कोदण्ड, सरामन, कामुक
पत्थर—	प्रस्तर पाषाण, उपल पाहन ।
नरक—	यमपुर यमालय, यमलोक
पक्षी—	विहग, पतंग नमचर खग ।
पत्ता—	परनव पण दल, पत्र किसलय ।
पात—	बावदल ताम्बूल, नागत्रैल ।
पावती—	उमा, गिरिजा भवानी गौरी अम्बिका शिवा ।
बालक—	शिशु अमक, किशोर शावक, बेटा, लडना कुमार ।
भोक्ती—	सोपिज मुक्ता मौक्तिक ।
मनुष्य—	मानव नर जन, मनुज मानुष ।
वृक्ष—	पेड शाखी पादप द्रुम, विटप बिरवा ।
शराब—	मदिरा, हाला आसव हलप्रिया मद्य ।
शहद—	मकरन्द मधु पृष्परस पुष्पास्य ।
गणेश—	गणनायक लम्बोदर गजबदन एकदंत ।
बादल—	वारिद, जलधर नीरद, पयोधर ।
रात—	निशा यामिनी, निशि, रात्रि ।
समुद्र—	वाग्धि, नीरधि रत्नाकर जलधि सिंधु ।
सप—	व्यान नाग, मुजग, विषधर, अहि ।
कोयल—	कोकिला सारग, वसंतदूतिका ।
भौरा—	मधुप अमर अलि मधुकर ।
वृष्ण—	जनादन, माघव केशव ।
लक्ष्मी—	इंदिरा चंचला कमला सम्पदा, श्री

शब्द-विलोम

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
स्वतन्त्र	परतन्त्र	भेद	अभेद
परुष	कीमल	दुलभ	सुलभ
जय	पराजय	दूषित	स्वच्छ
पण्डित	मूख	देव	दानव
उत्थान	पतन	दोष	गुण
पक्ष	विपक्ष	धनी	निधन
अधिक	अनू	धम	अधम
आय	अ-आय	धरा	गगन
नसर्गिक	कृत्रिम	नख	शिख
बहुत	थोडा	नगर	ग्राम
ग्राह्य	त्याज्य	नर	नारी
तीव्र	मन्द	नवीन	प्राचीन
तिमिर	प्रकाश	नश्वर	शाश्वत
तामसिक	सात्विक	नागरिक	ग्रामीण
तरुण	वृद्ध	नास्तिक	आस्तिक
सच	भूठ	निर्दोष	सदोष
जगम	स्थावर	निन्दा	श्रुति
ज्योति	तम	विधि	निषेध
जीवन	मरण	प्रधान	शौण
जायत	सुपुप्त	प्रदूषित	निवृत्ति
थल	जल	प्रशसा	निन्दा
चेतन	जड	प्रगट	प्रच्छन्न
मूक	वाचाल	पानी	आग
मुख्य	गौण	पाप	पुण्य
जीवित	मृत	पश्चात्प	पूर्वार्थ
मिलन	विरह	प्राचीन	अर्वाचीन
मानव	दानव	पुरातन	नवीन
मान	अपमान	प्रेम	घृणा
माता	पिता	वच्चा	शुद्धा
महात्मा	दुरात्मा	बन्धन	मुक्ति
मनुज	दनुज	बबर	सम्भ

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
भौतिक	आध्यात्मिक	बहिरंग	अन्तरंग
निषिद्ध	त्रिहित	वाह्य	आन्व्यन्तर
निर्जीव	सजीव	वाद	प्रतिवाह
निमल	मलिन	बद्ध	बालक
निरपेक्ष	साधक	वृद्ध	लघु
निरक्षर	साक्षर	विपत्ति	सम्पत्ति
नूतन	पुरातन	विषया	सधवा
मला	पुरा	विधि	निषेध
भद्र	अभद्र	विपन्न	सम्पन्न
भूगोल	सगोल	विमुक्त	आमुक्त
भूत	अविष्य	मोक्ष	बन्धन
		मगल	अमगल
प्रत्यक्ष	परोक्ष	यश	अपयश
आश्रित	अनाश्रित	अकाल	सुकाल
अपेक्षा	उपेक्षा	निर्लोप	सदोप
आस्तिक	नास्तिक	ध्वस्त	निर्माण
अमृत	विष	घात	प्रतिघात
अनाथ	सनाथ	परकीय	स्वकीय
अनुकूल	प्रतिकूल	प्रधान	गौण
अथ	अनथ	परमाथ	स्वाथ
इहलोक	परलोक	विरत	निरत
उन्मुख	विमुख	वैतनिक	अवतनिक
चढाव	उतार	वैमनस्य	सौमनस्य
ज्वर	भाटा	शकुन	अपशकुन
तृष्णा	वितृष्णा	श्वेत	स्याम
		शोक	हर्ष
आच्छादित	अनाच्छादित	श्रम्य	रश्य
कनिष्ठ	ज्येष्ठ	सकीर्ण	विकीर्ण
क्लृप	निष्क्लृप	साकार	निराकार
आकपर्ण	विकपर्ण	लिप्त	अलिप्त
पूर्ववर्ती	परवर्ती	विशिष्ट	साधारण

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
भौतिक	अभौतिक	सघटन	विघटन
लौकिक	अलौकिक	स्वकीया	परकीया
गरीब	अमीर	ह्रस्व	दीर्घ
निमग्न	सदय	हार	जीत
गुरु	लघु	हास्य	रूदन
पेय	अपेय	क्षणिक	शाश्वत
नश्वर	अनश्वर	ज्ञानी	मूख
सञ्जल	निजल	सुगम	दुगम

राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिन्दी

I राष्ट्रभाषा का अर्थ और अवधारणा—

किसी राष्ट्र की सामान्य व्यवहार की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। “राष्ट्रभाषा के लिए एक राष्ट्र की स्थिति अत्यन्त आवश्यक है, जो प्रधानतः जन-समुदाय पर निर्भर है, देश और राज्य का राष्ट्र में अंतर्भाव रहता है। राज-काज की दृष्टि से कोई देश या राज्य एक हो सकता है, किन्तु जब तक राष्ट्रीयता एक न हो तब तक राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत एक देश है और शासन की दृष्टि से यह एक संघीय गणराज्य है, जिसमें प्रत्येक प्रदेश एक राज्य है। आजादी के बाद शासन की दृष्टि से भारत के सभी राज्य एक राष्ट्र के रूप में संघटित हुए किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत आजादी के पूर्व भी एक राष्ट्र था। शासन की भाषा अर्थात् राजभाषा उस समय अंगरेजी अवश्य थी किन्तु सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यवहार की भाषा अंगरेजी नहीं थी। उत्तर से सुदूर दक्षिण तक तथा पूर्व में पश्चिम तक जिस भाषा का सामान्यतः व्यवहार होता था, वही उस समय की राष्ट्रभाषा थी। वह हिन्दी ही थी। इस्लाम शासन काल में भी हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित थी, यद्यपि राजकाज का संचालन उसमें नहीं होता था।

अतः राष्ट्रभाषा का अर्थ किसी देश की राजभाषा होना नहीं है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है, जिसे किसी देश का आम आदमी समझ सके, जिसमें सुदूर क्षेत्रों तक अपना सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक व्यवहार कर सके। ऐसी भाषा जिसमें समस्त देश की सभ्यता की अभिव्यक्ति होती हो, जो उस देश की जातीय एकता की अभिव्यक्ति में समय हो, जिसमें प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं के

गद्यो और प्रयोगो का प्रवेश निर्बाध रूप से होता हो तथा जिसमें देश के साव-जनीन साहित्य की संरचना होती हो—उस देश की राष्ट्रभाषा कही जा सकती है। वस्तुतः राष्ट्रभाषा का समृद्ध वतमान ही नहीं एक समृद्ध परम्परागत अतीत भी होता है। य सभी विशेषताएँ रखने वाली भाषा भारत में हिन्दी ही है। अतः वही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है।

II राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अन्तर—

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, राजभाषा वह भाषा है, जिसमें राजकाज चलता है, जबकि राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र के सावजनिक व्यवहार की भाषा होती है। अतः राष्ट्रभाषा को हम सीमित अर्थ में सम्पक भाषा भी कह सकते हैं, जबकि राजभाषा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सम्पक भाषा भी हो। इसी प्रकार यह भी आवश्यक नहीं है कि राजभाषा किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की भाषा हो या उसमें उस देश का साहित्य भी लिखा जाए। स्वाधीनता से पूर्व अंगरेजी भारत की राजभाषा थी, किन्तु वह न तो भारत की राष्ट्रभाषा थी, न सम्पक भाषा। जहाँ-जहाँ अंगरेजों का शासन रहा, वहाँ-वहाँ अंगरेजी राजभाषा बन कर पहुँची और स्थानीय राष्ट्रभाषा, सम्पक भाषा, क्षेत्रीय भाषा तथा बोलियों को उसने दबाया, कुचला उनका विकास प्रवर्द्ध किया। जब वे देश आजाद हुए तो उन्होंने अपनी भाषाओं को राजभाषा बनाया तथा अंगरेजी को अपने अपने देश से निकाल बाहर किया। भारत में स्वाधीनता के पश्चात् सविधान में हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया गया, किन्तु साथ में कुछ समय के लिए अंगरेजी को भी रखा गया, जिसके अन्तर्गत परिणाम हमारे सामने हैं। आज 42 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है किन्तु अंगरेजी को हटाकर हिन्दी को राजभाषा का पूरा स्थान देने की स्थिति नहीं आ पाई है।

II राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का विकास—

प्राचीन काल में समस्त भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत थी। भारतीय संस्कृति के आदि ग्रन्थ 'वेद' संस्कृत में ही रचे गए। वेदों के पश्चात् रचित भारत का विशाल साहित्य भी संस्कृत में ही मिलता है तथा धार्मिक ग्रन्थों की भाषा भी संस्कृत ही रही और आज भी है। आयुर्वेद संगीत, शिल्प आदि विभिन्न कलाओं की भाषा भी प्राचीन काल में संस्कृत ही थी। व्याकरण दर्शन, पुराण आदि का संस्कृत में पूरा विकास मिलता है। कश्मीर से अस्सम तथा सुदूर तमिलनाडु तक संस्कृत का अध्ययन और व्यवहार गौरव का विषय माना जाता रहा है।

धीरे-धीरे संस्कृत का स्थान प्राकृत भाषा ने लिया और समस्त देश में सांस्कृतिक आदान प्रदान की भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग होते हुए

छठी शताब्दी ईस्वी तक भारत की जन भाषा रही एव उसमें साहित्य भी लिखा गया, किंतु इस समय भी राष्ट्रभाषा का गौरव संस्कृत को ही प्राप्त रहा। छठी शताब्दी से पूव प्राकृत कई रूपों में क्षेत्रानुसार बँट चुकी थी। इसलिए धीरे धीरे उससे विभिन्न अपभ्रंशों का उदय हुआ, जो अपने प्राकृत रूपों के अनुसार मागधी अपभ्रंश, अर्द्ध मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, नागरी अपभ्रंश, उपनागरी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, तथा पंजाबी अपभ्रंश कहलाई। इन अपभ्रंशों से उत्तर भारत की विभिन्न आधुनिक भाषाओं और बोलियों का धीरे-धीरे विकास हुआ। शौरसेनी अपभ्रंश से अवहट्ट जिस "पुरानी हिंदी" भी कहा जाता है विकसित हुई, जो कालांतर में हिंदी के रूप में स्थापित हुई। इस प्रकार संस्कृत से हिंदी तक एक ही भाषाधारा का एक अखण्ड श्रम मिलता है, जिसमें विशाल भारत देश के राष्ट्रीय व्यवहार व्यापार एवं सांस्कृतिक विकास काय चले।

यद्यपि दक्षिण भारत की क्षेत्रीय भाषाएँ प्राचीन काल से भिन्न रूपों में विकसित हो रही थी, किंतु राष्ट्रभाषा के रूप में वही भी संस्कृत का ही व्यवहार होता था और बौद्ध जैन धर्मों के प्रचार के लिए प्राकृत, पाली, अपभ्रंश का प्रयोग होने पर भी संस्कृत ही राष्ट्रीय कार्यों में अपनाई जाती थी।

मुस्लिम शासन काल में देश के जिन क्षेत्रों में इस्लामी राज रहा, वहाँ फारसी राजभाषा हो गई, किंतु वह जन सम्पर्क की भाषा नहीं बन सकी। यद्यपि इस काल में संस्कृत की महिमा घट रही थी और बालचाल में भी प्राकृतों तथा अपभ्रंशों का प्रभाव बढ़ रहा था, किंतु फिर भी धार्मिक व्यवहारों में समस्त देश में संस्कृत का ही प्रयोग होता था और आज भी होता है। अतः उससे विकसित कोई भाषा ही जन जीवन में जीवित रह सकती थी और आज भी रह सकती है न कि विदेशों से आयातित कोई भाषा—चाहे वह फारसी हो चाहे अंगरेजी।

ग्यारहवीं शताब्दी से अंगरेजों के आगमन और अंगरेजी शासन की स्थापना के समय तक इस्लाम शासित क्षेत्र में फारसी राजभाषा रही, किंतु वह राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। अंगरेजी भी अन्तीसवीं शती के आरम्भ से ही भारत में आई नई गुलामी के साथ राजभाषा के पद पर आ बठी थी, किंतु वह भी यहाँ की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। समस्त देश की प्रादेशिक भाषाओं ने जमकर उसका मुकाबला किया और अपने अपने अस्तित्व की रक्षा के साथ साथ संस्कृत की अखण्ड धारा के बदलते हुए रूपों का पोषण किया। जिसका फल यह हुआ कि फारसी के राजभाषा-काल में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए जमकर खड़ी ही नहीं रही, बल्कि अपना सबसेतुमसी विकास भी करती रही।

जसा कि हम पहले कह आए हैं, अपभ्रंशों के विकास-काल में हिन्दी को अपना स्वरूप मिलने लगा था। शौरसनी अपभ्रंश से ब्रज क्षेत्र में ब्रजभाषा का विकास हो चला था। इसमें विभिन्न प्रदेशों की शब्दावली को मिलाकर साधुस यासी देश भर में दार्शनिक और सांस्कृतिक मत-वादों का प्रचार करते हुए घूमते थे। इस प्रकार प्रारम्भ में शौरसनी अपभ्रंश से सधुवकड़ी भाषा या सत भाषा जन सम्पर्क के लिए विकसित हुई थी जिस "भाषा" नाम देकर जनता ने अपने व्यवहार के लिए स्वीकार किया था। ग्यारहवीं शती में गोरख पथ चलाने वाले गुरु "गोरखनाथ" ने इसके विकास का मार्ग खोल दिया था और बाद में महाराष्ट्र के सत नामदेव ने भी मराठी भाषी हात हुए भी इस हिन्दी में ही अपने पदों की रचना की थी। बिहार के विद्यापति और गुजरात के नरसी मेहता तथा राजस्थान की मीरा ने इसी भाषा में अपने भक्तिपूर्ण पदों की रचना की थी। देशी राजाओं के दरबारों में तो साहित्य-रचना करने वाले चदवरदार, जैसे अनक कवि शरण पाते ही रहे, राजकाज की भाषा भी प्रायः हिन्दी ही रही जो उस समय ब्रज अथवा डिगल आदि नामों से स्थान-भेद के अनुसार जानी जाती थी। पंद्रहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक इस्लाम शासन का अत्यधिक विस्तार हो जाने और फारसी का प्रभाव बढ़ जाने पर भी राष्ट्रीय सम्पर्क के लिए हिन्दी के ही विपीन किसी रूप का व्यवहार होता रहा। यह अवश्य है कि इस समय हिन्दी में फारसी के अनेक शब्दों को भी अपना लिया था और उन्हें पहचाने की प्रक्रिया में थी। इस्लाम शासन के दक्षिण भारत तक विस्तृत हो जाने पर इस्लाम शासकों को सामान्य व्यवहार के लिए जब भाषा की आवश्यकता पड़ी, तब भी वे उत्तर से ब्रजभाषा को ही दक्षिण तक फारसी मिलाकर ले गए, जिसे बाद में "दक्कनी हिन्दी" कहा गया।

उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास की बोली में जिसे खड़ी बोली कहा जाता था, फारसी शब्दों को मिलाकर जन-सम्पर्क की एक नई भाषा बनाने की चेष्टा की गई, जिसे 'उर्दू' कहा गया। किन्तु अंगरेजों के आगमन तक ये दोनों नव विकसित रूप भी हिन्दी के बृहत्तर स्वरूप में ही समा गए और उसकी दो भिन्न शक्तियाँ मात्र बन कर रह गए।

हिन्दी की सावदेशिक स्वीकृति

हिन्दी का विकास संस्कृत की सुदीर्घ परम्परा में हुआ और पालन पोषण विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं ने किया। वस्तुतः हिन्दी कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है, बल्कि एक सावदेशिक भाषा के रूप में विकसित होकर इतिहास की दीर्घ परम्परा में राष्ट्रभाषा बनी है। आर्य प्रादेशिक विभिन्न भाषा भाषियों ने अपनी सामान्य

सम्पन्न भाषा के रूप में इसे विकसित किया है। मध्यकाल में घम, दशन, व्यापार, लोक व्यवहार, आदि में एक भाषा-भंगि भाषा की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति इस भाषा ने की है। मुसलमान कवियों ने भी इस सावदेशिक महत्त्व की भाषा को ही गौरव दिया, अमीर तुसरो, कबीर, मालिक मुहम्मद जायसी, उस्मान घालम, मुल्ला दारुद, कुतुबन, रहीम, रसखान आदि व महान कवि हैं, जिन्होंने हिन्दी में अपनी श्रेष्ठ काव्य कृतियों की रचना की।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास करने में विभिन्न प्रांता का भी विशेष योगदान रहा। महाराष्ट्र में नामदेव के अलावा भी अनेक कवि हुए जिन्होंने हिन्दी में अपने विचार और भाव व्यक्त किए। सत नानेश्वर ने नाथ पथ-सम्बन्धी अपने विचारों को इसी भाषा में व्यक्त किया। नामदेव तो महाराष्ट्र से बाहर पंजाब तक इसी भाषा में अपने पदों का गायन करते हुए पहुँचे थे। महाराष्ट्र के अग्र्य हिन्दी प्रेमी महान् सतो में एकनाथ तुकाराम एवं रामदास प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र के राजदरबारों में हिन्दी कवियों को प्रथम मिलता था तथा कुछ राजा भी हिन्दी में कविता करते थे। महाराज शिवाजी के राजकवि भूपण उस युग के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रकवि थे, जिनकी सभी रचनाएँ हिन्दी में लिखी गईं। शिवाजी के पिता शाहजी के दरबार में 12 हिन्दी कवि थे, केवल कवि ही नहीं, मराठी फौज भी हिन्दी का व्यवहार करती थी।

मध्यकाल में हिन्दी के प्रमुख क्षेत्र की सीमा से लगे पश्चिमी प्रदेश पंजाब में संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की परम्परा में पंजाबी भाषा का विकास हो रहा था, किन्तु वहाँ भी धार्मिक दार्शनिक व्यवहार की भाषा हिन्दी ही थी। महान् सत नानकदेव ने अपनी बाणिया की इसी भाषा के तत्कालीन रूप में रचना की थी। उनके बाद भी गुरु अंगदेव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, एवं गुरु गोविन्द सिंह ने भी अपनी 'बानी' हिन्दी में ही व्यक्त की थी।

बंगाल और असम में भी हिन्दी "बृजबुलि" के नाम से पहुँची और इसमें अनेक कवियों ने रचनाएँ लिखीं। चतुर्थ महाप्रभु चण्डीदास, माधव कदलि, माधवदेव आदि ने ब्रजभाषा में अनेक पद लिखे।

दक्षिण भारत से अनेक दार्शनिक व घम प्रचारक उत्तर में हिन्दी का प्रचार करते हुए पहुँचे। बंगाल और असम में भी अनेक दार्शनिकों का प्रभाव पहुँचा तथा तीर्थयात्री हिन्दी का झण्डा लिए गंगासागर तक अपनी धार्मिक भावनाएँ

छोड़कर आए। उत्तर में बद्रीनाथ केरनाथ और अमरनाथ तक सुदूर दक्षिण से तीर्थ-यात्री अपनी लम्बी यात्राओं में हिन्दी के माध्यम से ही पहुँचे और कश्मीर से सतुबन्ध रामेश्वरम् तक की तीर्थ यात्राओं में भी हिन्दी ही जन-सम्पर्क मापा रही।

अंगरेजों के आगमन के पश्चात् हिन्दी को सावजनिक व्यवहार की अखिल भारतीय भाषा के रूप में विकसित होने की उतनी ही शक्ति मिलती गई, जितनी तजी से अंगरेजी उसके माग में राडे अटकती गई। अंगरेजों ने धीरे-धीरे देशी राज्यों को येन बेन प्रकारेण या तो समाप्त किया या अपने अधीन किया, तब हिन्दी के देशी राज दरबारों के केन्द्र समाप्त होने लगे, किन्तु शासन चलाने के लिए अंगरेजों को हिन्दी के व्यवहार की आवश्यकता का भी उसी के साथ-साथ अनुभव होता गया। फलतः कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से हिन्दी के अध्ययन अध्यापन की नींव भी उतनी ही रखी।

अंगरेजी शासन में विशाल देश भारत को एक महान् राष्ट्र के रूप में समझने की धारणा ने बल पकड़ा और तब विचारकों का ध्यान इस ओर गया कि किस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त की जाए। फलतः समस्त राष्ट्र में वैचारिक क्रांति लाने के लिए हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया गया। अंगरेजी शासन और अंगरेजी सभ्यता से भारतीय स्वाधीनता सनानिया व भारतीय सभ्यता की जो टकराहट प्रारम्भ हुई उसमें हिन्दी ही सबसे अधिक सफल हथियार सिद्ध हुई। इसी के माध्यम से क्रांति की आवाज गाँव गाँव और गली गली तक पहुँची। देश के बड़े-बड़े नेताओं ने हिन्दी का पक्ष लिया और उसमें अपने विचार व्यक्त करने प्रारम्भ किए।

सन् 1885 में राष्ट्रीय महासभा (नेशनल कांग्रेस) की स्थापना हुई। इस मंच पर देश के विभिन्न भागों से एकत्र होने वाले नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना फैलाने के लिए हिन्दी भाषा के प्रयोग का समर्थन किया। धुलिया के श्रीनरहरि प्रकाश ने 'राजकीय प्रकाश' नामक पुस्तक हिन्दी भाषा में लिखी। इस पुस्तक की भूमिका में यह प्रतिपादित किया गया कि अखिल भारतीय व्यवहार के लिए हिन्दी सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। पूना के केशव वामन पठे ने 1883 ई में मराठी में 'राष्ट्रभाषा' नामक पुस्तक की रचना की और उसमें हिन्दी को भारत की 'राष्ट्रभाषा' मानने पर बल दिया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना और अपने मराठी अखबार 'केसरी' में हिन्दी का एक विभाग प्रारम्भ किया। महात्मा गांधी, राजगोपालाचारी आदि सभी बड़े

नेताम्रा ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना। गांधी ने तो दक्षिण भारत में हिंदी को अधिक लोक प्रिय बनाने के लिए सन् 1918 ई. में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति की स्थापना की थी, जो आज तक कायम रह रही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए अनेक नेतृत्व ने भी अनेक प्रयत्न किए। काशी नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रप्रचार समिति वधा, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुजरात हिंदी विद्यापीठ, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर आदि अनेक संस्थाएँ स्थापित हुईं और राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के अनेक प्रयास किए। "श्राव्य समाज" के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुष तो हिंदी को समस्त राष्ट्र की भाषा मान ही चुके थे। स्वामी जी ने अपने "सत्याथ प्रकाश" ग्रंथ की रचना हिंदी में की। विदेशों में भी इन संस्थाओं के माध्यम से हिंदी पहुँची और वहाँ भी उसको भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली। इस प्रकार आजादी से पूर्व ही हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास हो चुका था तथा सर्वत्र उस रूप में मान्यता भी मिल चुकी थी। स्वाधीनता आंदोलन में समस्त देश के बड़े बड़े नेता तथा सांस्कृतिक-धार्मिक प्रचारक हिंदी को ही राष्ट्रभाषा मानकर उसमें अपने विचार प्रकट कर रहे थे।

राष्ट्रभाषा के रूप में सवधानिक स्वीकृति की स्थिति

स्वाधीनता के पश्चात् हिंदी को राजभाषा के रूप में सवधानिक स्वीकृति मिली और राष्ट्रभाषा का भी उही से अर्थ लगा लिया गया, क्योंकि राजभाषा पर विचार करते समय राष्ट्रभाषा की स्थिति का विचार ही बहस का विषय बना हुआ था। हिंदी का समथन राजभाषा के रूप में इसी आधार पर हुआ था कि वह जन स्वीकृति से राष्ट्रभाषा है। कन्नड भाषी निजलिंगप्पा जैसे महान् व्यक्ति ने 21 जून, 1949 को अपने एक लेख में लिखा कि "हिंदी प्रकृति से ही और सहज रूप से राष्ट्रभाषा हो सकती है। अंग्रेजी भाषा को और रोमन लिपि को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के नाते इस देश में चलाना लाभदायक नहीं होगा। भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं से सम्बन्ध रखने वाली भाषा का ही राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। देवनागरी लिपि ही में रोमन लिपि की तुलना में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी राष्ट्रभाषा की लिपि देवनागरी ही होगी।"

वैंगलामापी विद्वान् शेमचंद चट्टोपाध्याय ने 24 दिसम्बर 1949 को हैदराबाद में राष्ट्रभाषा परिषद के अध्यक्ष पद से मापण करते हुए कहा कि 'हम इस बात पर हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विधान परिषद द्वारा

स्वीकृत हुई है और छेद इस कारण से कि इस स्वीकृति में पेंच है। इस अभाग देश में उचित बात पर लोगों में एकमत नहीं होता है। राष्ट्रभाषा के स्वागत में जिस प्रकार का उत्साह देशप्रेमियों में उचित है, विधान परिषद में वह उल्हास नहीं दिख रहा है। अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है। अंग्रेजी से देश का सम्बन्ध टूट जाने पर भी, इसका प्रयोग शिक्षित समाज में आवश्यक है परन्तु पाठ्य वर्षों तक हमारे राष्ट्रीय व्यवहार में इसका अधुण्य अधिकार और उसके बाद भी उसके प्रयोग की सम्भावना हमारी राष्ट्रीयता के लिए घातक है। सदियों की परतंत्रता ने हमारी जातीयता की बुद्धि को मंद कर दिया है, अतः हम लज्जा की बात पर भी लज्जित नहीं होते। हिन्दी का वर्तमान साहित्यिक रूप सब व्यवहारों के योग्य और सकल प्रान्तों में स्वीकार के योग्य है। मेरा यह कथन अनुभव पर आधारित है, अर्थात् पक्षपात पर नहीं। हिन्दी की शक्ति का हिन्दी प्रांता के बाहर रहने वाले कई विशिष्ट विद्वानों ने भी प्रमाणित किया है, जिसके कारण वे हिन्दी का पक्ष लेते आ रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बन चुकी है उसको बनाने की व्यर्थ चेष्टा न की जाए। देश का कल्याण इस बात पर है कि सिद्ध वस्तु को लेकर चले।

भारत वष के बाहर अन्तर्जातीय व्यवहार के लिए हम तुरन्त राष्ट्रभाषा काम में ला सकते हैं, अगरे राजदूतों के कार्यालयों में हिन्दी जानने वाले पर्याप्त नहीं हैं, तो प्रत्येक दूतावास में एक हिन्दी जानकार नियुक्त करके और अविशिष्ट व्यक्तियों की हिन्दी शिक्षा-व्यवस्था करके हम एक वष के भीतर हिन्दी के द्वारा काय कर सकेंगे।”

उडिया भाषी तथा सविधान-सभा के सदस्य लक्ष्मीनारायण साहू ने “राष्ट्रभाषा” नामक अंग्रेजी पत्रिका के 12 मई, 1949 के अंक में अंग्रेजी में अपने विचार राष्ट्रभाषा के विषय में इस प्रकार व्यक्त किए थे—

“सब लोगों के लिए कौन सी भाषा भारतवर्ष में प्रयुक्त हो सकती है ? भारतवर्ष के कोने कोने में यहाँ से वहाँ तक बोली जाने वाली सबसाधारण भाषा एक हिन्दी ही हो सकती है, जिसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कई वर्षों से सब प्रांतों के सब घर्मों के तथा सब देशों के सयासी इसी भाषा का प्रयोग करते आये हैं। चाहे वह सयासी बौद्ध घर्मी रहा हो अथवा जैन घर्मी अथवा हिन्दू घर्म का भी क्यों न हो वह हिन्दी के ही माध्यम से अपना काम चलाता आया है। अपनी धार्मिक परम्पराओं को सब हिन्दी माध्यम से व्यक्त करते रहे हैं। इस काय में उन्होंने अपने बंगालीपल उडियापन,

नेताओं ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना। गांधी ने तो दक्षिण भारत में हिंदी को अधिक लोक-प्रिय बनाने के लिए सन् 1918 ई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी, जो आज तक काय कर रही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए अग्र्य नेताओं ने भी अनेक प्रयत्न किए। काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य मन्मथन राष्ट्रप्रचार समिति वर्धा, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पूना, गुजराज हिंदी विद्यापीठ राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर आदि अनेक संस्थाएँ स्थापित हुईं और राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के अनेक प्रयास किए। "आय समाज" के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुष तो हिंदी को समस्त राष्ट्र की भाषा मान ही चुके थे। स्वामी जी ने अपने "सत्याथ प्रकाश" ग्रंथ की रचना हिंदी में की। विदेशों में भी इन संस्थाओं के माध्यम से हिंदी पहुँची और वहाँ भी उसको भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली। इस प्रकार आजादी से पूर्व ही हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास हो चुका था तथा सर्वत्र उस इस रूप में मान्यता भी मिल चुकी थी। स्वाधीनता आंदोलन में समस्त देश के बड़े-बड़े नेता तथा सांस्कृतिक धार्मिक प्रचारक हिंदी को ही राष्ट्रभाषा मानकर उसमें अपने विचार प्रकट कर रहे थे।

राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वधार्मिक स्वीकृति की स्थिति

स्वाधीनता के पश्चात् हिंदी को राजभाषा के रूप में सर्वधार्मिक स्वीकृति मिली और राष्ट्रभाषा का भी उषी से अर्थ लगा लिया गया, क्योंकि राजभाषा पर विचार करते समय राष्ट्रभाषा की स्थिति का विचार ही बहुसंख्य विषय बना हुआ था। हिंदी का समथन राजभाषा के रूप में इसी आधार पर हुआ था कि वह जन स्वीकृति से राष्ट्रभाषा है। कन्नड भाषी निजलिगप्पा जैसे महान् व्यक्ति ने 21 जून, 1949 को अपने एक लेख में लिखा कि "हिंदी प्रकृति से ही और सहज रूप से राष्ट्रभाषा हो सकती है। अंग्रेजी भाषा को और रोमन लिपि को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के नाते इस देश में चलाना लाभदायक नहीं होगा। भारत की अग्र्य प्रांतीय भाषाओं से सम्बन्ध रखने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। देवनागरी लिपि ही में रोमन लिपि की तुलना में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इसलिए स्वामाविक रूप से हमारी राष्ट्रभाषा की लिपि देवनागरी ही होगी।"

बंगलामापी विद्वान् क्षेमचन्द्र चट्टोपाध्याय न 24 दिसम्बर 1949 को हैदराबाद में राष्ट्रभाषा परिषद के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए कहा कि हय इस बात पर है कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में विधान परिषद द्वारा

स्वीकृत हुई है और खेद इस कारण से कि इस स्वीकृति में पेंच है। इस अभावे देश में उचित बात पर लोगों में एकमत नहीं होता है। राष्ट्रभाषा के स्वागत में जिस प्रकार का उत्साह देशप्रेमियों में उचित है, विधान परिषद में वह उन्माह नहीं दिख रहा है। अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है। अंग्रेजी से देश का सम्बन्ध टूट जाने पर भी, इसका प्रयोग शिक्षित समाज में आवश्यक है परन्तु पाँच वर्षों तक हमारे राष्ट्रीय व्यवहार में इसका अक्षुण्ण अधिकार और उसके बाद भी उसके प्रयोग की सम्भावना हमारी राष्ट्रीयता के लिए घातक है। सदिया की परतंत्रता ने हमारी जातीयता की बुद्धि को मंद कर दिया है, अतः हम लज्जा की बात पर भी लज्जित नहीं होते। हिंदी का वर्तमान साहित्यिक रूप सब व्यवहारों के योग्य और सकल प्रांतों में स्वीकार के योग्य है। मेरा यह कथन अनुभव पर आधारित है अर्थात् पक्षपात पर नहीं। हिंदी की शक्ति को हिंदी प्रांतों के बाहर रहने वाले कई विशिष्ट विद्वानों ने भी प लिया है, जिसके कारण वे हिंदी का पक्ष लेते आ रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन चुकी है उसको बनाने की व्यर्थ चेष्टा न की जाए। देश का कल्याण इस बात पर है कि सिद्ध वस्तु को लेकर चले।

भारत वष के बाहर अंतरजातीय व्यवहार के लिए हम तुरंत राष्ट्रभाषा काम में ला सकते हैं, अगर राजदूतों के कार्यालयों में हिंदी जानने वाले पर्याप्त नहीं हैं, तो प्रत्येक दूतावास में एक हिंदी जानकार नियुक्त करके और अवशिष्ट व्यक्तियों की हिंदी शिक्षा-व्यवस्था करके हम एक वष के भीतर हिंदी के द्वारा काय कर सकेंगे।”

उडिया भाषी तथा सविधान सभा के सदस्य लक्ष्मीनारायण साहू ने “राष्ट्रभाषा” नामक अंग्रेजी पत्रिका के 12 मई, 1949 के अंक में अंग्रेजी में अपने विचार राष्ट्रभाषा के विषय में इस प्रकार व्यक्त किए थे—

“सब लांग के लिए कौन सी भाषा भारतवर्ष में प्रयुक्त हो सकती है ? भारतवर्ष के कोने-कोने में यहाँ से वहाँ तक बोली जाने वाली सबसाधारण भाषा एक हिंदी ही हो सकती है, जिसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कई वर्षों से सब प्रांतों के सब धर्मों के तथा सब देशों के सयासी इसी भाषा का प्रयोग करते आये हैं। चाहे वह सयासी बौद्ध धर्मी रहा हो अथवा जैन धर्मी अथवा हिन्दू धर्म का भी क्योंकि न ही वह हिंदी के ही माध्यम से अपना काम चलाता आया है। अपनी धार्मिक परम्पराओं को सब हिंदी माध्यम से व्यक्त करते रहे हैं। इस काय में उन्होंने अपने बंगालीपल उडियापन,

तमिलपन या तेलगूपन आदि का कोई विचार ध्यान में न लेते हुए हिंदी का ही आशय लिया।" तमिल भाषी अनन्त शयनम प्रायगर ने भी स्पष्ट शब्दा में कहा कि 'हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है।'

इस प्रकार उत्तर से दक्षिण और पूव से पश्चिम तक सभी क्षेत्रों के प्रमुख विद्वानों और नेताओं का एक स्वर से यह मत था कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा है किंतु फिर भी संविधान में हिंदी के साथ अंग्रेजी को प्रारम्भ में 15 वर्षों के लिए राजभाषा मानते हुए राष्ट्रभाषा जैसी स्थिति में भी ला दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 17—राजभाषा अध्याय 1, 2 व 3 में राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी की स्वीकृति ऐसे रूप में की गई, जिससे राजभाषा का अर्थ 'राष्ट्रभाषा' भी निकलता था। फलतः राजभाषा सम्बन्धी संविधान की व्यवस्थाओं ने हिंदी से उसका वह "राष्ट्रभाषा" पद भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रारम्भ में 15 वर्षों के लिए और फिर तब तक के लिए छीन लिया, जब तक राष्ट्रभाषा सम्बन्धी चेतना समस्त देश में दुबारा नहीं लौटती। अभी तक तो वह चेतना लौटने के लक्षण नहीं दिखाई दिए अंग्रेजी राजभाषा के आसन पर तो जमी बठी ही है तथा हिंदी को धकिया रही है राष्ट्रभाषा के पद को भी उसने शून्य बनाने की सतत चेष्टा की है तथा शहर से गावों तक छोटे-बड़े अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के द्वारा अपने पर फैलाती जा रही है। आश्चर्य यह है कि देश के कोने कोने तक बोली या समझी जाने वाली, सामाजिक सांस्कृतिक स्वीकृति वाली एक संस्कृत की उत्तराधिकारिणी राष्ट्रभाषा हिंदी अपने ही योगों के द्वारा घोर उपेक्षा का पात्र बन गई है। उसके सभी समर्थक या तो मौन हैं या स्वगवासी हो चुके हैं, या कुंसियों के आनन्द भोग में ध्यानोदस्थित हैं।

राष्ट्रभाषा हिंदी को इस दयनीय स्थिति तक पहुँचाने वाले देश के संविधान की उन व्यवस्थाओं को समझना यहाँ आवश्यक है, जिनके अनुसार देश की राजभाषा का निर्णय किया गया था।

हिंदी राजभाषा विषयक संवैधानिक भाष्यता

सन् 1946 में संविधान सभा बनाई गई। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अधिक थे। इस सभा की पहली बैठक दिसम्बर 1946 को हुई। दो दिन पश्चात् डॉ. राजेन्द्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गये। जब 15 अगस्त, 1947 को भारत स्वाधीन हुआ और पाकिस्तान का अलग निर्माण हो गया, तो मुस्लिम लीग के सदस्य इससे हट गए। संविधान सभा की नियम समिति ने

1946 में ही डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह निर्णय कर लिया था कि समा की कामकाज की भाषा हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी होगी तथा अध्यक्ष से अनुमति लेकर कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में अपनी बात कह सकेगा। सविधान समा के चौथे सत्र के दूसरे दिन 14 जुलाई 1947 को सशोधन प्रस्तुत करके "हिन्दुस्तानी" की जगह 'हिंदी' शब्द कर दिया गया।

फरवरी 1948 में सविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसमें 'राजभाषा' सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल "संसद की भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी यह उल्लेख था। तत्पश्चात् हिंदी के सम्बन्ध में पक्ष-विपक्ष में अनेक मत व्यक्त हुए। पण्डित जवाहर लाल नेहरू चाहते थे कि राजभाषा एक ऐसी भाषा हो जो सम्पूर्ण देश की भाषायी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्र देश को अपनी ही भाषा में कामकाज चलाना चाहिए। सविधान समा के 8 नवम्बर 1948 के कायवाही विवरण में यह उल्लेख मिलता है कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू भारत के लिए एक ऐसी भाषा चाहते थे जो जनता के मध्य से ही विकसित हो। तत्पश्चात् 10 नवम्बर, 1948 को स्टीयरिंग समिति की बैठक में यह निश्चय किया गया कि देश का सविधान हिन्दी में भी तैयार किया जाना चाहिए। अगस्त से सितम्बर 1948 तक इस विषय पर विस्तार से बहस हुई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की कार्यकारिणी ने भी भाषा को एक विवाद के रूप में लिया और यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएँ राजकाज में प्रयुक्त हों। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भी 6-7 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन में नागरी लिपि में लिखी 'हिंदी' को सब सम्मति से राष्ट्रभाषा स्वीकार करने का सुझाव दिया। 8 अगस्त, 1949 को पर्याप्त विवाद के पश्चात् सविधान समा में अंग्रेजी को हिंदी के साथ 10 वर्षों तक चलाने रहने का निश्चय किया गया। यहाँ हिंदी के स्वरूप का मुद्दा भी उठा जिसके लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई। 10 से 17 अगस्त तक बैठकें होती रहीं। सोलह अगस्त को प्रारूप समिति ने अपनी रपट प्रस्तुत की, जिसमें 10 वर्ष तक हिंदी के साथ अंग्रेजी चलाने की शर्त थी, जिसे दो तिहाई बहुमत से संसद ने पांच वर्ष कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय अंक स्वीकार किए गए। बाईस अगस्त को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने एक नया फामूला रखा, जिसमें अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की अवधि का प्रस्ताव था। जिसे भी वाद में संसद बट्टा सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय अंकी का भी सुझाव उन्होंने दिया तथा उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी आवश्यक माननी। प्रादेशिक भाषाओं की अनुसूची बनाने तथा भाषा आयोग के गठन का प्रस्ताव भी उही का था।

26 अगस्त, 1949 को कांग्रेस पार्टी ने फिर इस विषय पर पर्याप्त विचार किया। जब मतदान हुआ तो समान मत पड़े। अतः पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने यह राय दी कि हर सदस्य स्वतंत्र रूप से अपना मत प्रकट करे। उसके बाद कई बार विचार विमर्श चला और यह निष्कण पण्डित नेहरू ने प्रस्तुत किया कि हिंदी का ऐसा स्वरूप स्वीकार किया जाए जो परिष्कारमूलक न होकर समावेश मूलक हो और उसमें भारत की सभी भाषायी तत्वों को शामिल किया जाए तथा उसमें हुई एव हिन्दुस्तानी शब्द भी लिए जाएँ। अको के विषय में यह राय बनी कि उन अंतर्राष्ट्रीय अको को सघ के कामकाज के लिए स्वीकार किया जाए जो बहुत पहले भारतीय अका से ही विकसित हुए थे। इस प्रकार आगे भी अनेक बार विचार विमर्श और मतदान हुए। अन्त में राजभाषा के विषय में जो निष्पत्ति ली गई उसकी जानकारी के लिए "सघ की राजभाषा नीति" सम्बन्धी सर्वैधानिक व्यवस्थाओं को यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

सघ की राजभाषा नीति

संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

120 (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

परंतु, यथास्थिति, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुमति दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा—अथवा उपबन्ध न करे तब तक इस सविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिये गये हों।

विधान-मण्डल में प्रयुक्त होने वाली भाषा

210 (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान मण्डल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी में किया जाएगा।

परंतु यथास्थिति विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो उपयुक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। (यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं)।

(2) जब तक राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा अथवा उपबंध न करे तब तक इस सविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में" ये शब्द उसमें से नुप्त कर दिये गए हों।

परंतु हिमाचल प्रदेश भण्डपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य विधान मण्डलों के सम्बन्ध में यह खण्ड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो कि उसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिये गये हों।

1 सभ की राजभाषा

343 (1) सभ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। सभ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अक्षरों का रूप भारतीय अक्षरों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खण्ड (1) से किसी बात के होते हुए भी इस सविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिए सभ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले ये प्रयोग की जाती थी। परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा सभ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अक्षरों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी ससद उक्त पंद्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा—

(क) अंग्रेजी भाषा का अथवा (ख) अक्षरों के देवनागरी रूप का

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसे विधि में उल्लिखित हों।

राजभाषा के लिए ससद का आयोग और समिति

344 (1) राष्ट्रपति इस अधिधान के प्रारम्भ में पाँच वर्ष की मर्यादा पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की मर्यादा पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक समापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्ध सदस्यों से मिलकर बनेगा, जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का आदेश परिभाषित करेगा ।

(2) राष्ट्रपति को—

- (क) सभ के राजकीय प्रयोजना में सब या किसी के लिए हिन्दी भाषा के लिए उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के,
 - (ख) सभ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निबन्धनों के,
 - (ग) अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के
 - (घ) सभ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के रूप के,
 - (ङ) सभ की राजभाषा तथा सभ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किए हुए किसी अर्थ विषय के बारे में सिफारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा ।
- (3) खण्ड (2) के अधीन अपनी सिफारिशों को करने में आयोग भारत की औद्योगिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक सेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के लोगों के मायपूरण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा ।

(4) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी, जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो कि क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सत्रमणाय मत द्वारा निर्वाचित होंगे ।

- (5) खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना समिति का कर्तव्य होगा।
- (6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खण्ड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उसे सारे प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकास सकेगा।

2 प्रादेशिक भाषाएँ

राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ —

- 345 अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग के अथवा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा—

परन्तु जब तक राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा इसे अथवा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए संविधान के प्रारम्भ से ठीकपहले वह प्रयोग की जाती थी।

एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और सभ के बीच में संचार के लिए राजभाषा

- 346 सभ में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और सभ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी, परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिन्दी भाषा होगी, तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी।

- 347 तद् विषयक माँग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जन समुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए, तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सब अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाए।

3 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा—

348 (1) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जब तक ससद विधि द्वारा अथवा उपबन्ध न कर, तब तक—

(क) उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कायवाहियाँ,

(ख) जो—

(प्र) विधेयक, अध्याय उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संगोपन ससद के प्रत्येक सदन में पुन स्थापित किए जाएँ, उन सब के प्राधिकृत पाठ,

(द) अधिनियम ससद द्वारा या राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित किए जाएँ, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित किए जाएँ, उन सबके प्राधिकृत पाठ, तथा

(स) आदेश, नियम विनियम और उपविधि इस संविधान के अधीन अथवा ससद या राज्यों के विधान मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन निकाले जाएँ, उन सबके प्राधिकृत पाठ, अंग्रेजी भाषा में होंगे ।

(1) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रपति को पूर्व सम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले उच्च न्यायालय की कायवाहियों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु इस खण्ड की कोई बात जैसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए निष्पत्ति अथवा आदेश को लागू न होगी ।

(3) खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान मण्डल ने, उस विधान मण्डल में पुन स्थापित विधेयको का उसने द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखण्ड की कण्डिका में निर्दिष्ट किसी आदेश नियम विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया है,

वहाँ उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस खण्ड के अभिप्रायों के लिये उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

भाषा सम्बन्धी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

349 इस सविधान के प्रारम्भ से 15 वर्षों की कालावधि तक अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) में द्रष्टव्य प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या सशोधन सदन के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मजूरी के बिना न तो पुनः स्थापित और न प्रस्तावित किया जायेगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुनः स्थापित अथवा ऐसे किसी सशोधन के प्रस्तावित किए जाने की मजूरी अनुच्छेद 344 के खण्ड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर तथा उस अनुच्छेद के खण्ड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही राष्ट्रपति देगा ।

4 विशेष निर्देश

350 किसी व्यथा के निवारण के लिए सघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति सघ में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा ।

350 ए तथा 350 बी

सविधान सशोधन स 7, 1956 के अनुसार जोड़ दी गई है जिनमें मातृ-भाषा के माध्यम में शिक्षण तथा मापिक अल्पसंख्यकों के हिता की रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है ।

हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश

351 हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक सस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप शैली, और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वाछनीय हो वहाँ उसके शब्द मण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौरणत वैसे उल्लिखित

भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना सध का वत्तव्य होगा ।

राजभाषा आयोग सिफारिशें और राय

क स राजभाषा आयोग की सिफारिशें

राजभाषा पर
संसदीय समिति
की राय

- 5 प्रशासन की भाषा बदलने के लिए कुछ प्रारम्भिक आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं
 - (1) प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली आवश्यक विशिष्ट परिभाषाएँ तैयार करना और उनका प्रमाणीकरण ।
 - (2) प्रशासन के दैनिक कायकलाप में सम्बन्धित सरकारी प्रकाशनों जिनमें नियम विनियम दिये रहते हैं, हस्त पुस्तिकाएँ तथा अन्य काय विधिक साहित्य का हिंदी में अनुवाद ।
 - (3) विभिन्न वर्गों के प्रशासनिक कर्मचारियों को इस ढंग से ट्रेनिंग देना कि वे भाषा की योग्यता इस उपयुक्त स्तर की प्राप्त कर लें जिससे वे नये भाषा माध्यम का प्रयोग आवश्यक कायक्षमता के साथ कर सकें और सुविधानुसार अपने आपको उस भाषा में ध्यक्त कर सकें ।
 - (4) सरकारी कार्यों का सुविधा और उन्हें द्रुतगति से कर सकने की दृष्टि से जिन यांत्रिक तथा अन्य सहायक साधनों की जरूरत होती है उनका नये भाषा माध्यम के अनुकूल विकास करना तथा उन्हें तैयार करना उदाहरणार्थ टाइपराइटरो और टाइपिस्टा शीघ्रलिपि

और शीघ्रलिपिकी, मुद्रण और प्रतिलिपिक यन्त्रों, टेलीप्रिंटरों और अन्य सवार साधनों की नये माध्यम के अनुकूल बनाना आदि ।

इसमें आवश्यकता (1) तो अध्याय 5 में वर्णित पारिभाषिक शब्दावली की सामान्य समस्या का अंग है ।

6 जहाँ तक आवश्यकता (2) का प्रश्न है इस बात का पूरा रूप से निश्चय कर लेना आवश्यक होगा कि इस प्रकार से सारे काय विधिक साहित्य के अनुवाद में भाषा की एकरूपता हो । इस प्रयोजन के लिए यह अधिक उचित होगा कि इस काय के निर्देशन और अघोक्षण का सम्पूर्ण दायित्व केन्द्रीय सरकार की एक ही संस्था को सौंप दिया जाए ।

इसे स्वीकार किया जा सकता है ।

7 जहाँ तक (प्रशासनाधिकारियों के प्रशिक्षण) की आवश्यकता स (3) का प्रश्न है भारत सरकार द्वारा अपने कमचारियों को हिन्दी भाषा में स्वच्छिक आधार पर प्रशिक्षण देने की जो वर्तमान व्यवस्था की गई है उस पर पुनर्विचार किया गया है । यदि अनुवाद से यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था से उपयुक्त परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं तो सरकार के लिए उचित और आवश्यक होगा कि वह अपनी भाषा नीति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सरकारी कमचारी के लिए अनिवार्य कर दे कि वह अपने कर्तव्य भर को ठीक प्रकार से निभा

सरकारी कमचारी अपने भाषा की हिन्दी में योग्य बनायें इसके लिए सरकार उन पर कुछ जिम्मेदारियाँ डाल सकती है ।

सकने के लिए उचित कार्यावधि में हिंदी का उचित ज्ञान प्राप्त कर लें।

- 8 आवश्यकता (4) की पूर्ति के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए, जिसके अनुसार शीघ्रलिपिकों और टाइपिस्टों को नये भाषा माध्यम में शीघ्रलिपि और टाइप ट्रेनिंग और सघीय भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष छुट्टियाँ तथा विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

इसे स्वीकार किया जा सकता है।

- 9 विभिन्न वर्गों के पदों और सेवाओं की भरती में निर्दिष्ट योग्यता की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा में योग्यता के जिस स्तर सामान्यतः इसका सम्यक् विश्वविद्यालय की उपाधियों से है, को मायता प्राप्त है वही स्तर हिंदी की भाषाई योग्यता के लिए भी एक मानदंड निश्चित किया जा सकता है। प्रारम्भिक स्थिति में कुछ नीचे स्तर का भी स्वीकार किया जा सकता है।

सिद्धांत रूप से इसे स्वीकार किया जा सकता है परंतु परिवर्तन की दशाओं में कुछ हलका स्तर काफी रहता।

- 10 सामान्य रूप से कहना चाहिए कि नियत स्तर तक योग्यता न प्राप्त करने पर दण्ड की व्यवस्था करना ठीक होगा। 'यूनतम स्तर से अधिक योग्यता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन और पुरस्कार देना उपयुक्त प्रतीत होगा।

यह सिफारिश छोड़ी जा सकती है।

- 11 सघ सरकार के कुछ प्रशासन के खण्डों में मविध्य में अनिश्चित काल तक उन स्तरों तक अंग्रेजी की तकनीकी परिभाषाओं का

इसे स्वीकार किया जा सकता है सिवाय इसकी कि समिति का विचार

प्रयोग जारी रखा जा सकता है जिसके लिए भारतीय परिभाषाओं का तैयार करना आवश्यक न समझा जाए इसी प्रकार उन खण्डों में पत्र व्यवहार भी अंग्रेजी में जारी रखा जा सकता है जहाँ उस माध्यम के द्वारा विदेशों से निरंतर सम्पर्क बनाये रखना आवश्यक हो।

है कि मविध्य में जब तक भारतीय पारिभाषिक शब्दावली का विकास करना आवश्यक नहीं समझा जाता जब तक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द प्रयोग किये जाते रहना काफी रहता न कि हमेशा के लिए जैसा आयोग ने सिफारिश की है।

- 12 भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अलावा प्रशासनिक संस्थाओं और संगठनों में भाषा माध्यम को बदलना होगा, जैसा कि रेलवे डाक और तार विभाग उत्पादन कर (सीमा शुल्क, आयकर विभाग आदि)। इन संगठनों की अनेक इकाइयाँ और शाखाएँ देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं, इसलिए इन्हें ध्यान में रखते हुए भाषा-समस्या के कुछ विशेष पहलू सामने आते हैं। इन प्रशासनिक संगठनों के लिए यह आवश्यक है कि वे दो भाषाओं के प्रयोग का एक स्थायी उपाय ढूँढ निकालें, अर्थात् जहाँ तक आंतरिक कार्य का सम्बन्ध है, वे हिन्दी का प्रयोग करेंगे और जहाँ तक जनता से व्यवहार का प्रश्न है वे उन क्षेत्रों में वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं में कार्य करेंगे।

इसे स्वीकार किया जा सकता है।

- 13 यह आवश्यक है कि भारत सरकार के इन प्रशासनिक संगठनों और विभागों के वर्तमान कामचारी-वृद्ध के ढाँचे को दो भाषाओं में

इसे स्वीकार किया जा सकता है।

प्रयोग की सुविधा के अनुरूप पुनः परीक्षा और विवेकीकरण किया जाए। इसी प्रकार भर्ती करने की पद्धति में भी और भर्ती के लिए आवश्यक योग्यताओं के निर्धारण में तदनुसार परिवर्तन करना होगा।

- 14 सेवा नियोजक के रूप में इन अखिल भारतीय विभागों और संगठनों को अधिकार है कि वे अपने विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठानों में भर्ती करने के उद्देश्य से हिन्दी की योग्यता के स्तर भी नियत कर दें (जहाँ आवश्यकता हो वे प्रादेशिक भाषाओं की योग्यता का स्तर भी नियत कर सकते हैं) यह भी हो सकता है कि क्षेत्रीय या प्रादेशिक आवश्यकताओं के अनुसार हिन्दी योग्यता का स्तर उस स्तर से कुछ नीचा रखा जाए जो इन दफ्तरों के प्रधान कार्यालय के लिए आवश्यक हो क्योंकि प्रधान कार्यालय में तो सारा काम ही हिन्दी में किया जाना होगा जबकि क्षेत्रीय या प्रादेशिक कार्यालय में स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग होगा।
- इस स्वीकार किया जा सकता है।
- 15 सत्रमण काल में विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर कम न हो जाएँ इसलिए स्थानीय शिक्षण-पद्धति में हिन्दी की प्रगति को ध्यान में रखते हुए ऐसा अपेक्षित होगा कि शुरू शुरू में हिन्दी की योग्यता का स्तर कुछ कम रखा जाए और उस कमी की पूर्ति भर्ती के बाद सेवा काल में पूरी कर ली जाए। जैसे-जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में हिन्दी भाषा शिक्षण की सुविधाएँ उत्तरोत्तर
- इस स्वीकार किया जा सकता है।

बढ़ती जाएँ वैसे वैसे ही योग्यता स्तर ऊँचा किया जा सकता है।

- 16 केन्द्रीय सरकार की रेलवे डाक और तारजसी अखिल भारतीय प्रशासनिक संस्थाओं की भाषा-नीति मुख्य रूप से इस प्रकार बनायी जानी चाहिए जिससे जनता को सुविधा हो क्योंकि जनता की सुविधा के लिए ही उस नीति को बनाया जाना है। इन विभागों की भाषा-नीति का संचालन इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि सुविधाओं की उपेक्षा करके हिन्दी के काय को भांगे बढ़ाया जाए। जहाँ इन बोर्डों, फार्मों आदि पर हिन्दी परिभाषाओं और पदावलिओं का प्रयोग करना हो वहाँ उन्हें जनता में प्रचारित करने के लिए तथा जनता की सुविधा का ध्यान में रखते हुए उनका पाठ प्रादेशिक भाषाओं (जहाँ जरूरत हो, अंग्रेजी) में दे दिया जाना चाहिए।
- इसे स्वीकार किया जा सकता है।
- 17 यह आवश्यक है कि उन सभी हिन्दी परिभाषाओं और पदावलिओं की विशेषरूप से उनकी जो कि जनता के निकट सम्पर्क में आने वाली अखिल भारतीय प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त होती हैं पूव परीक्षा की जानी चाहिए कि वे स्थानीय भाषा के रूपों और विचारों के प्रतिकूल तो नहीं हैं। जहाँ कुछ संस्कृत शब्दों के विभिन्न भाषाओं में विभिन्न विशिष्ट अर्थ प्रचलित हो गये हों, वहाँ उनकी उपेक्षा करके अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग, माध्यम के 'भारतीयकरण' के
- इसे स्वीकार किया जा सकता है।

क्र स राजभाषा आयोग की सिफारिशें

प्रयत्नो का उपहास और तिरस्कार करना होगा ।

- 18 यह उपयुक्त नहीं होगा कि सरकारी कम-चारियों को नये माध्यम में प्रशिक्षित करने के स्थान पर मूल रूप से अंग्रेजी में किया जाए और फिर उसे अनूदित किया जाए और इस प्रकार अलग अनुवाद इकाइयों अथवा ब्यूरो स्थापित करके सरकारी कोष पर अतिरिक्त व्यय बढ़ाया जाए यद्यपि प्रशासनिक कार्य स्थायी रूप से और सक्रमण काल में सहायक रूप से महत्त्वपूर्ण कार्य है, परंतु अधिकारियों को हिंदी में प्रशिक्षित करके उनसे हिंदी में पहले से ही कार्य कराना अनुवाद कराने से कहीं अच्छा है । हमारे विचार से सविधान के सघ के कार्यों के लिए भाषा माध्यम के परिवर्तन का जो निर्देश है उसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि मूलतः कार्य अंग्रेजी में ही जारी रखा जाए और पुनः विभिन्न स्थितियों में सरकारी कोष पर बोझ डालकर उसे हिंदी में अनूदित कराया जाए ।

इसे स्वीकार किया जा सकता है ।

- 19 सघ सरकार का यह कदम बहुत उचित होगा यदि वह अपनी सेवामो में आने वाले नये लोगों के लिए उचित हिंदी ज्ञान की गत सगाए । निस-देह इस बात की सूचना बहुत पहले से दे दी जानी चाहिए । भाषा की योग्यता का आवश्यक स्तर न्यूनतम होना चाहिए और इसमें जो कमी हो उसे बाद में

इसे स्वीकार किया जा सकता है ।

नौकरी करते समय उचित प्रशिक्षण द्वारा पूरा कर लिया जाना चाहिए।

- 20 जिन कमचारियों की आयु 45 वर्ष या इससे अधिक हो गयी है उनके लिए उतनी ही योग्यता पर्याप्त समझी जानी चाहिए कि वे हिन्दी समझ सकें। इसके लिये इस बात पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए कि जिस योग्यता के साथ वे अपने आपको अंग्रेजी में अभिव्यक्त करते हैं उसी योग्यता के साथ वे हिन्दी में कार्य कर सकें। यदि आवश्यक हो तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् परीक्षाओं की व्यवस्था की जाए।
- समिति का विचार है कि 45 वर्षों या अधिक आयु वाले अधिकारियों के लिए हिन्दी सीखना आवश्यक नहीं होना चाहिए।
- 21 हम इस बात की सिफारिश नहीं करते कि इस समय सघ के किसी भी कार्य के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
- इसे स्वीकार किया जा सकता है।
- 22 हमारे लिए यह सम्भव नहीं हो सका है कि सविधान द्वारा नियत अवधि में सरकारी कार्यों में इस परिवर्तन को पूरा करने के लिए तथा हिन्दी को स्थान देने के लिए तयवार एक त्रिमासिक समय-सूची तैयार करने दे सकते। क्योंकि भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालय एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं। इसलिये सामान्य रूप से विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों में हिन्दी का प्रयोग त्रिमासिक और सम्बद्ध ढंग से होना चाहिए। हमें भारत सरकार द्वारा तयार या परिकल्पित ऐसी प्रस्थापी या अन्तर्कारीय कार्यक्रम की योजना
- समिति चाहती है कि आयोग की सिफारिशों पर दी गई राय के अनुसार सघीय सरकार सघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के अधिकारिक प्रयोग बनाये और उसे अमल में लाये।

देखने का अवसर नहीं हुआ जिसके अनुसार उसके सभी मंत्रालयों और विभागों में परिवर्तन करने का कार्यक्रम बनाया गया है और उनकी विशेष कठिनाइयों पर ध्यान दिया गया हो, आधार तैयारियों के काम का कितना बोझ बढ़ जाएगा उसका अनुमान किया गया हो, वर्तमान सरकारी कर्मचारी बृद्ध की भाषा योग्यता का लेखा-जोखा हो और उन्हें नये भाषा माध्यम में प्रशिक्षित कर सकने की कोई लगभग तिथि नियत कर दी गयी हो। इसलिए हमने प्रारम्भिक आवश्यकताओं की ओर ता निदेश कर दिया है, परन्तु परिवर्तन के सामान्य परिकल्पों और सम्बद्ध विभिन्न प्रश्नों को व्याप्त करने वाले सिद्धांत का निष्णय करना तथा कार्य करने के लिए योजना तैयार करने और तदनुसार समय-अनुसूची तैयार करने का काम स्वयं भारत सरकार पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे यह सम्बद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कदम उठा सके।

- 23 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नियंत्रण में कार्य करने वाले भारतीय लेखा परीक्षकों और लेखा विभाग के मामले पर विचार किया गया। जब कोई भी राज्य प्रादेशिक भाषा का स्वीकार कर लेगा तो यह व्यवस्था करना अनिवार्य होगा कि भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के कर्मचारी जो कि राज्यों के साथ व्यवहार करते हैं सम्बद्ध राज्य की भाषा पर अधि-

इसे स्वीकार किया जा सकता है।

कार प्राप्त कर लें, जिससे वे लेखे तैयार करने और लेखा परीक्षा करने के अपने कर्तव्यों को निभा सकें। इसका अर्थ यह निकलता है कि किसी राज्य में स्थित लेखा महापरीक्षक नियंत्रण के दफ्तर को इस योग्य होना चाहिए कि वह प्रादेशिक भाषा में प्राप्त लेखों के विवरणों को सकलित करने और प्रादेशिक भाषाओं में अंकित टिप्पणियों और प्रशासनिक निएयों के अनुसार लेखा-परीक्षा कर सकने में समर्थ हो।

- 24 इस कठिनाई का यह भी हल सुझाया गया है कि लेखा परीक्षा का "प्रातीयकरण" कर दिया जाए ऐसे किसी विकल्प पर विचार करने की आवश्यकता नहीं जिसके कारण इस समय चालू सर्वधार्मिक व्यवस्था में कोई मुख्य-परिवर्तन करना पड़े। हमारा विचार है कि चालू व्यवस्था के ढाँचे के भीतर ही कोई हल ढूँढ लिया जाना चाहिए जिससे एक ओर तो लेखा महापरीक्षा नियंत्रण के कार्यालय का प्रतिष्ठान प्रत्येक राज्य में राजभाषा में अंकित लेखों की परीक्षा के कर्तव्यभारी को निभाने में समर्थ हो सके और दूसरी ओर दक्षिण व्यवस्था जिसके अनुसार सघ एवं राज्यों के लेखों और लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्व भारतीय लेखा-परीक्षण और लेखा विभाग के माध्यम से महानियंत्रक अथवा महालेखा परीक्षक में केन्द्रित हैं, बनी रहे। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का संगठन और उसमें कर्मचारी नियुक्त करने की पद्धति पर पुनर्विचार

इसे स्वीकार किया जा सकता है।

क्र स राजभाषा आयोग की सिफारिशें

राजभाषा पर ससदीय समिति
की राय

करना होगा और लगभग इसे उसी प्रकार से संगठित करना होगा जैसा कि हमने उन केन्द्रीय विभागों के बारे में मुझाया जिनका भाषा देश भर में फैला हुआ है।

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित 1967) (1963 का अधिनियम सख्याक 19)

(10 मई 1963)

उन भाषाओं का, जो सभ के राजकीय प्रयोजनों, ससद में कार्य के व्यवहार के द्वाय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी उपलब्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में ससद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1 सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा।

(2) धारा 3, जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2 परिभाषाएँ—इस अधिनियम में जब तक कि ससद में अयथा अपेक्षित न हो—

(क) 'नियत दिन से धारा 3 के सम्बन्ध में, जनवरी 1965 को 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में यह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है,

(ख) 'हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3 सघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और ससद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना— (1) सविधान के प्रारम्भ में पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही—

(क) सघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी, तथा

(ख) ससद में वाय के सव्यवहार के लिए, प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी

परन्तु सघ और किसी ऐसे राज्य के बीच जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी

परन्तु यह और कि जहाँ किसी ऐसे राज्य के जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जायगा

परन्तु यह और भी इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य की जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, सघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ उसकी सहमति से पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा—

(1) केन्द्रीय सरकार के एक मन्त्रालय या विभाग का कार्यालय के और दूसरे मन्त्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच

(2) केन्द्रीय सरकार के एक मन्त्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच ,

(3) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीच ,

प्रयोग में लाई जाती है वहाँ उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त सम्बंधित मन्त्रालय विभाग, कार्यालय या निगम या कम्पनी का कमचारिवृत्त हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में अतिविष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही—

(1) सक्तपत्रों, साधारण आदेशों नियमों, अधिसूचनाओं प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनो या प्रेस विज्ञप्तिया के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मन्त्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के या किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं,

(ii) ससद के किसी सदन या सदनो के समक्ष रखे गये प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनो और राजकीय भागज-पत्रा के लिए

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मन्त्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित सविदाओं और करारों के लिए तथा निवासी गई अनुज्ञप्तिया अनुज्ञापत्रो, सूचनाओं और निविदा प्ररूपों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिबन्ध प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिस या जिन्हें उस क राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मन्त्रालय, विभाग

अनुभाग या कार्यालय का काय करण है, प्रयोग मे लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने मे राजकीय काय के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितो का सम्यक् ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेगे कि जो व्यक्ति सभ के कायकलाप के सम्बन्ध मे सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी मे या अंग्रेजी भाषा मे प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओ मे प्रवीण नही है, उनका कोई अहित नही होता है ।

(5) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनो के लिए अंग्रेजी भाषा समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमण्डलो द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप मे नही अपनाया है सकल्प पारित नही कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त सकल्पो पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए ससद के हर एक सदन द्वारा सकल्प पारित नही कर दिया जाता ।

4 राजभाषा के सम्बन्ध में समिति—(1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, राजभाषा के सम्बन्ध मे एक समिति इस विषय का सकल्प ससद के किसी भी सदन मे राष्ट्रपति की पूर्व मजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी ।

(2) इस समिति मे तीस सदस्य होंगे जिनमे से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमश लोक सभा के सदस्यो तथा राज्य सभा के सदस्यो द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे ।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह सभ के राजकीय प्रयोजनो के लिए हिन्दी के प्रयोग मे की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को ससद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारो को भिजवाएगा ।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) मे निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारो ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हो तो उन पर विचार करने के

पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा

(परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।)

5 केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद—(1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र के प्राधिकार से प्रकाशित—

(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

(ख) सचिवालय के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधयों को, जो सदन के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किए जाने हों और उन सब सशोधनों के, जो उनके सम्बन्ध में सदन के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6 कतिपय दशकों में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद—जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल ने उस राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ, सचिवालय के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7 उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का संकल्पित प्रयोग—नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सन्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी

या उस राज्य को राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निष्पक्ष डिक्ली या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहाँ कोई निर्णय, डिक्ली या आदेश (अंग्रेजी भाषा में) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहाँ उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8 नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, सदन के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, बुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो प्रभवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी रखा जायगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसा रखा गया है, या ठीक पश्चात्पर्वती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई अन्तर करने के लिए सहमत हो जाएँ या दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपात्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसको कोई भी प्रभाव न होगा किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपात्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधि भांग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

9 कतिपय उपबन्धों का जम्मू कश्मीर को लागू न होना—धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

राजभाषा सम्बन्धी संकल्प

सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित सरकारी संकल्प गृह मंत्रालय से 18 जनवरी 1968 को प्रमाणित किया गया —

- 1 "जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार सभ की राजभाषा हिन्दी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक सभ्यता के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, सभ का कर्तव्य है,

यह समा सकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढाने के हेतु तथा सभ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक महन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट ससद की दोनों सभागों के पटल पर रखी जायेगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जायेगी,

- 2 जबकि सविधान की आठवी अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि इन भाषाओं का पूर्ण विकास के हेतु सामूहिक उपाय किये जाने चाहिये,

यह समा सकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास के हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों से सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा और उसको कार्यान्वित किया जायगा ताकि व शीघ्र सम्पन्न हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बने,

- 3 जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा के हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये गये नई भाषा सूच की सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए,

यह समा सकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूच का अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

- 4 और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के सम्योचित दावा और हितों का पूर्ण परिचालन किया जाए

यह समा सकल्प करती है—

(ग) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदा को छोड़कर जिनके लिये ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के सतीपजनक निष्पादन के हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों जसी कि स्थिति हो का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाये, सघ सेवाओं अथवा पदा के लिए मर्ती करन के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत अपेक्षित होगा, और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं एवं समय के विषय में सघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं सम्बन्धी परीक्षाओं के लिये सविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।"

राजभाषा—नियम 1976

राजभाषा (सघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 भारत के राजपत्र में 17-7-1976 का प्रकाशित किया गया, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

- 1 ये सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों पर जिनमें केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में, या उसके नियंत्रण में निगम या कम्पनी के कार्यालय आदि भी सम्मिलित हैं, लागू होते हैं (नियम-2)।
- 2 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्रादि (1) हिन्दी भाषी राज्यों को (जिन्हें "क क्षेत्र" के राज्य कहा गया है) अर्थात् हिमाचल प्रदेश हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश और सघ शासित क्षेत्र दिल्ली को अथवा (2) किसी अन्य कार्यालय को (केन्द्रीय कार्यालय से भिन्न) अथवा (3) "क क्षेत्र" के किसी व्यक्ति को अनिवार्यत हिन्दी में ही भेजे जायेंगे और यदि कि ही असाधारण दशाओं में कोई पत्रादि उनमें से किसी को अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजना अनिवार्य है) नियम-3(1)।
- 3 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पत्रादि (1) पंजाब, महाराष्ट्र गुजरात चण्डीगढ़ सघ शासित क्षेत्र और अटमान-निकोबार द्वीप समूह को (जिन्हें

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिये ऐसी किमी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के सतोपजनक निष्पादन के हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाय, सघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा, और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं एवं समय के विषय में सघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं सम्बन्धी परीक्षाओं के लिये सविधान की भाँठी अमूसूची में सम्मिलित सभी भाषाएँ तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।”

राजभाषा—नियम 1976

राजभाषा (सघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 भारत के राजपत्र में 17-7-1976 को प्रकाशित किया गया, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

- 1 य सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों पर जिनमें केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में, या उसके नियंत्रण में निगम या कम्पनी के कार्यालय आदि भी सम्मिलित हैं, लागू होते हैं (नियम-2)।
- 2 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्रादि (1) हिंदी भाषी राज्यों को (जिन्हें “क क्षेत्र” के राज्य कहा गया है) अर्थात् हिमाचल प्रदेश हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश और सघ शासित क्षेत्र दिल्ली को अथवा (2) किसी अन्य कार्यालय को (केन्द्रीय कार्यालय से निम्न) अथवा (3) “क क्षेत्र” के किसी व्यक्ति को अनिवार्यतः हिंदी में ही भेजे जायेंगे और यदि किसी असाधारण दशाओं में कोई पत्रादि उनमें से किसी को अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ-साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजना अनिवार्य है। नियम-3(1)।
- 3 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पत्रादि (1) पंजाब, महाराष्ट्र गुजरात चण्डीगढ़ सघ शासित क्षेत्र और अहमदनगर-निकोबार द्वीप समूह को (जिन्हें

यह सभा सकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा सघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट ससद की दोना सभाओं के पटल पर रखी जायगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जायेगी,

- 2 जबकि सविधान की आठवी अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास के हेतु सामूहिक उपाय किये जाने चाहिये,

यह सभा सकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास के हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा और उसको कार्यान्वित किया जायगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बने,

- 3 जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा के हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये गये त्रि भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए,

यह सभा सकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में, हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रवर्धन किया जाना चाहिए ।

- 4 और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के व्यापकित दावों और हितों का पूर्ण परिचालन किया जाए

यह सभा सकल्प करती है—

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिये ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के सतोपजनक निष्पादन के हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाये, सघ सेवाओं अथवा पदों के लिए मर्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा, और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं एवं समय के विषय में सघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं सम्बन्धी परीक्षाओं के लिये सविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।”

राजभाषा—नियम 1976

राजभाषा (सघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 भारत के राजपत्र में 17-7-1976 को प्रकाशित किया गया, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

- 1 ये सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों पर जिनमें केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में, या उसके नियंत्रण में निगम या कंपनी के कार्यालय आदि भी सम्मिलित हैं, लागू होते हैं (नियम-2)।
- 2 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्रादि (1) हिन्दी भाषी राज्यों को (जिन्हें “क क्षेत्र” के राज्य कहा गया है) अर्थात् हिमाचल प्रदेश हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश और सघ शासित क्षेत्र दिल्ली को अथवा (2) किसी अन्य कार्यालय को (केन्द्रीय कार्यालय में निम्न) अथवा (3) “क क्षेत्र” के किसी व्यक्ति को अनिवार्यतः हिन्दी में ही भेजे जायेंगे और यदि किन्हीं असाधारण दशाओं में कोई पत्रादि उनमें से किसी को अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ-साथ उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजना अनिवार्य है) नियम-3(1)।
- 3 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पत्रादि (1) पंजाब, महाराष्ट्र गुजरात षण्डीगढ़ सघ शासित क्षेत्र और अडमान-निकोबार द्वीप समूह को (जिन्हें

ख क्षेत्र' के राज्य कहा गया है) अथवा (2) उपयुक्त क्षेत्र में स्थित किसी कार्यालय को (जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न हो सामान्यतया हिंदी में होगा और यदि कोई पत्रादि उनमें से किसी को अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजना अनिवार्य होगा। तथापि इन राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं (नियम-3(2))। अथ क्षेत्र (जिसे 'ग क्षेत्र' कहा गया है) के राज्य को या कार्यालय का केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जायेंगे (नियम-3 (3))।

- 4 केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी अंग्रेजी में हो सकते हैं। केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय/विभाग और 'क क्षेत्र' में स्थित सलग्न/अधीनस्थ कार्यालय के बीच पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में भेजे जायेंगे जिस सरकार निर्धारित करेगी (नियम-4(क) और (ख))।
- 5 'क क्षेत्र' में स्थित अथ केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में भेजने जरूरी है (नियम-4 (ग))।
- 6 केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में पत्रादि हिंदी अथवा अंग्रेजी में हो सकते हैं (किन्हीं मामलों में अनुवाद भी देने होंगे) (नियम 4(घ))।
- 7 हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में दिए जाएंगे (नियम-5) कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन जब भी हिंदी में किया जाए या उसमें हिंदी में हस्ताक्षर किए जाए तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा (नियम 7 (2))।
- 8 सक्षम अधिसूचना, सामान्य आदेश लाइसेंस परमिट, निविदा नोटिस, रिपोर्ट आदि पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं या जारी किए जाते हैं (नियम 6)।
- 9 कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणियाँ हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता

है और उसमें यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे (नियम 8 (1)) :

- 10 केन्द्रीय सरकार का कमचारी जिसे हिंदी का कायसाधन ज्ञान प्राप्त है, किसी हिंदी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तब ही कर सकता है जबकि वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो (नियम (2)) । किसी कमचारी के बारे में उस समय यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कायसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है यदि उसने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है अथवा प्राज्ञ परीक्षा आदि उत्तीर्ण कर ली है अथवा वह यह घोषणा कर चुका है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है (नियम 10) ।
- 11 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सम्बन्धित सभी मैनुअल, संहिताएँ और अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी साहित्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में मुद्रित या साइब्लोस्टाइल और प्रकाशित करना अनिवार्य होगा । सभी फाइल और रजिस्ट्रो के शीप नामपट्ट सूचनापट्ट तथा स्टेशनरी आदि की मढ़ें हिंदी और अंग्रेजी में होंगी (नियम 11) ।
- 12 प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और इन नियमों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाय पडताल के उपाय करें (नियम 12) ।

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए मांग निर्देशन

निम्नलिखित के लिए हिंदी का ही प्रयोग किया जाए

- 1 कहीं से भी प्राप्त हिंदी पत्र अथवा हिंदी में हस्ताक्षरित पत्र का उत्तर देने में ।
- 2 (i) "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्या/सघ राज्य क्षेत्रों को मूल पत्र भेजने में ।
(ii) हिंदी भाषी क्षेत्रों में
(iii) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले समूह "ग" तथा "घ" कमचारियों की सेवा पत्रियों में प्रविष्टियां ।

(ख) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले तार ।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और जनता के बीच पत्र-व्यवहार

(iii) "क" तथा "ख" श्रेणियों में स्थित कार्यालयों और व्यक्तियों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते लिखना ।

3 निम्नलिखित कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है

(i) फाइलों आदि पर विषय लिखना, (ii) टिप्पणियाँ और मसौदों तैयार करना ।

निम्नलिखित के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है

1 (1) सामान्य आदेश, (2) नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ, सकल्प, (3) प्रशासनिक तथा अर्थ रिपोर्टें, (4) सविदाएँ, करार, लाइसेंस परमिट, टेण्डर के नोटिस और फॉर्म (5) सदन के समक्ष रखे जाने वाले कागजात (6) प्रेस विज्ञापितियाँ, (7) सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले परिपत्र ।

2 इनके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाए

(1) सरकारी समारोहों के लिये निमन्त्रण-पत्र, फॉर्म, सील, रबड़ की मोहर, नाम टैट और लैटरहेड ।

(2) क मंत्रालयों, विभागों द्वारा आयोजित सम्मेलनों, बैठकों में लगाए जाने वाले साइनबोर्ड,

ख इमारतों, समिति और सम्मेलन वहाँ आदि में स्थायी साइनबोर्ड ।

3 अखिल भारतीय स्तर के लिए अथवा हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए जारी किये जाने वाले सरकारी विज्ञापन ।

4 कोड मैनुअल, प्रक्रिया साहित्य तथा नियमों/विनियमों आदि के संकलन ।

5 क अखिल भारतीय सम्मेलन तथा जिन सम्मेलनों में हिंदी भाषी राज्यों के मंत्री और गैर-सरकारी सदस्य भी भाग ले रहे हों और

ख हिन्दी से सम्बन्धित मामलो पर होने वाले जिन सम्मेलनो मे गैर सरकारी व्यक्ति आमन्त्रित हा उनकी कायसूची की टिप्पणिया और कायवृत्त

6 परामश समितियो के लिए साराश तथा मन्त्रिमण्डल क लिय टिप्पणिया ।

नाट अ ग्रेजी वा ही प्रयोग करें

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से 'ग' क्षेत्र के किसी राज्य या सघ राज्य क्षेत्र को भ्रषवा ऐसे राज्य/सघ राज्य क्षेत्र मे (केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) किसी कार्यालय या व्यक्ति के पत्रादि मे केवल अ ग्रेजी वा प्रयोग किया जाये ।

राजभाषा विषयक विविध प्रायोग

सविधान के अनुसार भारत सरकार की राजभाषा-नीति के सम्बन्ध मे जो कानूनी स्थिति है, वह पीछे बताई जा चुकी है । भारतीय सविधान लागू होने पर 27 मई 1952 को हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध मे एक आदेश निकाला गया था, जिसके अनुसार अंगरेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी और अन्तर्राष्ट्रीय अक्षरों के आंतरिक देवनागरी के अक्षरों के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया था । 3 दिसम्बर 1955 को राष्ट्रपति ने राजभाषा सम्बन्धी फिर एक आदेश निकाला, जिसमे सघ के निम्नांकित सरकारी प्रयोजनों के लिए अंगरेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया—

- 1- जनता के साथ पत्र-व्यवहार
- 2- प्रशासनिक रपटें सरकारी पत्रिकाएँ, ससद मे की जाने वाली रपटें ।
- 3- सरकारी सकल्प और विधायी अधिनियम
- 4- हिन्दी अपना लेने वाली राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार ।
- 5- सधिया एव करार ।
- 6- अन्य देशों की सरकारों उनके दूतों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों के साथ पत्र-व्यवहार ।
- 7- राजनायिक, कौंसिला के पदाधिकारियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेज ।

यहाँ उल्लेखनीय है कि 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग गठित किया जा चुका था, जिसका प्रतिवेदन 1957 में संसदीय समिति के सामने प्रस्तुत हुआ और उसमें समिति की जो सिफारिशें थी वे पीछे प्रतिवेदन के साथ दी जा चुकी हैं। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 8 फरवरी 1959 को दी थी। समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख था कि किसी प्रजातांत्रिक सरकार के लिए अनेक शतक काल तक अपना काम-काज ऐसी भाषा से चलाना संभव नहीं है जिसे देश कुछ लोग ही समझते हों।”

समिति की रिपोर्ट पर लोकसभा में 2-4 सितम्बर 1959 को तथा राज्य सभा में 8-9 सितम्बर 1959 को चर्चा हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने अंगरेजी की पर्याप्त प्रशंसा करते हुए भी यह मत व्यक्त किया कि अंगरेजी निश्चय ही एक थोपी हुई भाषा है। इसने हमारे लिए ज्ञान-विज्ञान की खिडकियाँ ज़रूर खोलीं एवं हम पर्याप्त ज्ञान भी दिया, पर इस पर एक ऐसी भाषा होने का लाक्षण भी है जो हमारी अपनी भाषाओं और हमारी साम्प्रतिक परम्पराओं के ऊपर जमकर बैठ गई है।”

अन्त में 29 अप्रैल 1960 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344 खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश निकाला जिसमें अनेक विदुषों पर स्पष्ट निराय थे और हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त करने के लिए अनेक प्रयत्न स्पष्ट उल्लिखित किए गए थे। इससे हिन्दी के प्रयोग में सक्रियता आई। इसी के अनुसार सन 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग” गठित किया गया। इस आयोग ने हिन्दी के प्रयोग के लिए अनेक प्रयत्न किए। इसके अलावा एक ‘राजभाषा विधायी आयोग’ भी गठित किया गया जिसके कई वाय भी सराहनीय हैं। अनेक अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद कराया गया है तथा “विधि शब्दावली” का भी प्रकाशन हुआ है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर हिन्दी के विकास के लिए अनेक प्रयत्न —

29 मार्च 1961 को सरकार ने हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए योजनाबद्ध स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यह मंत्रालय 21.5.1960 को ही एक कार्यालय आपन प्रसारित कर सभी समारोहों के लिए निमन्त्रण-पत्र हिन्दी तथा

अगरेजी दोनों में जारी करने की पद्धति अपना चुका था। चतुर्थ श्रेणी कम-चारियों की सेवा पत्रिकाओं में प्रविष्टि का हिंदी में करने का आदेश भी बहुत पहले 1957 में ही जारी हो चुका था। 19-8-68, 19-5-70, तथा 10-6-74 के कार्यालय तामनों में फिर इन आदेशों का स्मरण कराया गया।

सन् 1962-63 में यह व्यवस्था भी की गई थी कि भारत सरकार का राजपत्र (गजट) अगरेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी प्रकाशित हो। यद्यपि उसके लिए कुछ विशेष क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए थे। किंतु उन निर्धारित क्षेत्रों में भी हिंदी में राजपत्र नियमित रूप से प्रकाशित नहीं हुआ। इस संबंध में सरकारी स्तर पर प्रयत्न भी किए गए किंतु कुछ सम्बंधित विभागों ने नियम का पालन नहीं किया। 1970 में स्पष्टतः आदेश दिए गए कि सभी हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं किंतु उसका भी पूर्णतः पालन नहीं हुआ। यह भी आज्ञा दी गई कि पत्र मूले रूप में हिंदी में लिखे जाएं और उसका अनुवाद अगरेजी में हो, परंतु यह आदेश भी प्रभावी सिद्ध न हुआ। एह सचिव की अध्यक्षता में 'हिंदी कार्यक्रम कार्य-व्ययन समिति' का गठन भी किया गया। इसकी सफलता को देखते हुए अनेक कार्य-व्ययन समितियाँ भी गठित की गईं तथा हिंदी सलाहकार समितियाँ भी विभिन्न विभागों में गठित की गईं। कमचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देने के लिये गहन हिंदी शिक्षण योजना भी प्रारम्भ की गई, जिसके अनुसार सन 1972 से केन्द्रीय हिंदी संस्थान आगरा के दिल्ली केंद्र से हिंदी शिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रशासनिक प्रशिक्षण की प्रकादमी मुसूरी में भी हिंदी के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। सन् 1969 में कोठारी समिति ने सघीय लोक सेवा आयोग की परिक्षाओं में हिंदी को अग्र-भारतीय भाषाओं के साथ परीक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की थी जो लागू हो चुकी है।

कतिपय अन्य गैर सरकारी प्रयत्न

स्वाधीनता के पश्चात् राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। आगरा का केन्द्रीय हिंदी संस्थान आरम्भ में एक गैर सरकारी संस्था के रूप में ही स्थापित किया गया था, जिसने दक्षिण भारत के प्रत्याशियों को हिंदी का प्रशिक्षण देना आरम्भ किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन नागरी प्रचारिणों सभा तथा कई राज्यों में स्थापित अन्य सामाजिक साहित्यिक संस्थाएँ हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयत्नशील हैं। दक्षिण भारत के सभी राज्यों में किसी न किसी नाम से हिंदी

का प्रचार करने वाली संस्थाएँ संचालित हो रही हैं। इन संस्थाओं ने उत्तर-दक्षिण में सेतु का कार्य किया है तथा हिन्दी को वहाँ लोकप्रिय बनाया है। कई संस्थाएँ अहिन्दी भाषियों को हिन्दी में लेखनकार्य के लिए पुरस्कार एवं अन्य सम्मान देती हैं। कई प्रकाशनों ने भी हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए पुरस्कार देना आरम्भ किया है। इस प्रकार हर स्तर पर गैर सरकारी प्रयत्न चल रहे हैं। आशा है एक दिन हिन्दी को अंगरेजी के चगुल से छुड़ाया जा सकेगा तथा वह व्यावहारिक रूप में राष्ट्रभाषा तो है ही, राजभाषा भी बन कर रहेगा।

व्यावहारिक हिन्दी

‘हिन्दी’ भाषा का राष्ट्रभाषा और राजभाषा तो स्वीकार कर लिया गया है, किन्तु अभी तक उसका व्यवहार पूरुणत नहीं हो पा रहा है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी राजभाषा हिन्दी एवं व्यावहारिक हिन्दी वाई अलग अलग स्वरूप है।

व्यावहारिक हिन्दी से तात्पर्य —

हिन्दी का वह स्वरूप जो प्राय व्यवहार में आता है व्यावहारिक हिन्दी कहलाता है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा को इससे अलग नहीं किया जा सकता। व्यावहारिक हिन्दी से अगर उसके किसी नाम की स्वरूप गत भिन्नता है, तो वह साहित्यिक और वैज्ञानिक हिन्दी है। व्यावहारिक हिन्दी की संरचना में उसकी बोलियों का अधिक योगदान रहता है। सामान्य जन ही नहीं विशिष्ट जन भी व्यावहारिक हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। हिन्दी भाषी राज्यों में बोलचाल में इसी का प्रयोग होता है। सिनेमा, रेडियो दूरदर्शन, कारखानों, कार्यालयों आदि में व्यावहारिक हिन्दी का ही प्रयोग होता है। नगरवासी प्राय व्यावहारिक हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। पत्र व्यवहार करने के लिए व्यावहारिक हिन्दी ही काम आती है। लोक प्रचलित शब्दावली को ग्रहण करने के लिए व्यावहारिक हिन्दी का द्वार कभी बन्द नहीं होता। भारतवर्ष की अधिकांश जन-संख्या व्यावहारिक हिन्दी को समझती है तथा अपना काम चलाती है। भले ही नगरों में और कुछ ग्रामीण कस्बों में भी गली गलियों में अंगरेजी स्कूल खुल गए हों, किन्तु रोजमर्रा का काम काज हिन्दी में ही चलता है। नेता लोग शहर में या सदन में बैठकर भले ही अंग्रेजी बोलते हों, किन्तु वे भी वोट, व्यावहारिक हिन्दी

म ही मागते हैं। बाजारों, रेलवे स्टेशनों वस अड्डों होटलों तक उसका शासन फैला हुआ है। अपने इसी गुण के कारण वह देश की राष्ट्रभाषा भी है।

आवश्यकता और उपादेयता—

भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा बन जान का गौरव पाने वाली हिंदी विशाल जन समाज के लिए जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। दो प्रतिशत से अधिक लोग अंगरेजी नहीं समझ सकते। ऐसे लोगों को छोड़ दें तो शेष 98 प्रतिशत लोगों के पारस्परिक सम्बन्धों के लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की आवश्यकता है। अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में हिंदी बोलने वाले लोग कई गुना अधिक हैं। ये लोग दैनिक व्यवहार हिंदी में ही चलाते हैं। अंगरेजी पढ़े लिखे लोग भी मंदिरों मस्जिदों-गुरुद्वारा में हिंदी ही बोलते हैं, हिंदी में ही पूजा पाठ करते हैं। जिस प्रकार बौद्धों के लिए जनता तक पहुँचने के लिए नेताओं के लिए व्यावहारिक हिंदी आवश्यक है, उसी प्रकार भगवान तक पहुँचने का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के लिए भी सामान्य जनो को ही नहीं, विशिष्ट जनो के लिए भी व्यावहारिक हिंदी आवश्यक है।

हिंदी के द्वारा हम अपने परिवार समाज, घम, राजनीति और सांस्कृतिक सम्बन्धों को समझ पाते हैं। राष्ट्र के अधिकांश लोक-व्यवहारों में इसकी बहुत उपयोगिता है। राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी के व्यावहारिक स्वरूप की सर्वाधिक उपयोगिता है।

शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का व्यवहार

शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा या मातृभाषा ही होनी चाहिए। बालक अपनी भाषा में दिए हुए ज्ञान को बहुत जल्दी समझ लेते हैं तथा भली प्रकार स्मरण भी रख पाते हैं। स्वाधीनता के पश्चात् उत्तर भारत के कई राज्यों में शिक्षा का माध्यम 'हिंदी' को बनाया गया। विधान और वाणिज्य के विषय भी हिंदी में पढ़ाने की व्यवस्था आरम्भ में माध्यमिक स्तर तक की गई। वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान-दावली आयोग ने इस दिशा में बहुत प्रयास किए विविध शब्दकोषों का सम्पादन और प्रकाशन एक महत्त्वपूर्ण कार्य था, जो सरकारी प्रयत्नों से सम्भव हुआ। ऐसे अध्यापकों की नियुक्तियाँ तथा पदोन्नतियों की गईं, जो हिंदी माध्यम से शिक्षा दे सकें। फलतः उत्तरप्रदेश, बिहार राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचलप्रदेश तथा मध्यप्रदेश में हिंदी माध्यम सफल सिद्ध हुआ।

महाविद्यालया एव विश्वविद्यालयो म भी हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था हुई तथा छात्रो एव अध्यापको म भी हिन्दी म शिक्षा के आदान प्रदान की अभिरूचि बढती गई । केन्द्र सरकार ने सभी विषय की पाठ्यपुस्तकें हिन्दी म तैयार कराने के लिए इन राज्यों मे हिन्दी ग्रन्थ अकादमिया की स्थापना की । इन अकादमियो ने विज्ञान, कृषि चिकित्सा अभियांत्रिकी, वाणिज्य आदि विषयो के ग्रन्थ हिन्दी मे तैयार कराए । आरम्भ म इन विषयो की महत्वपूर्ण अंगरेजी पाठ्यपुस्तको का हिन्दी मे अनुवाद कराया गया । धीरे धीरे हिन्दी म सभी विषयो के मौलिक लेखन और प्रकाशन की भी व्यवस्था हुई । कई बड़े प्रकाशना ने भी हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए अच्छे हिन्दी ग्रन्थो का प्रकाशन करके प्रशासनीय योग दिया । भारत सरकार के अलावा प्रांतीय सरकारो ने भी हिन्दी म पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए अनक प्रयास किए । कई विषयो को हिन्दी मे लिखित मौलिक पाठ्यपुस्तको पर पुरस्कार देने की योजनाए भी चलाई गई ।

आजकल इस प्रकार के प्रयास अनेक दिशाओ मे हो रहे है । फलत उच्च स्तर पर भी हिन्दी शिक्षा का माध्यम बन चुकी है और कई प्रतियोगिता परीक्षाए भी अब हिन्दी म होने लगी है । निश्चय ही हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने से देश के कई राज्यों म शिक्षा का स्तर ऊँचा उठा है तथा देश को पहचानने की क्षमता तथा विदक का विकास भी हुआ है ।

राजकाय के सम्पादन हेतु प्रशासनिक कार्यालयीय विधि ध्यापारिक एव वैज्ञानिक आदि विषयक शब्दावली —

प्रमुख अंग्रेजी शब्दो के साथ उनके हिन्दी पर्याय यहां वर्णमाला क्रम से दिए जा रहे है —

Accountant	लेखाकार
Account Clerk	लेखा लिपिक
Accounts Comiler	लेखा-सकलक
Accounts Controller	लेखा-नियंत्रक
Accounts Inspector	लेखा निरीक्षक
Accounts Officer	लेखा अधिकारी
Addl Advocate General-cum	अपर महाधिवक्ता एव सरकारी
Government Advocate	अधिवक्ता
Addl Asstt Commissioner	अपर सहायक आयुक्त

Addl Chief Secretary
 Addl District Animal
 Husbandry Officer
 Addl District Judge
 Addl Health Officer
 Addl Inspector General
 Addl Suptd of Police
 Adult Education Officer
 Advocate General
 Agricultural Assistant
 Agriculture Chemist
 Agriculture Engineer
 Agriculture Engineer cum
 Secretary
 Agriculture Extension Officer
 Agriculture Information Officer
 Agronomist
 Animal Husbandry Officer
 Announcer
 Assistant Accounts Officer
 Asstt Agriculture Engineer
 Assistant Attendant
 Assistant Cashier
 Assistant Commissioner
 Assistant Conservator
 Asstt Director
 Assistant Employment Officer
 Assistant Enforcement Officer
 Assistant Engineer
 Assistant Engineer (Survey)
 Assistant Entomologist
 Assistant Geologist
 Assistant Incharge Store

अपर मुख्य सचिव
 अपर जिला पशुपालन अधिकारी

अपर जिला पायाधीश
 अपर स्वास्थ्य अधिकारी
 अपर महानिरीक्षक
 अपर पुलिस अधीक्षक
 प्रौढ शिक्षा अधिकारी
 महाविद्यालय/एडवोकेट जनरल
 कृषि सहायक
 कृषि रसायन
 कृषि अभियंता
 कृषि-अभियंता एवं सचिव

कृषि प्रसार अधिकारी
 कृषि-सूचना अधिकारी
 कृषि विज्ञानी
 पशुपालन-अधिकारी
 उद्घोषक
 सहायक लेखा अधिकारी
 सहायक कृषि अभियंता
 सहायक परिचारक
 सहायक खजांची
 सहायक आयुक्त
 सहायक वन रक्षक
 सहायक निदेशक
 सहायक रोजगार अधिकारी
 सहायक प्रवर्तन अधिकारी
 सहायक अभियंता
 सहायक अभियंता (सर्वेक्षण)
 सहायक कीट विज्ञानी
 सहायक भू-वैज्ञानिक
 सहायक प्रमारी (मण्डारी)

Assistant Information Officer	सहायक सूचना-अधिकारी
Assistant Librarian	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
Assistant Manager, Salt	महायक व्यवस्थापक (लवण)
Assistant Matron	सहायक मातृका
Assistant Operator	सहायक प्रचालक
Assistant Probation Officer	सहायक परिवीक्षा-अधिकारी
Assistant Record Keeper	सहायक अभिलेखपाल
Assistant Research Officer	सहायक अनुसंधान-अधिकारी
Assistant Revenue Officer	सहायक राजस्व अधिकारी
Assistant Secretary	सहायक सचिव
Assistant Sub-Inspector	सहायक उप निरीक्षक
Bacteriologist	जीवाणुविज्ञानी
Cultural Officer	सांस्कृतिक अधिकारी
Chairman, State Transport Authority	अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकारी
Chairman, Urban Improvement Trust	अध्यक्ष, नगर-विकास ट्रस्ट
Chief Engineer	मुख्य अभियंता
Chief Engineer, Public Works Department (B & R)	मुख्य अभियंता लोक निर्माण
Chief Engineer, (Irrigation)	मुख्य (भवन एवं पथ)
Chief Ground Water Engineer	मुख्य अभियंता (सिंचाई)
Chief Justice	मुख्य मू जल अभियंता
Chief Probation Officer	मुख्य यायाधीश
Commercial Accountant	मुख्य परिवीक्षा-अधिकारी
Commercial Taxes Officer	वाणिज्यिक लेखाकार
Commissioner, Departmental Enquiry	वाणिज्यिक कर-अधिकारी
Commissioner, Davasthan Department	आयुक्त, विभागीय जांच
Commissioner, Excise and Taxation	आयुक्त देवस्थान विभाग
Commissioner, Sales Tax	आयुक्त, आबकारी एवं वरारोपण
	आयुक्त बिक्री-कर

Conservator of Forests	वन संरक्षक
Controller of Stores	गण्डार नियंत्रक
Consolidation Officer	चक्रवर्ती अधिकारी
Craftsman	शिल्पकार
Dairy Engineer	दुग्धशाला अभियंता
Demonstrator (Agriculture Information)	निदेशक (कृषि सूचना)
Dental Surgeon	दंत चिकित्सक
Deputy Conservator	उप संरक्षक वन विभाग
Deputy Director Livestock Section	उप निदेशक पशुधन शाखा
Deputy Director of Education & Employment	उप-निदेशक, शिक्षा एवं रोजगार
Deputy Minister	उप मंत्री
Deputy Registrar	उप पंजीयक
Deputy Town Planner	उप नगर आयोजक
Despatch Clerk	प्रेषण लिपिक
Development Commissioner	विकास आयुक्त
Director of Agriculture	निदेशक, कृषि विभाग
Director of Animal Husbandry	निदेशक, पशुपालन विभाग
Director of Archives, Rajasthan	निदेशक, पुरालेख (राजस्थान)
Director of Civil Defence	निदेशक, नागरिक सुरक्षा
Director of Colonisation	निदेशक, उपनिवेशन
Director of Economic and Industrial Survey	निदेशक आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण
Director of Economics and Statistics	निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी
Director of Forensic Laboratory	निदेशक, विधि चिकित्सा-विज्ञान प्रयोगशाला
Director of General Branch	निदेशक, सामान्य शाखा
Director of Jail Industries	निदेशक, कारागार उद्योग
Director of Local Bodies	निदेशक, स्थानीय निकाय
Director of Medical and Health Services	निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा

Director of Mines and Geology	निदेशक, खान एव भू गम विभाग
Director of P F Department	निदेशक, भविष्य-निधि विभाग
Director of Public Relations	निदेशक जन संपर्क कार्यालय
Director of Social Welfare Department	निदेशक समाज कल्याण विभाग
Director of Transport	निदेशक, परिवहन विभाग
District Employment Officer	जिला नियोजन अधिकारी
District Industries Officer	जिला-उद्योग अधिकारी
District Judge	जिला न्यायाधीश
District Public Relation Officer	जिला जन-संपर्क अधिकारी
District Revenue Accountant	जिला राजस्व लेखाकार
District Sheep and Wool Officer	जिला भेड़ व ऊन अधिकारी
District Social Welfare Officer	जिला समाज कल्याण अधिकारी
Education Officer	शिक्षा अधिकारी
Enforcement Officer	प्रवर्तन अधिकारी
Engineering Assistant	अभियांत्रिकी सहायक
Excise Clerk	श्रावकारी लिपिक
Excise Magistrate	आबकारी दण्डनायक
Executive Engineer P W D (B&R)	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एण्ड पथ)
Executive Engineer Survey and Investigation Project	अधिशासी अभियंता, सर्वेक्षण एव अन्वेषण-परियोजना
Finance Commissioner	वित्त आधुक्त
Food Assistant	खाद्य सहायक
Food Inspector	खाद्य निरीक्षक
Forest guard	वन-रक्षक
Gate Keeper	द्वारपाल
Govt Advocate	सरकारी अधिवक्ता
Head Master, Deaf and Dump School	प्रधानाध्यापक, मूक एव बधिर विद्यालय
Horticulturist	उद्यान विशेषज्ञ
Inspector General of Police	महानिरीक्षक, पुलिस
Inspector General of Prisons	महानिरीक्षक कारागार

Inspector, Land Records	निरीक्षक भू-प्रमिोण
Inspector, of Stores and Accounts	निरीक्षक अन्वेषण तथ अण्डा
Inspector Weights and Measure	निरीक्षक बाट तथ माप
Joint Development Commissioner	सदुक्कन विभाग सादुक्कन
Joint Director	सदुक्कन निदेशक
Junior Accountant	कनिष्ठ अण्डाकार
Junior Demonstrator	कनिष्ठ निदेशक
Junior Engineer'	कनिष्ठ अभियंता
Junior Specialist	कनिष्ठ विशेषज्ञ
Junior Instructor	कनिष्ठ प्रशिक्षक
Laboratory Assistant	प्रयोगशाला सहायक
Laboratory Incharge	प्रयोगशाला प्रभारी
Labour Inspector	श्रम निरीक्षक
Labour Officer	श्रम अधिकारी
Labour Welfare Officer, Health Engineering	श्रम-कल्याण अधिकारी, स्वास्थ्य अभियंता
Lady Matron	मातृका
Lady Supervisor	पमवशिवा
Land Supervisor	भू-सर्वेक्षक
Legal Assistant	विधि-सहायक
Legal Draftsman	विधि प्रारूपकार
Legal Editor	विधि सम्पादक
Liaison Officer	सम्पर्क अधिकारी
Legal Remembrances	विधि परामर्शी
Library Assistant	पुस्तकालय सहायक
Loan Inspector	ऋण निरीक्षक
Loan Officer	ऋण अधिकारी
Lower Division Clerk	कनिष्ठ लिपिक
Manager, Incharge of Pharmacies	द्वयवस्थापक प्रभारी, औषध निर्माण शाला
Medical Attendant	चिकित्सा परिचालक

Music and Dance Teacher	सगीत एव नृत्य-अध्यापक
Musician	सगीतकार
Nursing Superintendent	उपचर्या-अधीक्षक
Nutrition Assistant	पोषण सहायक
Observer	प्रेक्षक
Officer Incharge Junior Staff Training	प्रभारी अधिकारी, कनिष्ठ कर्मचारी प्रशिक्षण
Officer Incharge, Livestock Research Station	प्रभार अधिकारी, पशुधन शोध केन्द्र
Officer Incharge, Museum	प्रभारी अधिकारी, संग्रहालय
Ophthalmologist	नेत्र चिकित्सक
Packer	वेष्टक
Pay Clerk	वेतन लिपिक
Peon	चपरासी
Physical Training Instructor	व्यायाम प्रशिक्षक
Physician Specialist	चिकित्साविशेषज्ञ
Planning cum Survey Officer	आयोजना एव सर्वेक्षण अधिकारी
Plant Breeder	पौध उत्पादक
Plant Protection Supervisor	पौध संरक्षण पयवेक्षक
Printer	मुद्रक
Private Secretary to Governor	निजी सहायक राज्यपाल
Professor	आचार्य
Professor, Anatomy	आचार्य शरीर-रचना विज्ञान
Professor, Pharmacology	आचार्य, औषध निर्माण विज्ञान
Professor, Physiology	आचार्य शरीरी क्रिया विज्ञान
Public Prosecutor	सरकारी अभियोजक
Public Relations Officer	जन-संपर्क अधिकारी
Receipt Clerk	प्राप्ति-लिपिक
Receptionist	स्वागतकर्ता
Registrar, Cooperative Societies	पंजीयक, सहकारी समितिया
Research Scholar	शोध छात्र
Section Incharge	अनुभाग अधिकारी
Seed Development Officer	बीज विकास अधिकारी

Seed Distribution Officer	बीज वितरक अधिकारी
Seed Production Officer	बीज उत्पादन अधिकारी
Seed Testing Officer	बीज जाच-अधिकारी
Social Education Officer	समाज-शिक्षा अधिकारी
Social Education Organisor	समाज शिक्षा प्रायाजक
Speaker, Legislative Assembly	अध्यक्ष विधान-सभा
Special Accounts Officer	विशेष लेखा अधिकारी
Special Audit Officer	विशेष अ-वेक्षा-अधिकारी
State Minister	राज्य मंत्री
Station Officer	थानेदार
Stenography Instructor	शीघ्रलिपिक प्रशिक्षक
Store Controller	मंडार-रियंत्रक
Store Incharge	मंडार प्रभारी
Sub Editor	उप संपादक
Sub-Registrar	उप पजीयक
Superintendent Handicrafts Board	अधीक्षक हस्तकला मंडल
Superintendent of Garden	उद्यान अधीक्षक
Superintending Engineer	अधीक्षण अभियंता
Survey Inspector	सर्वेक्षण निरीक्षक
Survey Officer	सर्वेक्षण अधिकारी
Tourist Officer	पर्यटन अधिकारी
Training Officer	प्रशिक्षण अधिकारी
Traffic Inspector	परिवहन निरीक्षक
Treasurer	कोषाध्यक्ष
Wholetime Public Prosecutor	पूर्णकालिक सरकारी वकील
Workshop Addendant	कर्मशाला परिचर
Workshop Instructor	कर्मशाला प्रशिक्षक
Workshop Supervisor	कर्मशाला प्रबन्धक

